| | राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>*Extraordinary* |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |

**आषाढ़ 23, शाके 1936, सोमवार, जुलाई 14, 2014**
*Asadha 23, Saka 1936, Monday, July 14, 2014*

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.31.–** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) इन संशोधन नियमों के,–

(i) नियम 20,21,22,23,24,25 और 26 के उपबंध 05.09. 2014 से प्रवृत्त होंगे;

(ii) नियम 6,7,8,27 और 28 के उपबंध 01.10.2014 से प्रवृत्त होंगे;

(iii) नियम 18 के उपबंध 01.12.2014 से प्रवृत्त होंगे; और

इन संशोधन नियमों के शेष नियम तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2. **नियम 9 का प्रतिस्थापन.–** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जायेगा, अर्थात्:–

‘‘**9. कर बोर्ड और उसके सदस्य.–** (1) कर बोर्ड में, इस अधिनियम या किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए, अवधारित किए जायें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव से अनिम्न रैंक का भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान संवर्ग का कोई सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

(3) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे या राज्य कर विधियों का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त कोई विख्यात अधिवक्ता होगा।

(4) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अतिकाल/चयन वेतनमान के सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे।

(5) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उच्च अतिकाल/अतिकाल वेतनमान के सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे।

(6) कर बोर्ड के एक या अधिक सदस्य, राजस्थान सरकार के विशिष्ट शासन सचिव से अनिम्न रैंक के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे या समतुल्य रैंक का भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत अधिकारी होगा।

(7) बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के सेवारत सदस्य उनके अपने सेवा नियमों में उनकी अधिवर्षिता की आयु के अध्यधीन रहते हुए साधारणतया तीन वर्षो के लिए नियुक्त किये जायेंगे। जबकि समस्त अन्य सदस्य, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त किये गये है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेंगे। अधिवक्ता सदस्य सामान्यतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्वत्तर हो नियुक्त किये जायेंगे।

(8)(क) भा.प्र.से. के सेवारत अधिकारी से भिन्न कर बोर्ड के सेवारत सदस्य और अधिवक्ता सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतिकाल वेतनमान के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय मासिक वेतन और भत्ते आहरित करेंगे। भा.प्र.से. का सेवारत अधिकारी उसकी सेवा में उसे यथा अनुज्ञेय मासिक वेतन और भत्ते आहरित करेगा। सदस्य के रूप मे नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी, अंतिम आहरित वेतन की रकम में से पेंशन कम करने के समतुल्य वेतन और अन्य भत्ते, जो उसे संदेय होते यदि वह सेवानिवृत्त नहीं होता, प्राप्त करेगा।

(ख) कर बोर्ड के सेवारत सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन, सदस्य के पद पर अंतिम आहरित वेतन के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(9) उप-नियम (7) और (8) के उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा से नियुक्त किये गये सेवारत सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, उस सेवा के सदस्य के रूप में उन पर लागू उनके अपने अपने सेवा नियमों, द्वारा विनियमित की जायेंगी।

(10) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(11) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट कर बोर्ड का सदस्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायेगाः-

(i) राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश-अध्यक्ष

(ii) राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष- सदस्य

(iii) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार- सदस्य

(iv) कर बोर्ड का अध्यक्ष- सदस्य

(v) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान- सदस्य सचिव

(12) उप-नियम (4) और (5) में निर्दिष्ट कर बोर्ड का सदस्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगाः-

(i) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार-अध्यक्ष

(ii) कर बोर्ड का अध्यक्ष-सदस्य

(iii) प्रभारी सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान- सदस्य

(iv) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान- सदस्य सचिव

(13) इन नियमों में उपबंधित ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार इन सदस्यों की नियुक्ति की अवधि बढ़ा सकेगी।

**3. नियम 12 का संशोधन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**12. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.-** (1) रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए कोई आवेदन व्यवहारी द्वाराः

(i) उस दिन से जिसको वह अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) या (5) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हो जाता है तीस दिन के भीतर; या

(ii) उस दिन से, जिसको किसी संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए कोई आदेश या सूचना संकर्म संविदाकार द्वारा प्राप्त की जाये और ऐसी संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल के उसके पण्यावर्त के अधिनियम की धारा 3 में अधिकथित सीमाओं से अधिक होने की सम्भावना हो, तीस दिन के भीतर

प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए व्यवहारी इलेक्ट्रोनिक रूप में प्ररूप मूपक-01 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में आवेदन करेगा। व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से अभिस्वीकृति का जनन करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करके सत्यापित करेगा और रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(i) प्ररूप मूपक-01 ख में शपथपत्र;

(ii) प्ररूप मूपक-02 में कारबार प्रबन्धक की घोषणा;

(iii) भागीदारी विलेख, यदि कोई हो, किसी कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद, न्यास के विलेख, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण और संगम अनुच्छेद की आवेदक द्वारा सत्यापित प्रति;

(iv) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने हेतु किसी व्यक्ति को प्राधिकार देने के लिए, कम्पनी की दशा में निदेशक बोर्ड द्वारा और अन्य सत्ताओं की दशा में शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की आवेदक द्वारा प्रमाणित प्रति;

(v) अधिनियम की धारा 15 के अनुसार प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में जो नियम 77 में विहित है;

(vi) निम्नलिखित की राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी पब्लिक से सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित, हस्ताक्षरित फोटो;

(क) स्वामित्व समुत्थान की दशा में स्वत्वधारी;

(ख) भागीदारी फर्म की दशा में प्रत्येक भागीदार;

(ग) कम्पनी की दशा में प्रबन्धक निदेशक/निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता;

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में कर्त्ता; और

(ङ) अन्य सभी मामलों में, प्राधिकृत हस्ताक्षकर्त्ता।

(vii) आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी खाता संख्या की प्रति;

(viii) पते के सबूत के समर्थन में किराया विलेख या किराया रसीद या बिजली के बिल या दूरभाष के बिल या पानी के बिल या स्वयं की संपत्ति के दस्तावेजों की प्रति;

(ix) सम्यक् रूप से रद्द किया हुआ निरंक चैक।

(3) यदि प्ररूप मूपक-01 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन प्ररूप में कारबार के स्थायी खाता संख्या के संबंध में ब्यौरे, शाखा के आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाते, दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या और ईमेल आई.डी. के संबंध में सूचना नहीं दी गई है तो यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।''

**4. नियम 12क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 12क हटाया जायेगा।

**5. नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-**

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियम 12 के उप-नियम (2) में यथा-विहित दस्तावेजों के साथ विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति की प्राप्ति पर, यह समाधान होने पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, विहित दस्तावेजों के साथ ऐसी अभिस्वीकृति की प्राप्ति के 24 घण्टे के

भीतर उसके द्वारा सम्यक् रूप से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप मूपक-03 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, शाखा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्ररूप मूपक-01 में यथा उपबंधित ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप से व्यवहारी को अग्रेषित किया जायेगा।

(ii) विद्यमान उप-नियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

''(1क) जहाँ उप-नियम (1) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में दिये गये तथ्यों और कथनों का सत्यापन करने के लिए जांच करेगा''

**6 नियम 15 का संशोधन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना.-** (1) जहां किसी व्यवहारी को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाता है या अस्थानस्थ हो जाता है या दुर्घटनावश नष्ट हो जाता है वहां वह रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-04 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथाउपबंधित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियम 14 में यथाउपबंधित रीति में उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्ररूप मूपक-03 जारी करेगा।''

**7 नियम 16 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 16 में,

(i) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''फाइल किये गये प्ररूप मूपक-05 में'' के स्थान पर अभिव्यक्ति '' इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-05 में विभाग की शासकीय बेवसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप मूपक-06'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इलेक्ट्रोनिक रूप से मूपक प्ररूप-06 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(3). जहां व्यवहारी का कारबार स्थायी रूप से बंद हो गया है, या व्यवहारी का कारबार अंतरित हो गया है और अंतरिती पहले से ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक है, या व्यवहारी अधिनियम के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किये जाने की अपेक्षा से प्रविरत हो गया है, वहां प्राधिकारी अपने निर्धारण प्राधिकारी को या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निरस्त करने के लिए इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी घटना के घटित होने के तीस दिन के भीतर, अधिनियम धारा 21 में यथाविहित ऐसी घटना के घटित होने की तारीख तक विवरणी

सहित इलेक्ट्रनिक रूप से प्ररूप मूपक-06क में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर व्यवहारी का निर्धारण करेगा और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करेगा।''

**8. नियम 17 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 17 में,

(i) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा.-

''(2). व्यवहारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में कर के संदाय के लिए विकल्प दे सकेगा।

(ii) उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ वर्ष के प्रारम्भ के तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके'' के स्थान पर अभिव्यक्ति '' इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक -06ख में उसमें उपबंधित रीति में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप-नियम (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक -06ग में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करेगा,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप-नियम (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के साथ, आगामी वर्ष को आवेदन प्रस्तुत करके'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-06ग में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में एक आवेदन प्रस्तुत करके,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) उप-नियम (6) में, विराम चिन्ह ''।'', के पश्चात् अभिव्यक्ति, ''निर्धारण प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियम-14 में विहित रीति में प्ररूप मूपक-03 में उसे संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।'' जोड़ी जायेगी।

**9. नियम 17क का अन्तःस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 17 के पश्चात् और विद्यमान नियम 18 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 17क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**17क. कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय के लिए विकल्प.-** (1) व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के तीस दिन के भीतर या धारा 5 के अधीन किसी अधिसूचना के जारी किये जाने के तीस दिन के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, प्ररूप मूपक-69 में इलेक्ट्रोनिक रूप से विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में आवेदन प्रस्तुत करके, धारा 5 के उपबंधों के अनुसार एकमुश्त राशि में कर के संदाय का विकल्प दे सकेगा। रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी,

वर्ष के प्रारंभ में तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करके किसी वर्ष के प्रारंभ से भी ऐसे विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

(2) जहाँ कोई व्यवहारी उपरोक्त उप-नियम (1) में उपबंधित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहां वह विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक 69 में आवेदन निम्नलिखित निक्षेप के ब्यौरे प्रस्तुत करके धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में एकमुश्त राशि में कर के संदाय के लिए विकल्प का प्रयोग कर सकेगाः

(i) प्रभारित या संगृहित कर, यदि कोई हो;

(ii) ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एकमुश्त रकत जो शोध्य हो गई है; और

(iii) कर की एकमुश्त रकम, जो शोध्य हो गई है, के 100 प्रतिशत के अधिकतम के अध्यधीन एक हजार रूपये प्रतिदिन विलंब फीस।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई आवेदनः-

(i) सुसंगत वर्ष की समाप्ति के पश्चात्;या

(ii) जहाँ अधिनियम की धारा 25 या धारा 27 के अधीन कर के परिवर्जन या अपवंचन से संबंधित कोई जाँच लंबित है,

ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(4) प्ररूप मूपक-69 में आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी आवेदन की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-70 में एकमुश्त राशि में कर के संदाय के लिए प्रमाणपत्र जनित करने की अनुज्ञा प्रदान करेगा, जो व्यवहारी द्वारा एकमुश्त राशि के संदाय के विकल्प का प्रयोग किये जाने तक व्यवहारी के कारबार बंद किये जाने तक या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र रद्द किये जाने तक प्रवृत रहेगा।

(5) कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय के लिए विकल्प देने वाला व्यवहारी धारा 20 के उपबंधों के अनुसार एकमुश्त रकम निक्षिप्त करेगा। मानो कि यह एकमुश्त राशि कर है।

(6) कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय के लिए विकल्प देने वाला व्यवहारी अंतिम स्टाक पर उसके द्वारा उपभुक्त किया गया आगत कर मुजरा प्रतिवर्तित करेगा।

(7) जहाँ कोई व्यवहारी स्टाक में ऐसा माल रखता है जिस पर पूर्ण दर पर कर नहीं लगाया गया है, धारा 5 के उपबंधों के अनुसार एकमुश्त राशि में कर के संदाय के विकल्प देता है, ऐसा व्यवहारी विकल्प के प्रयोग किये जाने के समय लागू दर पर ऐसे स्टाक पर कर निक्षिप्त करेगा।

(8) व्यवहारी, जिसने एकमुश्त राशि में कर के संदाय का विकल्प दिया है, निर्धारण प्राधिकारी को, इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-71 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें यथा उपबंधित रीति में, आवेदन प्रस्तुत करके ऐसे विकल्प से बाहर आ सकेगा। ऐसी दशा में व्यवहारी विकल्प से बाहर आने की तारीख से धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसार कर के संदाय का दायी होगा और पूर्व कालावधि के लिए धारा 5 के उपबंधों के अनुसार एकमुश्त राशि में कर संदाय की अपेक्षा की जायेगी।

(9) धारा 5 के अधीन जारी किसी अधिसूचना का फायदा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यवहारी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:-

(i) कि ऐसा व्यवहारी माल के विक्रय पर क्रेता से कोई कर प्रभारित या संगृहीत नहीं करेगा जिसके लिए उसने धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में एकमुश्त राशि में कर संदाय के लिए विकल्प दिया है, यद्यपि, व्यवहारी द्वारा प्रभारित या संगृहित कर तुरन्त निक्षिप्त करेगा और पहले ही निक्षिप्त कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(ii) जब तक अन्यथा अधिसूचित न हो, ऐसा व्यवहारी ऐसे माल के क्रयों के संबंध में आगत कर मुजरा के दावे का हकदार नहीं होगा जिसके लिए उसने धारा 5 के उपबंधों के अनुसार एकमुश्त राशि में कर के संदाय का विकल्प दिया है।

(iii) यदि ऐसा व्यवहारी ऊपर वर्णित किसी शर्त या अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी किसी अधिसूचना का अतिक्रमण करता है या कर अपवंचन में सहायता या दुष्प्रेरण करता है, निर्धारण प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, इस नियम के अधीन जारी प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा।

यह कार्यवाही, दंड या अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जिसके लिए ऐसा व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन दायी होगा।

(10) जहाँ धारा 5 के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन एकमुश्त राशि में कर के संदाय के लिए किसी व्यवहारी का आवेदन लंबित है, ऐसा व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(11) धारा 5 के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन पूर्व में जारी प्रमाणपत्र इस नियम, के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगेः

परन्तु व्यवहारी, जिसने धारा 5 के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि में संदाय के लिए विकल्प का प्रयोग किया है, 14.07.2014 से पूर्व की कालावधि के लिए उपबंध प्रवृत रहेंगे मानो कि उक्त अधिसूचना विखंडित नहीं की गयी है।''

**10. नियम 18 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 18 में,

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1). आगत कर मुजरा, मूल मूपक बीजक के आधार पर और जहां ऐसा बीजक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, नियम 38 के उप-नियम (4) के अनुसार उसको जारी की गयी दूसरी प्रति के आधार पर अनुज्ञात किया जायेगा। तथापि, आगत कर मुजरा से निक्षिप्त अतिरिक्त कर का दावा, किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के निर्णय के अनुपालन में तत्पश्चात् जारी किये गये मूपक बीजक के आधार पर, कर की उच्चतर दर दर्शित करते हुए अनुज्ञात किया जायेगा। किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को उपलब्ध आगत कर मुजरा की सीमा, मूपक बीजक से यथापरिलक्षित राज्य में क्रयों पर संदत्त कर की रकम के बराबर होगी, और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए,-

(i) कि ऐसे व्यवहारी ने प्ररुप मूपक-07 में मूपक बीजकों के पेटे अपने क्रयों का सही और ठीक पृथक् लेखा रखा है और नियम 19 में विहित विवरणी सहित प्ररुप

मूपक-07क में उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर देता है;

(ii) कि ऐसे व्यवहारी ने प्ररुप मूपक-08 में अपने विक्रयों का सही और ठीक पृथक् लेखा रखा है और नियम 19 में विहित विवरणी सहित प्ररुप मूपक-08क में उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर देता है;

(iii) कि कर कालावधि के लिए आगत कर मुजरा की रकम अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित रीति में सत्यापित रकम से अधिक नहीं हो।

**टिप्पणः** प्ररूप मूपक-07, मूपक-07क, मूपक-08 और मूपक-08क में मूपक बीजक उस तिमाही में प्रविष्ट किये जायेंगे जिसमें बीजक की तारीख पड़ती है, चाहे माल की रसीद किसी वर्ष या वर्षों की विभिन्न तिमाहियों में की हो।''

(ii) उप-नियम (10) के खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''एक सादे कागज पर इस प्रभाव का'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-06घ में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

**11. नियम 19 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 19 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(2). जब तक कि आयुक्त द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये, प्रत्येक व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी दाखिल करेगा। विवरणी व्यवहारी द्वारा या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जायेगी। तथापि, जहां व्यवहारी विहित रीति में डिजिटल हस्ताक्षरों के बिना सूचना प्रस्तुत करने के लिए विभागीय वेबसाइट के उपयोग के लिए अपनी सहमति दे देता है, वह डिजिटल हस्ताक्षर के बिना अपनी विवरणी दाखिल कर सकेगा।''

(ii) विद्यमान उप-नियम (4) में-

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर विराम चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित विराम चिन्ह '':'' के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''परन्तु व्यवहारी जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 44 कख के अधीन अपने लेखे संपरीक्षित करवाना अपेक्षित है सुसंगत वर्ष के नौ मास के भीतर विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।''

(iii) उप-नियम (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''दस माह'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नौ माह'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) विद्यमान उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(8). जहां व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्ररुप मूपक-10 या प्ररुप मूपक-10क या प्ररुप मूपक-11 में किसी लोप या गलती का पता चलता है, वहां वह ऐसी विवरणी को सुसंगत वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर या धारा 25 या धारा 27 के अधीन किसी अवेक्षा के जारी किये जाने से, जैसी भी स्थिति हो, जो भी पहले हो, पुनरीक्षित करेगा और पुनरीक्षित विवरण दाखिल करेगा।

तथापि, जहां धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया है तो व्यवहारी ऐसे समय के भीतर जैसी उक्त नोटिस में उपबंधित है, नोटिस के अनुसरण में पुनरीक्षित विवरण प्रस्तुत कर सकेगा।''

(v) उपनियम (9) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''01.04.2011'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''01.04.2014'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(vi) विद्यमान उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(10). कोई विवरणी ग्रहण नहीं की जायेगी जहां व्यवहारी ने,-

(i) पूर्ववर्ती तिमाही(यों) या, यथास्थिति, वर्ष(षों) के लिए विवरणी(यां) प्रस्तुत नहीं की है; या

(ii) विवरणी(यां) प्रस्तुत करने से पूर्व शोध्य कर, विलम्ब फीस और ब्याज, यदि कोई हो, निक्षिप्त नहीं किया है।

(11) जहां कोई व्यवहारी जिसने, धारा 5 के अनुसार कर के बदले में एकमुश्त राशि का संदाय या धारा 3 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर के संदाय का विकल्प दिया है और वर्ष की समाप्ति से पूर्व उक्त विकल्प से बाहर आ गया है तो ऐसा व्यवहारी वर्ष के प्रारम्भ से विकल्प के बाहर आने की तारीख तक तिमाही, जिसमें वह विकल्प से बाहर आया है, से संबंधित प्ररूप मूपक-10 में विवरणी में पण्यावर्त के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।''

**12. नियम 19क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 19क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**19क. विलम्ब फीस.-** जहां कोई व्यवहारी विहित समय के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत करता है वहां वह-

(i) यदि विवरणी के अधीन कालावधि के दौरान व्यवहारी का कोई पण्यावर्त न हो अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन बीस रुपये प्रतिदिन; और

(ii) अन्य सभी मामलों में न्यूनतम पचास रुपये प्रतिदिन और अधिकतम पांच सौ रुपये प्रतिदिन के अध्यधीन प्रतिदिन संदेय शुद्ध कर का 0.05 प्रतिशतः

परन्तु कुल विलम्ब फीस न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन उस तिमाही/वर्ष के लिये संदेय शुद्ध कर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।''

**13. नियम 21 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 21 में,

(i) उप-नियम (8) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐसे घोषणा प्ररूप के जनन के साठ दिन के भीतर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ऐसे घोषणा प्ररूप के जनन के छह मास के भीतर या 30 सितम्बर 2014 तक, जो भी बाद में हो,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान उप-नियम (12) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (13) के पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (12क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(12क). निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उप-नियम (10) के अधीन चोरी हो जाने, खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् और उप-नियम (11) या, यथास्थिति, उप-नियम (12) के अधीन प्रतिभूति प्राप्त करने के पश्चात् विभाग की शासकीय वेबसाइट में समय-समय पर ऐसे घोषणा प्ररूपों की विशिष्टियां प्रकाशित करायेगा।''

**14. नियम 22 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 22 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (2) हटाया जायेगा।

(ii) विद्यमान उप-नियम (2क) हटाया जायेगा।

**15. नियम 22 का अन्तःस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 22 के पश्चात् और विद्यमान नियम 23 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 22क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**22क. संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के अन्तरण के मामले में कराधेय पण्यावर्त का अवधारण.-** (1) नियम 22 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के अन्तरण के मामले में, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन कर का उद्ग्रहण करने के लिए कराधेय पण्यावर्त, उक्त संकर्म संविदा से संबंध रखने वाली कटौतियों से संबंधित रकमों में जहां तक हो सके संविदा के सकल मूल्य में से निम्नलिखित कटौतियों को प्रभावित करते हुए अवधारित किया जा सकेगा,-

(क) जिस पर अधिनियम के अधीन कोई भी कर उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) जिसे कर से छूट प्राप्त है;

(ग) संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए श्रम और सेवा प्रभार;

(घ) योजना बनाने, डिजाइन करने और वास्तुविद् की फीस के प्रभार;

(ङ) संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए मशीनरी और औजार किराये पर या अन्यथा प्राप्त करने के लिए प्रभार;

(च) संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त उपभोज्य जैसे जल, विद्युत, ईंधन की लागत, जहां संपत्ति संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में अन्तरित नहीं की जाती है;

(छ) उस सीमा तक संविदाकार के स्थापन की लागत जिस तक यह उक्त श्रम और सेवाओं के प्रदत्त से संबंधित है;

(ज) श्रम और सेवाओं की उक्त आपूर्ति से संबंधित अन्य समान व्यय जहां श्रम और सेवाएं जो संपत्ति के उक्त अन्तरण के पश्चात्वर्ती है;

(झ) उस सीमा तक संविदाकार द्वारा उपार्जित लाभ जिस तक यह श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैः

परन्तु जहां संविदाकार ने लेखाओं का संधारण नहीं किया है जो ऊपर की गयी विभिन्न कटौतियों के उचित मूल्यांकन को समर्थ बना सके या जहां निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि संविदाकार द्वारा संधारित लेखा पर्याप्त रूप से स्पष्ट और बोधगम्य नहीं है, या संविदा की प्रकृति को देखते हुए अयुक्तियुक्त होना माना जाये, ऊपर उपबंधित करवाई गयी कटौतियां निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट संविदा के प्रकार के लिए स्तम्भ 3 में अधिकथित परिसीमाओं के अनुसार अनुज्ञात की जायेगीः-

**सारणी**

| **क्र. सं.** | **संविदा का प्रकार** | **श्रम प्रभार संविदा के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | संयंत्र और मशीनरी का बनाया जाना और स्थापन | 25 |
| 2. | लोहे और इस्पात के संरचनात्मक संकर्मों का बनाया और परिनिर्मित किया जाना जिसमें लोहे के पीलपायों, शहतीरों और वैसी ही चीजों का बनाया जाना, प्रदाय और परिनिर्मित किया जाना सम्मिलित है | 15 |
| 3. | क्रेनों और उत्तोलकों का बनाया जाना और स्थापन | 15 |
| 4. | रोलिंग शटरों और कालेप्सिबल द्वारों का बनाया जाना और स्थापन | 15 |
| 5. | सिविल संकर्म जैसे भवनों, पुलों, सड़कों, बांधों, बैराजों, नहरों ओर पार्श्वपथों का सन्निर्माण | 30 |
| 6. | द्वारों, द्वार की चौखटों, खिड़कियों, चौखटों और ग्रिलों का स्थापन | 20 |
| 7. | टाइलों, स्लेबों, पत्थरों और चद्दरों का प्रदाय और लगाया जाना | 25 |
| 8. | वातानुकूलकों और एयर कूलरों का प्रदाय और स्थापन | 15 |
| 9. | वातानुकूलन उपस्करों का, जिनमें डीप फ्रीजर, शीतागार संयंत्र, नमीकरण संयंत्र और विनमीकारक सम्मिलित हैं, प्रदाय और स्थापन | 15 |
| 10. | बिजली के सामान का प्रदाय और फिटिंग, विद्युत् उपस्करों का, जिसमें ट्रांसफार्मर सम्मिलित है, प्रदाय और स्थापन | 15 |
| 11. | फर्नीचर और फिक्सचरों, विभाजकों का प्रदाय और लगाया जाना, जिसमें भीतरी अलंकरण और आभासी छत की संविदाएं सम्मिलित हैं। | 20 |
| 12. | नलकारी और जल-निकास या मलवहन के लिए स्वच्छता संबंधी फिटिंग | 20 |
| 13. | भूमिगत या सतही पाइप लाइनों, केबलों या | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| | नलिकाओं का बिछाया जाना। | |
| 14. | तुलाई मशीनों और तुला चौकियों का प्रदाय और परिनिर्माण | 15 |
| 15. | रंगाई, पालिश और सफेदी | 25 |
| 16. | ऊपर क्रम सं. 1 से 15 तक में विनिर्दिष्ट नहीं की गयी अन्य सभी संविदाएं | 25 |

**टिप्पणः** संविदा के कुल मूल्य से उप-नियम (3) के अधीन अवधारित भूमि की लागत, यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् प्रतिशत लागू किया जाये, और यदि संविदा पृथक रूप से कर प्रभारित करने के लिए उपबंधित करती है तो संविदाकार द्वारा कर का परिमाण पृथक रूप से प्रभारित किया जायेगा।

(2) संनिर्माण संविदा के मामले में जहां स्थावर सम्पत्ति के साथ भूमि या, यथास्थिति, भूमि में हित स्थावर सम्पत्ति में अन्तर्निहित है तो हस्तांतरित किया जाये और संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति भी क्रेता को अन्तरित की जाये, ऐसा अन्तरण, इस नियम के अधीन कर का दायी होगा। अन्तरण के समय उक्त माल का मूल्य करार के कुल मूल्य में से उप-नियम (3) के अधीन यथा-अवधारित भूमि की लागत और उप-नियम (1) के अधीन कटौतियां करने के पश्चात् संगणित किया जायेगा।

(3) भूमि की लागत, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के अधीन सिफारिश या अवधारित दरों के अनुसार अवधारित की जायेगी जो उस वर्ष की 1जनवरी को लागू होगी जिसमें सम्पत्ति के विक्रय का करार किया गया है।

(4) जहां कोई व्यवहारी जो फ्लैटों, निवासों, भवनों या परिसरों का संन्निर्माण करता है और भूमि या भूमि में अंतर्निहित हितों के साथ किसी करार के अनुसार उन्हें अंतरित करता है तब कुल करार मूल्य में से उप-नियम (1) और (3) के अधीन कटौतियों के पश्चात् विक्रय कीमत, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट संविदा के प्रकार के लिए स्तंभ 3 में अधिकथित सीमाओं के अनुसार क्रेता के साथ करार के जिस प्रक्रम पर प्रविष्ट हुआ है निर्भर करते हुए अवधारित की जायेगी।

**सारणी**

| **क्र. सं.** | **प्रक्रम जिस पर विकासकर्ता क्रेता के साथ संविदा में प्रविष्ट होता है** | **करार के मूल्य के रूप में अवधारित की जाने वाली रकम** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | प्लिन्थ लेवल के पूर्ण होने तक | 95% |
| 2. | प्लिन्थ लेवल से 100 प्रतिशत आर.सी.सी. फ्रेमवर्क के पूर्ण होने तक | 85% |
| 3. | आर.सी.सी. फ्रेमवर्क की पूर्णता से अधिभोग प्रमाणपत्र तक | 55% |
| 4. | अधिभोग प्रमाणपत्र से संन्निर्माण की पूर्णता तक | कुछ नहीं |

(5) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार आये माल का मूल्य, कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए, संकर्म संविदा के निष्पादन में

अंतर्वलित माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित क्रय कीमत या, यथास्थिति, विक्रय कीमत होगी।

(6) जहां कोई संकर्म संविदाकार धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के अधीन छूट फीस के विकल्प का प्रयोग करता है, या कर के बदले में एकमुश्त संदाय के लिए विकल्प दिया है वहां किसी उप संविदाकार को ऐसी संपूर्ण संविदा या उसका भाग प्रदान करता है तो उप-नियम (1) के अधीन उपबंधित कटौतियों से अलग उप-संविदाकार के करादेय पण्यावर्त को अवधारित करते समय ऐसी उप-संविदा के निष्पादन में अंतवर्लित माल में संपत्ति के अंतरण के पण्यावर्त की कटौती की जायेगीः

परन्तु उप संविदाकार राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल का क्रय करेगा, और यदि संकर्म संविदा के निष्पादन में किसी माल के उपयोग में राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यवहारी से उपाप्त या क्रय किया जाता है तो उप संविदाकार कर की ऐसी रकम के समतुल्य रकम को संदत्त करने का दायी होगा जो संदेय होती यदि ऐसे माल का क्रय राज्य में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से किया गया होता।''

**16. नियम 31 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 31 के उप-नियम (1) में जहां कहीं भी आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''तीन प्रति'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''चार प्रति'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

**17. नियम 38 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 38 का विद्यमान उप-नियम (10) हटाया जायेगा।

**18. नियम 40 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**40. संकर्म संविदा की दशा में कर के बदले रकम की कटौती के लिए प्रक्रिया.-** (1) जहां अवार्डर सरकार का कोई विभाग, कोई निगम, कोई लोक उपक्रम, कोई सहकारी सोसाइटी, कोई स्थानीय निकाय, कोई कानूनी निकाय, कोई स्वशासी निकाय, कोई न्यास या कोई प्राईवेट या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, परिसीमित दायित्व भागीदारी है, और उसके द्वारा अवार्ड किये गये संकर्म संविदा (संविदाओं) की सकल रकम एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक हो, ऐसा अवार्डर उस दिन से जिस दिन संकर्म संविदा (संविदाओं) की सकल रकम दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है, तीस दिन के भीतर विभाग की शासकीय बेवसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप में किसी अधिकारी को जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से निम्न रैंक का न हो, जिसे आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, प्ररूप मूपक-40 में एक आवेदन करेगा।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उप-नियम (1) के अधीन आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर उसके द्वारा सम्यक् रूप से डिजीटल रूप में प्ररूप मूपक-40क में उसको अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र जारी करेगा, और प्ररूप मूपक-40 में उपबंधित ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप से अवार्डर को अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र अग्रेषित करेगा।

(3) जहां किसी अवार्डर को जारी किया गया कर कटौती का प्रमाणपत्र खो जाता है या अस्थानस्थ हो जाता है या दुर्घटनावश नष्ट हो जाता है, ऐसे अधिकारी को, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से निम्न रैंक का न हो या जिसे आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे, विभाग की

शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप में प्ररूप मूपक-40ख में एक आवेदन प्रस्तुत करके वह उसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकेगा।

(4) प्रत्येक अवार्डर जो अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र धारित करता है, अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) या (3) में जैसा वर्णित है ऐसे परिवर्तन या घटना के घटित होने के तीस दिन के भीतर, ऐसे अधिकारी को जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से निम्न रैंक का न हो या जिसे आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-40ख में आवेदन प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी सम्यक् जांच के पश्चात्, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र को संशोधित करेगा और जहां ऐसे आवेदन का निपटारा उक्त कालावधि में नहीं किया जाता है वहां उसे स्वीकार किया हुआ समझा जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप मूपक-40ख में उपबंधित ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप में अवार्डर को कर कटौती का संशोधित प्रमाणपत्र अग्रेषित करेगा।

(5) जहां कोई अवार्डर जो अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र का धारक है अवार्ड की गयी संकर्म संविदा के क्रियाकलापों को स्थायी रूप से बंद कर देता है, ऐसा अवार्डर घटना के घटित होने के तीस दिन के भीतर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप में प्ररूप मूपक-40ख में किसी अधिकारी को, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से निम्न न हो जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, आवेदन करेगा। प्राधिकृत अधिकारी सम्यक् जांच के पश्चात् कर कटौती का प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा।

(6) प्रत्येक अवार्डर जो अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र धारण करता है और किसी भी संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए संविदाकार को किसी राशि के संदाय के लिए उत्तरादायी है, संविदाकार के लेखे में ऐसी रकम के जमा के समय या किसी भी रीति द्वारा ऐसा संदाय करते समय, कर के बदले में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रकम की कटौती की जायेगी, और सुसंगत तिमाही की समाप्ति के 21 दिन के भीतर प्ररूप मूपक-41 में संविदाकार को कर की कटौती का प्रमाणपत्र जारी करेगा। तथापि, जहां संविदाकार ऐसे अवार्डर द्वारा कटौती की जाने वाली रकम सरकारी खजाने में ई-ग्रास के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से निक्षिप्त करा देता है और अवार्डर को ऐसे निक्षेप का सबूत दे देता है, अवार्डर का समाधान हो जाने पर कर के बदले में ऐसे रकम नहीं काटी जायेगी। इस उप-धारा के अधीन की गयी कटौती संविदाकार के निर्धारण के समय सृजित कर दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(7) जहां संविदाकार संकर्म संविदा पर अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिये दायी नहीं है, वह विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से किसी अधिकारी को, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से निम्न न हो जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, प्ररूप मूपक-40ग में कर कटौती नहीं प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। प्राधिकृत अधिकारी को समाधान हो जाने पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, प्ररूप मूपक-40घ में उसको कोई कर कटौती नहीं प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और प्ररूप मूपक-40ग में उपबंधित ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप से संविदाकार को अग्रेषित करेगा। अवार्डर द्वारा किसी रकम की कटौती नहीं की जायेगी जहां संविदाकार प्ररूप मूपक-40घ में विभाग द्वारा सम्यक् रूप से जारी कोई कर कटौती नहीं प्रमाणपत्र उसे प्रस्तुत कर देता है।

(8) अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रत्येक अवार्डर, ऐसी कटौती के मास की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, इन नियमों के नियम 39 में उपबंधित रीति में उसके द्वारा कटौती की गयी रकम निक्षिप्त करेगा और तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप मूपक-40ङ में किसी अधिकारी को जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, कर के बदले में रकम की कटौती और संकर्म संविदा (संविदाओं) की विशिष्टियाँ उल्लिखित करते हुए कथन प्रस्तुत करेगा। जहां अवार्डर ऊपर वर्णित कथन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 64 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(9) जहां उप-नियम (8) में विहित रकम की कटौती नहीं की गयी है, अवार्डर अधिनियम में यथा-उपबंधित शास्ति के लिए दायी होगा। ऐसे मामलों में संविदाकार उसके द्वारा किसी प्ररूप में संदाय की प्राप्ति की तारीख से अधिनियम में यथा-उपबंधित ब्याज की दर के साथ उक्त रकम के संदाय के लिए दायी होगा।

(10) जहां इन नियमों के अधीन या किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन संविदाकार को किये गये संदाय की रकम से कटौती-योग्य रकम नहीं है, संविदाकार धारा 20 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार किसी अन्य व्यवहारी के समान ऐसी रकम निक्षिप्त करायेगा।

(11) अवार्डर प्ररूप मूपक-41 अभिप्राप्त करने के लिए, उसमें यथाउपबंधित रीति में विभाग की शासकीय वेबसाईट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से उसके निर्धारण प्राधिकारी को प्रारंभिक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(12) अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस की अनुपालना के अध्यधीन रहते हुए, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, विभाग की शासकीय वेबसाईट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप से घोषणा प्रपत्र मूपक-41 का जनन करते हुए व्यवहारी को अनुज्ञा देगा और ऐसी अनुज्ञा की सूचना, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से, अवार्डर को संसूचित की जायेगी।

(13) अवार्डर प्ररूप मूपक-41 के जनन के लिए अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् उसमें यथा उपबंधित रीति में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से घोषणा प्ररूप मूपक-41 के जनन के लिए एक पश्चात्वर्ती आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(14) उप नियम (13) में यथा-उपबंधित आवेदन के प्रस्तुत करने के पश्चात् सिस्टम उप-नियम 15 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप मूपक-41 जनित करेगा।

(15) सिस्टम, घोषणा प्ररूप मूपक-41 के जनन के लिए उप-नियम (12) के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् घोषणा प्ररूप मूपक-41 इलेक्ट्रोनिक रूप से जनित नहीं करेगा, जहां अवार्डर सरकारी खजाने में उसके द्वारा कटौती की गयी रकम निक्षिप्त कराने में या प्ररूप 40ङ में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(16) जहां कोई अवार्डर प्ररूप मूपक-41 के जनन के पश्चात् यह पाता है कि उसने उपर्युक्त वर्णित प्ररूप को जनित करते समय असत्य विशिष्टियां या कोई भी अन्य सूचना भर दी है, और उसे परिशोधित करने का आशय रखता है तो वह, ऐसे प्ररूप के जनन के नब्बे दिन के भीतर उसके द्वारा दी गयी असत्य विशिष्टियां या कोई भी अन्य सूचना को उसमें वर्णित करते हुए जिसके संबंध में वह विशिष्टियों या किसी भी अन्य सूचना को परिशोधित और सही करना चाहता है, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी भी अधिकारी को जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी यह समाधान होने पर कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सिस्टम में ऐसा प्ररूप रद्द करेगा और अवार्डर को नये सिरे से प्ररूप जनित करने के लिए अनुज्ञा देगा।''

**19. नियम 40क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 40क हटाया जायेगा।

**20. नियम 67 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 67 हटाया जायेगा।

**21. नियम 67क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 67क हटाया जायेगा।

**22. नियम 67ख का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 67ख हटाया जायेगा।

**23. नियम 68 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 68 हटाया जायेगा।

**24. नियम 69 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 69 हटाया जायेगा।

**25. नियम 69क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 69क हटाया जायेगा।

**26. नियम 70 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 70 हटाया जायेगा।

**27. नियम 71 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 71 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**71. गलती की परिशुद्धि के लिए आवेदन.-** अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन गलती की परिशुद्धि के लिए इलेक्ट्रोनिक रूप में प्ररूप मूपक-57 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।''

**28. नियम 72 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान उप-नियम 72 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थिापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''72. एक-पक्षीय निर्धारण को पुनः खोले जाने के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन एक-पक्षीय आदेश को पुनः खोले जाने के लिए कोई आवेदन, अधिकारिता रखने वाले उप-आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्ररूप मूपक-58 में विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा आवेदन उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निस्तारित किया जायेगा।''

**29. नियम 79क का अन्तःस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 79 के पश्चात् और नियम 80 के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

**''79क. वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट का उपयोग करने की सहमति.-** कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी लोग-इन आईडी के रूप में अपने टिन और उसके द्वारा सृजित पासवर्ड का उपयोग करके नामांकरन करने के पश्चात् विभाग की शासकीय वेबसाइट में यथा-उपबंधित रीति में वचनबंध प्रस्तुत करके विवरणियों, आवेदनों के प्रस्तुतीकरण और नोटिसों, संसूचनाओं या सूचनाओं की प्राप्ति सहित विभाग से अपने शासकीय व्यवहार के लिए वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देगा। ऐसा व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से ऐसे वचनबंध की प्रति जनित करेगा और इस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ऐसे व्यवहारी द्वारा विभाग की शासकीय वेबसाइट पर ऐसा वचनबंध प्रस्तुत करने के सात दिन के भीतर, किसी नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित वचनबंध, निर्धारण प्राधिकारी को या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

**30. प्ररूप मूपक-01 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों में संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक 01 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**''प्ररूप मूपक 01**
**(नियम 12(2) देखिए)**
**रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

प्रेषिती,

| | |
|---|---|
| समुचित अधिनियम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाने का आशय है पर सही का निशान लगाए | राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 |
| | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 |
| | राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 |
| | राजस्थान (होट्लों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यवहारी का नाम | | | | | | |
| | क्या अप्रवासी व्यवहारी है | हाँ / नहीं | | | | | |
| 2. (i) | कारबार के मुख्य स्थान का पता | | | | | | |
| (ii) | भवन सं./नाम/क्षेत्र | | | | | | |
| (iii) | नगर/ शहर | | | | | | |
| (iv) | जिला(राज्य) | | | | | | |
| (v) | पिन कोड | | | | | | |
| (vi) | ई-मेल आईडी | | | | | | |
| (vii) | अनुकल्पी ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) | | | | | | |
| (viii) | मोबाइल संख्या | | | | | | |
| (ix) | दूरभाष संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो) | | | | | | |
| (x) | फैक्स संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो) | | | | | | |
| 3. | व्यवहारी का स्थायी खाता संख्या (पेन) (एकल स्वामित्व के मामले में स्वत्वधारी को आवंटित पेन का उल्लेख किया जाये) | | | | | | |
| 4. | **कारबार प्रारम्भ करने की तारीख** | | | | | | |
| | राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 | दि | दि | मा | मा | व | व |
| | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 | दि | दि | मा | मा | व | व |
| | राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश | दि | दि | मा | मा | व | व |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पर कर अधिनियम, 1999 | | | | | | |
| | राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 | दि | दि | मा | मा | व | व |
| 5. | **तारीख, जिससे रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी है** | | | | | | |
| | राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 | दि | दि | मा | मा | व | व |
| | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 | दि | दि | मा | मा | व | व |
| | राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 | दि | दि | मा | मा | व | व |
| | राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 | दि | दि | मा | मा | व | व |
| 6. | आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक वर्ष में क्रय किये गये माल का वास्तविक मूल्य, माल की स्टाक प्राप्तियां। (उस व्यवहारी द्वारा भरा जायेगा जो प्र.क.स्था. क्षे, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का आशय रखता है। | | | | | | |
| 7. | क्या धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प दे रहा है | हां/नहीं | | | | | |
| | यदि नहीं, | | | | | | |
| (i) | क्या छूट प्राप्त माल के विक्रय का आशय रखता है | हां/नहीं | | | | | |
| (ii) | क्या धारा 5 के अधीन एकमुश्त कर संदाय का विकल्प देने का आशय रखता है | हां/नहीं यदि हां तो प्रशमन स्कीम (स्कीमों) का नाम | | | | | |
| (iii) | क्या विक्रयों की आवलि में प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल का विक्रय करने का आशय रखता है और माल पर प्रथम बिन्दु पर कर लग चुका है। | हां/नहीं यदि हां तो वस्तु का नाम | | | | | |
| (iv) | क्या अधिकतम खुदरा मूल्य पर कराधेय माल का विक्रय करने का आशय रखता है और ऐसे माल पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर लग चुका है। | हां/नहीं यदि हां तो वस्तु का नाम | | | | | |
| (v) | क्या धारा 8(3) के अधीन कर के स्थान पर छूट का विकल्प देने का आशय रखता है | हां/नहीं | | | | | |
| (vi) | क्या व्यवहारी उपर्युक्त (i) से (v) में उल्लिखित से भिन्न माल के विक्रय का भी आशय रखता है | हां/नहीं | | | | | |
| 8. | कारबार की प्रकृति | विनिर्माता/खुदरा विक्रेता/ लिजिंग/ थोक विक्रेता/ संकर्म संविदाकार/ निर्यातकर्ता/ अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें | | | | | |
| (i) | यदि विनिर्माता (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा | लघु/मध्यम/बृहत् | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | यथापरिभाषित) | |
| 9. | व्यवहृत/ व्यवहृत किये जाने के लिए प्रस्तावित वस्तुएं | क्रय/प्राप्त करने के आशय से और विक्रय करने के आशय से |
| 10. | कारबार का गठनः | स्वामित्व/भागीदारी/प्राईवेट लि. कम्पनी/ पब्लिक लि. कम्पनी/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/हि.अ. कु./ सहकारी सोसाइटी/क्लब/ न्यास/ केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/ अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें |
| 11. | स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों/कर्ता/न्यासियों या शासकीय निकाय के सदस्यों/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की विशिष्टियांः | |
| (i) | पूरा नाम | |
| (ii) | पिता/ पति का नाम | |
| (iii) | जन्म तिथि | |
| (iv) | हैसियत | |
| (v) | हित की सीमा (% में) | |
| (vi) | स्थायी पता | |
| (vii) | दूरभाष संख्या (यदि कोई हो) | |
| (viii) | मोबाईल संख्या | |
| (ix) | पेन | |
| (x) | ई-मेल आईडी | |
| (xi) | व्यक्ति के स्वामित्व में की समस्त स्थावर सम्पति या जिसमें उसका हित/ संयुक्त हित है, का ब्यौरा (पते सहित) | |
| (xii) | किसी अन्य कारबार (कारबारों), यदि कोई हो, में हित की विशिष्टियांः | |
| क | अन्य कारबार का नाम | |
| ख | अन्य कारबार का पूरा पता | |
| ग | टिन | |
| घ | केविक संख्या | |
| ङ | कारबार में हित की प्रकृति | |
| च | हित की सीमा | |
| (xiii) | किसी अन्य बन्द कारबार (कारबारों) में हित की विशिष्टियांः | |
| क | बन्द कारबार का नाम | |
| ख | बन्द कारबार का पूरा पता | |
| ग | रजिस्ट्रीकरण संख्या | |
| घ | बन्द करने की तारीख | |
| ङ | कारबार में हित की प्रकृति | |
| च | हित की सीमा | |
| 12. | प्रतिभू / प्रतिभूति बन्धपत्र का ब्यौराः | |
| क | प्रतिभू की दशा में | |
| I | प्रतिभू I के कारबार का नाम | |
| | टिन | |
| II | प्रतिभू II के कारबार का नाम | |
| | टिन | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ख | नकद/ रा.ब.प. द्वारा दी गयी प्रतिभूति की दशा में, उसका ब्यौरा | | | | |
| **क्र.सं.** | **रकम** | **सं.** | | **परिपक्वता की तारीख** | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| ग | बैंक प्रत्याभूति द्वारा दी गयी प्रतिभूति की दशा में, उसका ब्यौराः | | | | |
| 1. | बैंक प्रत्याभूति की रकम | | | | |
| 2. | बैंक प्रत्याभूति की प्रभावी कालावधि | | | | |
| 3. | बैंक का नाम और शाखा का पता | | | | |
| 13. | बैंक खाते के सम्बन्ध में जानकारीः | | | | |
| 1. | बैंक का नाम | | | | |
| 2. | शाखा का नाम और पता | | | | |
| 3. | खाता सं. | | | | |
| 4. | खाते का प्रकार | | | | |
| 5. | शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड | | | | |
| 14. | राज्य में भाण्डागार (भाण्डागारों) को सम्मिलित करते हुए कारबार की शाखा (शाखाओं) / अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के ब्यौराः | | | | |
| | | कारखाना | गोदाम/ भांडागार | शाखा(एं)/ अतिरिक्त स्थान | अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) |
| 1. | भवन सं./नाम/क्षेत्र | | | | |
| 2. | नगर/शहर | | | | |
| 3. | जिला (राज्य) | | | | |
| 4. | पिन कोड | | | | |
| 5. | ई–मेल आई.डी. (यदि कोई हो) | | | | |
| 6. | दूरभाष संख्या(एं) (यदि कोई हो) | | | | |
| 7. | फैक्स संख्या (यदि कोई हो) | | | | |
| 15. | राज्य के बाहर कारबार की शाखा (शाखाओं)/ अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौराः | | | | |
| 1. | भवन सं./ नाम/ क्षेत्र | | | | |
| 2. | नगर/ शहर | | | | |
| 3. | जिला (राज्य) | | | | |
| 4. | पिन कोड | | | | |
| 5. | ई–मेल आईडी (यदि कोई हो) | | | | |
| 6. | दूरभाष संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो) | | | | |
| 7. | फैक्स संख्या (यदि कोई हो) | | | | |
| 16. | कारबार प्रबंधक (प्रबंधकों) क ब्यौराः | | | | |
| 1. | कारबार प्रबंधक का नाम | | | | |
| 2. | भवन सं./ नाम/ क्षेत्र | | | | |
| 3. | नगर/ शहर | | | | |
| 4. | जिला (राज्य) | | | | |
| 5. | पिन कोड | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | ई-मेल आईडी | |
| 7. | ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) | |
| 8. | दूरभाष संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो) | |

**के.वि.क. अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विकल्प देने वाले व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया जाये**

| | | |
|---|---|---|
| 17. | रजिस्ट्रीकरण का प्रकार | धारा 7(1) के अधीन, धारा 7(2) के अधीन |
| 18. | अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में क्रय किये जाने वाले माल या माल के प्रवर्ग | पुनर्विक्रय के लिए |
| | | विक्रय हेतु माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए |
| | | खनन में उपयोग के लिए |
| | | विद्युत या पावर के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए |
| | | विक्रय/पुनर्विक्रय हेतु माल पैक करने में उपयोग के लिये। |

''

**31. प्ररूप मूपक-01क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-01 हटाया जायेगा।

**32. प्ररूप मूपक-06 क, प्ररूप मूपक-06 ख, प्ररूप मूपक-06 ग और प्ररूप मूपक-06 घ का अन्तःस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-06 के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप मूपक 07 से पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

**''प्ररूप मूपक-06 क**
**(नियम 16(3) देखिए)**
**कारबार को बन्द करने के लिए आवेदन**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **रजिस्ट्रीकरण सं. टिन** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **व्यवहारी का नाम** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1. कारबार को बन्द करने के कारण : समुचित खाने में √ निशान लगायें
   (क) कारबार का बंद किया जाना ☐
   (ख) कारबार का अन्तरण ☐
   (ग) रजिस्ट्रीकृत किये जाने और कर का संदाय करने के लिए अपेक्षित नहीं रहा है ☐
   (घ) कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
2. कारबार को बंद करने की तारीख ☐☐☐☐☐☐
3. ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख पर यदि कोई हो, पूंजी माल को सम्मिलित करते हुए बंद स्टॉक के ब्यौरेः

| **क्र.सं.** | **माल के प्रकार** | **मूल्य (रू. में)** | **चुकाया गया कर** | **दावा किया गया आ.क.मु.** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छूटप्राप्त माल | | | |
| 2. | अ. खु. मू. माल | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | प्रथम बिन्दु कराधेय माल | | | |
| 4. | 1 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | | |
| 5. | 5 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | | |
| 6. | 14 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | | |
| 7. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | | |
| 8. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | | |
| 9. | कुल | | | |

4. कारबार के स्थानांतरण की दशा में :
अंतरिती का नामः:
क्या अंतरिती रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) धारण करता है या नहीं
यदि हां, टिन

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः

**सत्यापन**

मैं सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः

**प्ररूप मूपक-06 ख**
**[नियम 17(3) देखिए]**
**धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प देने के लिए आवेदन**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **रजिस्ट्रीकरण सं. टिन** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **व्यवहारी का नाम** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1. धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प देने की तारीख☐☐☐☐
2. विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बंद स्टाक, यदि कोई हो, का ब्यौरा जिस पर राज्य के भीतर कर लग चुका हैः

| क्र.सं. | माल के प्रकार | मूल्य (रु. में) |
|---|---|---|
| 1. | 1 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 2. | 5 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 3. | 14 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 4. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 5. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 6. | कुल | |

3. विकल्प को प्रयोग में लाये जाने की तारीख पर आ.क.मु. का अतिशेष

4. विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बंद स्टाक, यदि कोई हो, का ब्यौरा जिस पर राज्य के भीतर कर नहीं लग चुका हैः

| क्र.सं. | माल के प्रकार | मूल्य (रू. में) | कर की रकम |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | |
| 2. | 5 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | |
| 3. | 14 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | |
| 4. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | |
| 5. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | | |
| 6. | कुल | | |

5. विकल्प के प्रयोग में लाये जाने की तारीख पर स्टॉक बंद करने पर निक्षिप्त कर के ब्यौरेः

| निक्षिप्त कर की रकम | निक्षेप की तारीख | जी.आर.एन./सी.आई.एन. |
|---|---|---|
| | | |

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः

**सत्यापन**

मैं सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी सत्यापित करता हूँ कि स्टाक बंद किये जाने पर उपभुक्त आगत कर मेरे द्वारा प्रतिवर्तित किया जा चुका है और स्टाक बंद किये जाने पर संदेय कर जो राज्य में पहले ही नहीं लगाया गया है मेरे द्वारा राजकीय खजाने में निक्षिप्त कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः

**प्ररूप मूपक-06 ग**

**[नियम 17(4) और (5) देखिए]**

**धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय से विकल्प वापस लेने के लिए आवेदन**

| **रजिस्ट्रीकरण सं. टिन** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **व्यवहारी का नाम** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1. धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के विकल्प वापस लिये जाने की तारीख ☐☐☐☐☐☐
2. धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के विकल्प वापस लिये जाने के कारणः समुचित खाने में ✓ का निशान लगायेंः
   (क) राजस्थान के बाहर माल का क्रय ☐
   (ख) राजस्थान के बाहर माल का विक्रय ☐
   (ग) विनिर्माण प्रारंभ किया जाना ☐

(घ) धारा 3(2) के अधीन विहित अधिक पण्यावर्त ☐
(ङ) अन्य ☐

3. ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख पर, बंद स्टाक के ब्यौरे, यदि कोई होः

| क्र.सं. | माल के प्रकार | मूल्य (रू. में) |
|---|---|---|
| 1. | छूट प्राप्त माल | |
| 2. | अ. खु. मू. माल | |
| 3. | प्रथम बिन्दु कराधेय माल | |
| 4. | 1 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 5. | 5 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 6. | 14 प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 7. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |
| 8. | .... प्रतिशत की दर पर कराधेय माल | |

4. धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के विकल्प के वापस लिये जाने की तारीख तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर के संदाय और पण्यावर्त के ब्यौरे :

| पण्यावर्त (रू. में) | निक्षिप्त कर (रू. में) |
|---|---|
| | |

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः

**सत्यापन**

मैं सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः

**प्ररूप मूपक-06 घ**
**[नियम 18(10) देखिए]**
**अ. खु. मू. पर पूर्ण दर से कर संदाय के विकल्प के लिए आवेदन**

| रजिस्ट्रीकरण सं. टिन | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व्यवहारी का नाम | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1. अ. खु. मू. पर पूर्ण दर से कर संदाय के विकल्प की तारीख ☐☐☐☐☐☐
2. माल जिसके लिए अ. खु. मू. पर पूर्ण दर से कर संदाय करने का विकल्प ईप्सित है :
   (i) अनुसूची 4 के क्र.सं. 43 में जैसा वर्णित है ड्रग्स और औषध।
   (ii) न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट, प्रोटीन सप्लिमेंट, और हैल्थ फूड को सम्मिलित करते हुए डायटरी सप्लिमेंट।
   (iii) औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के अधीन फार्मास्युटिकल उद्योगों द्वारा विनिर्मित टूथपेस्ट, साबुन और क्रीम।
   (iv) रसायनिक और उर्वरक।
   (v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः

**सत्यापन**

मैं सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः ''

**33. प्ररूप मूपक-07 क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-07 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**''प्ररूप मूपक-07 क**

[नियम 19 देखिए]

**[राज्य के भीतर और राज्य के बाहर किये गये क्रय का संक्षिप्त कथन]**

| रजिस्ट्रेशन नं. (टिन) | | | | | | | | वर्ष | इस विवरणी में आने वाली कालावधि | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | दि. | मा. | व. | से | दि. | मा. | व. | तक |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| व्यवहारी का पूरा नाम | |
| पता | |
| मोबाइल नं. | |
| ई-मेल पता | |

**भाग-1**

**(धारा 18(1) के अधीन अनुज्ञात किया गया आगत कर मुजरा जिस पर मूपक बीजक के विरुद्ध राज्य के भीतर पूंजीगत माल को सम्मिलित करते हुए किये गये क्रयों की विशिष्टियां)**

| क्र.सं. | टिन | विक्रय व्यवहारी का नाम | कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम | ऐसे क्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**भाग-2**

**(धारा 18(1) के अधीन अनुज्ञात नहीं किया गया आगत कर मुजरा जिस पर मूपक बीजक के विरुद्ध राज्य के भीतर पूंजीगत माल को सम्मिलित करते हुए किये गये क्रयों की विशिष्टियां)**

| क्र.सं. | टिन | विक्रय व्यवहारी का नाम | कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम | ऐसे क्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**भाग-3**
**(राज्य से बाहर किये गये क्रयों की विशिष्टियां)**

| क्र.सं. | टिन | विक्रय व्यवहारी का नाम | कालावधि के दौरान किये गये क्रयों की रकम | ऐसे क्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

"

**34. प्ररूप मूपक 08क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक 08क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**"प्ररूप मूपक 08क**
(नियम 19 देखिए)
**(मूपक बीजक के विरुद्ध विक्रय के संक्षिप्त कथन)**

| 01 रजिस्ट्रेशन नं. (टिन) | | | | | | | | वर्ष | इस विवरणी में आने वाली कालावधि | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **दि.** | **मा.** | **व.** | से | **दि.** | **मा.** | **व.** | तक |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| व्यवहारी का पूरा नाम | |
| पता | |
| मोबाइल नं. | |
| ई-मेल पता | |

**भाग 1**
**(रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को मूपक बीजक के विरुद्ध राज्य के भीतर किये गये विक्रय की विशिष्टियां)**

| **क्र.सं.** | **टिन** | **क्रय करने वाले व्यवहारी का नाम** | **कालावधि के दौरान किये गये विक्रय की रकम** | **ऐसे विक्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**भाग 2**
**(भाग 1 के अतिरिक्त मूपक बीजक के विरुद्ध राज्य के भीतर किये गये विक्रय की विशिष्टियां)**

| **क्र.सं.** | **कालावधि के दौरान किये गये विक्रय की रकम** | **ऐसे विक्रयों पर संदत्त या संदेय कर की रकम** |
|---|---|---|
| | | |

हस्ताक्षर :
स्थान : नामः
तारीख : हैसियतः "

**35. प्ररूप मूपक-10 का प्रतिस्थापन-**. उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**''प्ररूप मूपक-10**
**(नियम 19 देखिए)**
**विवरणी**

| **क.** | **साधारण जानकारीः** | |
|---|---|---|
| 1.1. | रजिस्ट्रीकरण संख्या (टिन): | |
| 1.2 | व्यवहारी का पूरा नाम | |
| 1.3 | कारबार के मुख्य स्थान का पता | |
| 1.4 | मोबाईल सं. | |
| 1.5 | ई-मेल आईडी | |
| 1.6 | विवरणी कालावधि | |

**ख. पण्यावर्त**

**ख1. कर दायित्व**

**1.1 धारा 8(3) के अधीन पण्यावर्त (संकर्म संविदा छू.प्र.)**

| क्र.सं. | अवार्डर का नाम | अवार्डर का टीडीएन | वर्क ऑर्डर की सं. | वर्क ऑर्डर तारीख | संकर्म संविदा का कुल मूल्य | छू.प्र. सं. | छू.प्र. की तारीख | छू.प्र. जारी करने वाला प्राधिकारी | अवार्डर से प्राप्त रकम | छू.प्र. फीस की दर | छू.प्र. फीस की रकम | ईसी फीस का निक्षेप | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | अवार्डर द्वारा | संविदा द्वारा |
| | क1 | क2 | क3 | क4 | क5 | क6 | क7 | क8 | ख | ग | घ | ङ | च |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | |

**1.2 रा.मू.प.क. अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन पण्यावर्त (प्रशमन स्कीम)**

| क्र.सं. | प्रशमन स्कीम का नाम | प्रशमन स्कीम के अधीन विवरणी कालावधि के लिए सकल पण्यावर्त | पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय प्रशमन रकम | विवरणी कालावधि के लिए संदेय प्रशमन रकम |
|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ |
| 1.2.1 | | | | |
| 1.2.2 | | | | |
| 1.2 | कुल | | | |

**1.3 धारा 3(2) के अधीन पण्यावर्त {धारा 3(2) से विकल्प वापस लेने की दशा में}**

| क्र.सं. | वस्तु | पण्यावर्त | कर की दर | कर की रकम |
|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ (खxग)/100 |
| 1.3 | | | | |

**1.4 अधिकतम खुदरा मूल्य पर कराधेय माल का विक्रय (राज्य के भीतर प्रथम विक्रय)**

| क्र.सं. | वस्तु | पण्यावर्त | अखुमू पर पण्यावर्त | कर की दर | कर की रकम |
|---|---|---|---|---|---|
| | क | ख1 | ख2 | ग | घ (ख2xग)/100 |
| 1.4.1 | | | | | |
| 1.4.2 | | | | | |
| 1.4 | कुल | | | | |

**1.5 कराधेय विक्रय**

| क्र.सं. | वस्तु | पण्यावर्त | इकाई/भार /मात्रा/माप | कर की दर/ इकाई/भार/मात्रा/ माप पर कर | कर की रकम |
|---|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग1 | ग2 | घ (खxग)/100 |
| 1.5.1 | | | | | |
| 1.5.2 | | | | | |
| 1.5 | कुल | | | | |

**1.6 नियम 22(1)(ग) के अधीन राज्य के भीतर कराधेय माल की विक्रय विवरणी (विवरणी कालावधि से भिन्न)**

| क्र.सं. | वस्तु | पण्यावर्त | कर की दर | कर की रकम |
|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ (खxग)/100 |
| 1.6.1 | | | | |
| 1.6.2 | | | | |
| 1.6 | कुल | | | |

**1.7 निर्गत कर**

| क्र. सं. | **ब्यौरा** | **पण्यावर्त** | **कर की रकम** |
|---|---|---|---|
| | क | ख (1.4+1.5-1.6) | घ (1.4+1.5-1.6) |
| 1.7 | | | |
| 1.7 | **शोध्य निर्गत कर** | | |

**1.8 पण्यावर्त जो कर का दायी नहीं है**

**1.8.1 नियम 22(2क) के अधीन पण्यावर्त (उप संविदाकारों के लिए)**

| क्र.सं. | संविदाकार का नाम (जिसको संकर्म अवार्ड किया गया है) | संविदाकार का टिन | छ.प्र. सं. | छ.प्र. जारी करने वाला प्राधिकारी | उप-संविदा करार की सं. और तारीख | काटा गया टीडीएस; यदि कोई हो | संकर्म संविदा का कुल मूल्य | उप-संविदा का मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क1 | क2 | क3 | क4 | क5 | क6 | क7 | ख |
| 1.8.1.1 | | | | | | | | |
| 1.8.1 | | | | | | | | |

| क्र.सं. | अन्य पण्यावर्त जो कर का दायी नहीं है | पण्यावर्त |
|---|---|---|
| | क | ख |
| 1.8.2 | अनुसूची-I में छूट-प्राप्त (राज्य के भीतर विक्रीत) | |
| 1.8.3 | रामूपक अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन अनुसूची-II में पूर्णतः छूट-प्राप्त | |
| 1.8.4 | रामूपक अधिनियम की धारा 8(4) के अधीन सेज या निर्यातों के उन्नयन के लिए किये गये विक्रय | |
| 1.8.5 | राज्य के बाहर क्रय किए गए और विक्रय किए गए माल का पण्यावर्त | |
| 1.8.6 | प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल का पण्यावर्त जिस पर पहले से ही कर लग चुका है | |
| 1.8.7 | राज्य में मालिक की ओर से विक्रीत माल का पण्यावर्त (प्ररुप मूपक 36क के विरूद्ध) | |
| 1.8.8 | रामूपक नियमों में यथा उपबंधित कटौतियों की रकम (संकर्म संविदाओं की दशा में) | |
| 1.8.9 | राज्य के भीतर निर्यातकों को विक्रय (प्ररूप मूपक 15 के विरूद्ध) | |
| 1.8.10 | अन्य जो मूपक के अधीन कर के दायी नहीं है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | |
| 1.8.11 | रामूपक के अधीन विवरणी कालावधि के भीतर विक्रय किये गये माल की विक्रय वापसी का पण्यावर्त | |
| **1.8** | कुल | |
| **ख 1** | **कुल पण्यावर्त ख (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.8)** | |

**ख2. क्रय कर**

| क्र.सं. | वस्तु | पण्यावर्त | की दर से क्रय कर के ब्यौरे | अन्य के लिए कर की दर | कर की रकम |
|---|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग1 | ग2 | घ |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 1.3 | | | | | |
| ख 2 | कुल | | | | |

**ख3. प्रतिवर्ती कर**

| क्र. सं. | संव्यवहार के ब्यौरे | वस्तु | पण्यावर्त | कर की दर | कर की रकम |
|---|---|---|---|---|---|
| | **क1** | **क2** | **ख** | **ग** | **घ** |
| 1.1 | क्रय किये गये माल की वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न) | | | | |
| 1.2 | धारा 18(1)(क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए क्रय किया गया माल और अननुज्ञेय आनुपातिक आगत कर मुजरा को सम्मिलित करते हुए अन्यथा व्ययनित | | | | |
| 1.3 | राज्य के बाहर विक्रय की दशा में (4 प्रतिशत तक) ..... प्रतिशत | | | | |
| 1.4 | धारा 3(2) के अधीन विकल्प बदलने | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (स्विच ओवर) की दशा में शेष स्टाक {नियम 17(3) देखिए} | | | | |
| 1.5 | किसी अन्य दशा में (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| ख3 | **कुल 1.2 से 1.5** | | | | |

**ख4.1.1 आगत कर और क्रयों के ब्यौरेः**

| क्र.सं. | वस्तु | मूपक को अपवर्जित करते हुए क्रय मूल्य | कर की दर | आगत कर |
|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ |
| 1.1.1 | | | | |
| 1.1.2 | | | | |
| 1.1.3 | | | | |
| 1.1.4 | | | | |
| 1.1.5 | | | | |
| 1.1 | कुल | | | |
| **1.2 पूंजीगत माल के क्रयः** | | | | |
| क्र.सं. | वस्तु | मूपक को अपवर्जित करते हुए क्रय मूल्य | कर की दर | आगत कर |
| 1.1.1 | | | | |
| 1.1.2 | | | | |
| **1.2** | कुल | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.3 | **कुल (1.1 से 1.2)** | |
| 1.4 | व्यवहारी द्वारा 7क में दावाकृत आगत कर मुजरा | |
| 1.5 | क्रय विवरणी (विवरणी कालावधि के भीतर क्रय किये गये) | |
| 1.6 | **कुल पात्र आगत कर मुजरा (1.4-1.5)** | |
| 1.7 | अग्रनीत आगत कर मुजरा की रकम (पूर्ववर्ती विवरणी से) | |
| 1.8 | उपलब्ध कुल आगत कर मुजरा (1.6+1.7) | |

**ग. केविक के अधीन पण्यावर्त और कर दायित्वः**

**1.1 केविक के अधीन कर दायित्व :**

| **क्र.सं.** | **विक्रय के ब्यौरे** | **वस्तु** | **पण्यावर्त** | **कर की रकम** |
|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ |
| 1.1.1 | 2 प्रतिशत की दर से प्ररुप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय | | | |
| 1.1.2 | ... प्रतिशत की दर से प्ररुप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय | | | |
| 1.1.3 | .... प्रतिशत की दर से प्ररुप ग के बिना अन्तरराज्यिक विक्रय | | | |
| 1.1.4 | राज्य के बाहर शाखा/डिपो/स्टाक अन्तरण विक्रय परेषण विक्रय (.... प्रतिशत की दर से प्ररुप च के बिना) | | | |
| 1.1.5 | केविक अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन पश्चात्वर्ती अन्तरराज्यिक विक्रय | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (प्ररुप ग/ङ 1/ङ 2 के बिना) | | | |
| 1.1.6 | केविक अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररुप ञ के बिना) | | | |
| 1.1.7 | केविक अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन सेज को किये गये अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररुप झ के बिना) | | | |
| 1.1.8 | ..... की दर से अन्य | | | |
| 1.1.9 | कुल (1.1.1 से 1.1.9) | | | |
| 1.1.10 | केविक अधिनियम की धारा 8(क) के अधीन कराधेय माल की विक्रय वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न) | | | |
| 1.1 | कुल केविक (1.1.9 -1.1.10) | | | |

**1.2 पण्यावर्त जो केविक के अधीन कर का दायी नहीं हैः**

| क्र.सं. | विक्रय के ब्यौरे | पण्यावर्त |
|---|---|---|
| 1.2.1 | केविक अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय (प्ररुप ज के विरूद्ध) | |
| 1.2.2 | केविक अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय | |
| 1.2.3 | राज्य के बाहर शाखा/डिपो/स्टाक अन्तरण विक्रय परेषण विक्रय (प्ररुप च के विरूद्ध) | |
| 1.2.4 | केविक अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन पश्चात्वर्ती अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररुप ग और ङ 1/ङ 2 के विरूद्ध) | |
| 1.2.5 | केविक अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररुप ञ के विरूद्ध) | |
| 1.2.6 | केविक अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन सेज को किये गये अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररुप झ के विरूद्ध) | |
| 1.2.7 | केविक अधिनियम के अधीन छूट-प्राप्त विक्रय | |
| 1.2.8 | अन्य कटौतियां, यदि कोई हो, (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | |
| 1.2 | कुल | |
| 1.3 | केविक अधिनियम के अधीन विवरणी कालावधि के भीतर विक्रीत माल की विक्रय वापसी का पण्यावर्त | |
| ग | कुल पण्यावर्त (1.1+1.2+1.3) | |

**घ- शोध्य कर और कर, ब्याज और विलम्ब फीस के निक्षेप के ब्यौरेः**

**1. संदेय कर** (संदाय का प्रवर्ग)

| | कालावधि | कर का प्रकार (मूपक/केविक) | शोध्य कर |
|---|---|---|---|
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| | कुल | | |

**2. निक्षेप के ब्यौरे-**(मूपक 37ख, मूपक 38, मूपक 41(स्त्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र), मूपक 25 (प्रतिदाय समायोजन आदेश) इत्यादि)

| से कर कालावधि | तक कर कालावधि | नियत तारीख | कर का प्रकार | निक्षिप्त कर | निक्षेप की तारीख | निक्षेप में विलम्ब | ब्याज की रकम | ब्याज के निक्षेप की तारीख | निक्षेप की रीति | विवरण | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | | |

**3. मूपक-41/ स्त्रोत पर कटौती को प्रमाणपत्रों का ब्यौराः**

| क्र. सं. | अवार्डर का नाम | मूपक -41 संख्या | संविदा मूल्य | अवार्डर से प्राप्त रकम | स्त्रोत पर कटौती की रकम | निक्षेप ब्यौरे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | चालान/ ई-चालान की सकल रकम | निक्षेप की तारीख |
| | | | | | | | |

**4. विलम्ब फीस के ब्यौरेः**

| | |
|---|---|
| विवरणी भरने की नियत तारीख | |
| विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख | |
| विलम्ब फीस की रकम | |
| विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख | |
| विक्षेप की रीति | |
| विवरण | |

**ङ. संदेय करः**

| **क्र.सं.** | **संदेय/आस्थगित कुल कर** | **रकम** |
|---|---|---|
| 1.1 | निर्गत कर (ख1-घ1.7) | |
| 1.2 | विक्रय बीजक के अनुसार संग्रहीत कर | |
| 1.3 | निर्गत कर (1.1 और 1.2 का अधिकतम) | |
| 1.4 | क्रय कर (ख2) | |
| 1.5 | प्रतिवर्ती कर (ख3) | |
| 1.6 | अन्य, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें) | |
| 1.7 | कुल कर (1.3 से 1.6) | |
| 1.8 | उपलब्ध कुल आगत कर मुजरा | |
| 1.9 | शुद्ध संदेय कर (1.7-1.8) | |
| 1.10 | प्रतिशत में आस्थगित कर (मूपक के अधीन) | |
| 1.11 | आस्थगित कर (मूपक के अधीन) | |
| 1.12 | संदेय रकम (+)/मुजरा योग्य (-)(1.9-1.11) | |
| 1.13 | छूट फीस (संकर्म संविदा की दशा में) (ख1.1घ) | |
| 1.14 | प्रशमन फीस (ख1.1.2घ) | |
| 1.15 | धारा 3(2) के अधीन पण्यावर्त पर संदेय कर {धारा 3(2) के विकल्प को वापस लेने की दशा में}(ख1.1. 3घ) | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.16 | कुल रकम संदेय (+)/मुजरा योग्य(-)(1.12+1.13+1.14+1.15) | |
| 1.17 | मूपक के अधीन निक्षिप्त रकम | |
| 1.18 | रकम संदेय (+)/मुजरा योग्य (-)(1.16-1.17) | |
| 1.19 | केविक अधिनियम के अधीन शोध्य कर (ग1.1) | |
| 1.20 | विक्रय बीजक के अनुसार संग्रहीत कर | |
| 1.21 | 1.20 और 1.21 का अधिकतम | |
| 1.22 | प्रतिशत में आस्थगित कर (केविक के अधीन) | |
| 1.23 | आस्थगित कर (केविक के अधीन) | |
| 1.24 | संदत्त प्रवेश कर का सैट आफ (केविक अधिनियम की धारा 8(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुएं जैसे पेपर, डाई और डाई स्टफ, टैक्सटाइल सहायक, खाद्य तेल के लिए केवल केविक के मामले में) | |
| 1.25 | निक्षिप्त किये जाने वाला केविक | |
| 1.26 | समायोजित किये जाने वाला मुजरा योग्य आगत कर मुजरा | |
| 1.27 | संदेय केविक (1.27-1.28) | |
| 1.28 | केविक के अधीन निक्षिप्त रकम | |
| 1.29 | संदेय/मुजरा योग्य शुद्ध कर (1.29-1.30) | |
| 1.30 | दावाकृत प्रतिदाय (यदि कोई हो) | |
| 1.31 | आगामी तिमाही के लिए आगे ले जाये जाने वाला आगत कर मुजरा | |

"

**36. प्ररूप मूपक-10क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-10क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"प्ररूप मूपक-10क**

{नियम 19 देखिये}

**वार्षिक विवरणी**

**भाग-क**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **साधारण जानकारीः** | | |
| 1.1 | व्यवहारी का नाम | | |
| 1.2 | कारबार के मुख्य स्थान का फैक्स, ई-मेल इत्यादि के साथ पता | | |
| 1.3 | दूरभाष सं./मोबाईल सं. | | |
| 1.4 | रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) | | |
| 1.5 | व्यवहारी की हैसियत (जैसे स्वामित्व/ भागीदारी/कम्पनी/ अन्य) विनिर्दिष्ट करें | | |
| 1.6 | वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में किया गया संशोधन, यदि कोई हो, का ब्यौरा | | |
| 1.7 | विवरणी के अधीन कालावधि (वित्तीय वर्ष) | | |
| 1.8 | कारबार की प्रकृतिः व्यापारी/विनिर्माता/ आयातकर्ता/ निर्यातकर्ता/ संकर्म संविदाकार/ पट्टाकर्ता/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | |
| 1.9 | संधारित लेखा पुस्तकों की सूची (यदि लेखा पुस्तकें | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कम्प्यूटर प्रणाली में संधारित की जाती हैं तो ऐसी प्रणाली द्वारा तैयार की गयी लेखा पुस्तकों का उल्लेख करें) | | |
| 1.10 | प्रचालित बैंक खातों की विशिष्टियां | | |

| बैंक का नाम | शाखा | खाता सं. | शाखा का आईएफएससी कोड |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.11 विभाग से अभिप्राप्त किये गये कानूनी प्ररूपों का लेखा

| प्ररूप का नाम | आरंभिक अतिशेष | अभिप्राप्त किये गये | योग | प्रयुक्त किये गये | रद्द किये गये | गुम हुए | अतिशेष | रकम (शब्दों में) जिसके लिए प्ररूप प्रयुक्त किये गये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

1.12 संचालित किये गये सर्वेक्षणों का ब्यौरा (र.प्र.जाँच से भिन्न), यदि कोई हो:

| प्राधिकारी जिसने सर्वेक्षण संचालित किया | सर्वेक्षण की तारीख | सर्वेक्षण के परिणाम |
|---|---|---|
| | | |

**भाग ख**

**2. व्यापार लेखाः**

| **ब्यौरे** | **रकम** | **ब्यौरे** | **रकम** |
|---|---|---|---|
| **क. आरंभिक स्टाकः** | | **क. विक्रयः** | |
| (i) छूटप्राप्त माल | | (i) केविक अधिनियम के अधीन विक्रय | |
| (ii) अ.खु.मू. का माल | | (ii) रामूपक अधिनियम के अधीन विक्रय | |
| (iii) प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल | | (iii) विक्रय विवरणी | |
| (iv) 1 प्रतिशत की दर से कराधेय माल | | **शुद्ध विक्रय** | |
| (v) 5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल | | **ख. बन्द स्टाकः** | |
| (vi) 14 प्रतिशत की दर से कराधेय माल | | (i) छूटप्राप्त माल | |
| (vii) .... प्रतिशत की दर से कराधेय माल | | (ii) अ.खु.मू. का माल | |
| (viii) .... प्रतिशत की दर से कराधेय माल | | (iii) प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल | |
| (ix) कार्य प्रगति में आरंभिक स्टाक का योग | | (iv) 1 प्रतिशत की दर से कराधेय माल | |
| **ख. राज्य के भीतर किये गये क्रयः** | | (v) 5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल | |
| (i) छूटप्राप्त माल | | (vi) 14 प्रतिशत की दर से कराधेय माल | |
| (ii) अ.खु.मू. का माल | | (vii) .... प्रतिशत की दर से कराधेय माल | |
| (iii) प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल | | (viii) .... प्रतिशत की दर से | |
| (iv) 1 प्रतिशत की दर से कराधेय | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| माल<br>(v) 5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(vi) 14 प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(vii) .... प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(viii) .... प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(ix) कार्य प्रगति में<br><br>**ग. राज्य के बाहर से किये गये क्रयः**<br>(i) छूटप्राप्त माल<br>(ii) अ.खु.मू. का माल<br>(iii) प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल<br>(iv) 1 प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(v) 5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(vi) 14 प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(vii) .... प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(viii) .... प्रतिशत की दर से कराधेय माल<br>(ix) कार्य प्रगति में<br>**कुल क्रय**<br>घटाइयेः क्रय डिस्काउण्ट, यदि कोई हो<br>घटाइयेः क्रय वापसी, यदि कोई हो<br>**शुद्ध क्रय**<br>**घ. व्ययः**<br>(i) प्रत्यक्ष व्यय<br>(ii) विनिर्माण व्यय<br>(iii) अन्य<br>**ङ. सकल लाभ** | | कराधेय माल<br>(ix) कार्य प्रगति में<br>कुल बन्द स्टाक<br>**ग. सकल हानि** | |
| **कुल** | | **कुल** | |

**3. राज्य के बाहर से परेषण/ स्टाक अन्तरण/ डिपो अन्तरण पर विक्रय के लिए प्राप्त माल का विवरणः**

| वस्तु | आरंभिक अतिशेष | | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| | | | | | | |

| वर्ष के दौरान विक्रीत | | अन्यथा व्ययनित | | अतिशेष | |
|---|---|---|---|---|---|
| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| | | | | | |

**4. कच्चे माल और तैयार माल के ब्यौरे (विनिर्माता की दशा में):**

| कच्चा माल | | | तैयार माल | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ब्यौरे** | **मात्रा** | **मूल्य** | **ब्यौरे** | **मात्रा** | **मूल्य** |
| आरंभिक अतिशेष | | | आरंभिक अतिशेष | | |
| वर्ष के दौरान क्रय | | | वर्ष के दौरान विनिर्मित | | |
| कुल | | | कुल | | |
| विनिर्माण में उपभुक्त | | | वर्ष के दौरान विक्रीत | | |
| प्रक्रियाधीन | | | | | |
| अन्यथा व्ययनित (कृपया ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | | अन्यथा व्ययनित (कृपया ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) | | |
| विनिर्माण प्रक्रिया में छीजत | | | | | |
| अतिशेष | | | अतिशेष | | |

**भाग ग**

**5. अन्य जानकारी:**

5.1 क्या रियायती दरों पर दावाकृत समस्त विक्रयों के लिये रा.मू.प.क. अधिनियम और नियमों के अधीन यथा-अपेक्षित समस्त घोषणाएं प्राप्त हो गयी हैं, यदि नहीं, तो ब्यौरा दें :

| क्र.सं. | कालावधि (मास/ तिमाही / वर्ष, जो लागू हो) | क्रेता व्यवहारी का नाम | रकम |
|---|---|---|---|
| | | | |

5.2 क्या मालिक से प्राप्त माल के विक्रयों के लिये रा.मू.प.क. अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित प्ररूप मूपक 36-क में समस्त घोषणाएं प्राप्त हो गयी हैं, यदि नहीं तो ब्यौरा दें:

| क्र.सं. | टिन सहित मालिक का नाम और पता | वस्तु | कुल विक्रय | निर्गत कर |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

5.3 क्या रियायती दरों पर दावाकृत समस्त विक्रयों के लिये के.वि.क. अधिनियम और नियमों के अधीन यथा-अपेक्षित समस्त घोषणायें प्राप्त हो गयी हैं, यदि नहीं तो ब्यौरा दें:

| क्र. सं. | कालावधि (मास/ तिमाही / वर्ष, जो लागू हो) | प्ररूप का नाम (ग, च, ड़-I, ड़-II, ज, झ, ञ) | क्रेता व्यवहारी का नाम | रकम (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**भाग घ**

**6. विक्रय विवरणी रजिस्टर:**

| क्र. सं. | विक्रय के ब्यौरे जिनमें से विक्रय विवरणी बनाई गई है | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूपक बीजक सं. | तारीख | जिनको जारी किया गया | माल का नाम | रकम | कर |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| विक्रय विवरणी के ब्यौरे | | | |
|---|---|---|---|
| दस्तावेज/चालान सं. द्वारा लौटाया गया माल | तारीख | रकम | कर |
| | | | |
| | | | |

**घोषणा**

मैं, ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

नाम

तारीख हस्ताक्षर और हैसियत''

**37. प्ररूप मूपक-11 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**''प्ररूप मूपक-11**
**(नियम 19 देखिए)**
**विवरणी**

| क. | **साधारण सूचना** | |
|---|---|---|
| 1.1 | रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) : | |
| 1.2 | व्यवहारी का पूरा नामः | |
| 1.3 | कारबार के मुख्य स्थान का पता | |
| 1.4 | मोबाइल संख्या<br>ई-मेल आईडी | |
| 1.5 | विवरणी कालावधि | |

**ख. पण्यावर्त**

**1.1 धारा 8(3) के अधीन पण्यावर्त (संकर्म संविदा छू.प्र.)**

| **क्र. सं.** | **अवार्डर का नाम** | **अवार्ड का कर कटौती सं.** | **कार्य आदेश संख्या** | **कार्य आदेश की तारीख** | **संकर्म संविदा का कुल मूल्य** | **छू. प्र. सं.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **क1** | **क2** | **क3** | **क4** | **क5** | **क6** |
| 1.1.1 | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | |
| 1.1.3 | | | | | | |

| **छू. प्र. की तारीख** | **छू. प्र. जारी करने वाला प्राधिकारी** | **अवार्डर से प्राप्त रकम** | **छू. प्र. फीस की दर** | **छू. प्र. फीस की रकम** | **छू.प्र. फीस निक्षेप** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **अवार्डर द्वारा** | **संविदा द्वारा** |
| **क7** | **क8** | **ख** | **ग** | **घ** | **ङ** | **च** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**1.2 रामूपक अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन पण्यावर्त (प्रशमन स्कीमें):**

| **क्र.सं.** | **प्रशमन स्कीम का नाम** | **प्रशमन स्कीम के अधीन विवरणी कालावधि के लिए सकल पण्यावर्त** | **पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय प्रशमन रकम** | **विवरणी कालावधि के लिए संदेय प्रशमन रकम** |
|---|---|---|---|---|

| | क | ख | ग | घ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | | | | |
| 1.2.2 | | | | |
| **1.2** | कुल | | | |

**1.3 उन व्यवहारियों द्वारा कराधेय विक्रय जिन्होंने धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया हैः**

| क्र.सं. | वस्तु | पण्यावर्त | कर की दर | कर की रकम |
|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ (खxग)/100 |
| **1.3** | | | | |

**1.4 अ.खु.मू. पर कराधेय माल का विक्रय (जिसमें प्रथम बिन्दु पर पहले से कर दे दिया गया है)**

| क्र.सं. | माल का पण्यावर्त जिस पर अ.खु.मू. पर कर संदत्त है | अ.खु.मू. पर संदत्त कर | कर का प्रत्युद्धरण | अतिशेष |
|---|---|---|---|---|
| | ख | घ1 | घ2 | ङ |
| 1.4.1 | | | | |
| 1.4.2 | | | | |
| **1.4** | कुल | | | |

**1.5 नियम 22(2क) के अधीन पण्यावर्तः (उप संविदाकार के लिए)**

| क्र.सं. | संविदाकार का नाम (जिसको संकर्म अवार्ड किया गया है) | संविदाकार का टिन | छू.प्र. सं. | छू.प्र. जारी करने वाला प्राधिकारी | उप-संविदा करार की सं. और तारीख | काटा गया टीडीएस; यदि कोई हो | संकर्म संविदा का कुल मूल्य | उप-संविदा का मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क1 | क2 | क3 | क4 | क5 | क6 | क7 | घ |
| 1.5.1 | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| क्र.सं. | विक्रय के ब्यौरे | पण्यावर्त |
|---|---|---|
| | क | ख |
| 1.6 | अनुसूची-1 में छूटप्राप्त (राज्य के भीतर विक्रीत) | |
| 1.7 | प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल का पण्यावर्त जिस पर पहले से कर दे दिया गया | |
| 1.8 | अनुज्ञेय विक्रय वापसी का पण्यावर्त | |
| **ख** | **कुल** | **ख(1.1+1.2+1.3+1.5+ 1.6+1.7-1.8)** |

**ग. कर दायित्व और निक्षेप का ब्यौराः**

**1.1 कर दायित्व**

| क्र.सं. | ब्यौरा | कराधेय पण्यावर्त | कर की रकम |
|---|---|---|---|
| | क | ख (1.1+1.2+1.3) | घ (1.1+1.2+1.3) |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | **संदेय करः** | | |

**1.2 संदेय कर** (संदेय का प्रवर्ग):

| | कालावधि | संदेय कर | संदेय ब्याज | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | | | | |
| 1.2.2 | | | | |
| 1.2.3 | | | | |
| 1.2.4 | | | | |
| | **कुल** | | | |

**1.3 निक्षेप के ब्यौरे-**(प्ररूप मूपक 37ख, प्ररूप मूपक 38, प्ररूप मूपक 41(स्त्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र), प्ररूप मूपक 25 (प्रतिदाय समायोजन आदेश) इत्यादि)

| कर कालावधि | | शोध्य तारीख | निक्षिप्त कर | निक्षेप की तारीख | निक्षेप में विलम्ब | ब्याज की रकम | ब्याज के निक्षेप की तारीख | निक्षेप की रीति | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| से | तक | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | |

**1.4 प्ररूप मूपक-41/ स्त्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र का ब्यौराः**

| क्र. सं. | अवार्डर का नाम | मूपक-41 संख्या | संविदा मूल्य | अवार्डर से प्राप्त रकम | स्त्रोत पर कटौती की रकम | निक्षेप ब्यौरे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | चालान/ई-चालान की सकल रकम | निक्षेप तारीख |
| | | | | | | | |

**1.5 विलम्ब फीस के ब्यौरेः**

| | |
|---|---|
| विवरणी भरने की शोध्य तारीख | |
| विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख | |
| विलम्ब फीस की रकम | |
| विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख | |
| विक्षेप की रीति | |
| विवरण | |

**घ अन्य सूचनाः**

**1.1 विवरणी कालावधि के लिए व्यापार लेखाः**

| विवरण | रकम (रु. में) | विवरण | रकम (रु. में) |
|---|---|---|---|
| आरंभिक अतिशेष | | विक्रय | |
| क्रय<br>घटाइयेः (i) क्रय वापसी<br>(ii) क्रय डिस्काउण्ट | | बन्द स्टाक | |
| व्यय | | सकल हानि | |
| सकल लाभ | | | |
| **कुल** | | **कुल** | |

**1.2 विभाग से अभिप्राप्त किये गये कानूनी प्ररूपों का लेखाः**

| प्ररूप | आरंभिक अतिशेष | अभिप्राप्त किये गये | कुल | प्रयुक्त किये गये | रद्द किये गये | गुम हुए | अतिशेष | रकम (शब्दों में) जिसके लिए प्ररूप प्रयुक्त किये गये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ |

''

**38. प्ररूप मूपक-12 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-12 हटाया जायेगा।

**39. प्ररूप मूपक-16 का हटाया जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-16 हटाये जायेंगे।

**40. प्ररूप मूपक-40 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप मूपक-40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**''प्ररूप मूपक-40**
**(नियम 40(1) देखिए)**
**अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र के लिए आवेदन**

**प्रेषिती,**
**निर्धारण प्राधिकारी**
**वृत्त .....**
**जोन .....**

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के लिए
   (क) टिन

| 0 | 8 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

   (ख) व्यवहारी का नाम

2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति के लिए
   (क) व्यक्ति का नाम

(ख) पदनाम

(ग) पता

3. सरकार के किसी विभाग, निगम, लोक उपक्रम, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय निकाय, कानूनी निकाय, स्वशाषी निकाय के लिए

(क) विभाग का नाम/निगम/लोक उपक्रम/सहकारी सोसाइटी/स्थानीय निकाय/कानूनी निकाय/ स्वशाषी निकाय

(ख) विभाग की ओर से कार्य करने के लिए विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

(ग) पदनाम

(घ) पता

उपर्युक्त समस्त द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

1. पैन

2. ई-मेल आईडी

3. बैंक खाते का ब्यौरा

| क्र. सं. | बैंक का नाम | आईएफएससी सहित शाखा का पता | बैंक खाता संख्या | खाते का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**सत्यापन**

मैं/हम ..... सत्यापित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना और उसके संलग्नक मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

स्थानः हस्ताक्षर

तारीखः

आवेदक(कों) के नामः
हैसियत के साथ मुहर

**41. प्ररूप मूपक-40क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-40क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**''प्ररूप मूपक-40क**
**(नियम 40(2) देखिए)**
**अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र**

कर कटौती संख्या (ककसं.) | | | | | | | | | | | | | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... (फर्म/संस्था का नाम), जिसके कारबार का मुख्य स्थान ..... पर स्थित है और टिन ..... है, के ..... (व्यवहारी/व्यक्ति का नाम), ..... (पदनाम) उपरोक्त यथा आवंटित कर कटौती संख्या के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रमाणपत्र जब तक कि रद्द नहीं किया जाये, प्रवृत्त रहेगा।

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम.....''

मुहर

**42. प्ररूप मूपक-40ख, मूपक-40ग, मूपक-40घ और मूपक 40ङ का अन्तःस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-40क के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप मूपक 41 से पूर्व, निम्नलिखित नये प्ररूप अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

**''प्ररूप मूपक-40ख**
**(नियम 40(3) देखिए)**
**अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र के रद्दकरण/प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने/प्रमाणपत्र के संशोधन के लिए आवेदन**

अवार्डर पहचान संख्या (अपसं.) | | | | | | | | | | | | | |

..... (यहां पर व्यवहारी/संगठन/विभाग का कथन करें) की ओर से मैं ..... निम्नलिखित कारणों के लिए आवेदन प्रस्तुत करता हूँः ☑जो लागू हो

1. ..... को जारी अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र के रद्दकरण के लिए चूंकि हमारा कर की कटौती करने का उत्तदायित्व समाप्त हो गया है।☐
2. अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए चूंकि मूल अवार्डर पहचान प्रमाणपत्र खो/ अस्थानस्थ/नष्ट हो गया है।☐
3. किसी भी परिवर्तन के लिए जो व्यवहारी की मूल हैसियत को परिवर्तित नहीं करताः☐
   कृपया नीचे परिवर्तन का उल्लेख करेंः
   .....
   .....

4. व्यवहारी की मूल हैसियत में परिवर्तन के लिएः
कृपया नीचे परिवर्तन का उल्लेख करेंः
.....
.....

5. अवार्डर द्वारा क्रियाकलाप को बंद करने के लिएः ☐

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः (प्राधिकृत व्यक्ति)

**प्ररूप मूपक-40ग**
**(नियम 40(7) देखिए)**
**कर कटौती नहीं किये जाने का प्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन**

**प्रेषिती,**
**निर्धारण प्राधिकारी**
**सर्किल.....**
**जोन .....**

मैसर्स ..... टिन ..... का मैं..... हैसियत....., निम्नलिखित संविदाओं के लिए कर कटौती नहीं किये जाने का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

| क्र. सं. | संविदा की तारीख | संविदा की प्रकृति और ब्यौरे | संविदा का कुल मूल्य | वह तारीख जिस तक जिम्मे ली गयी संविदा पूर्ण करनी है | अभियुक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः (प्राधिकृत व्यक्ति)

**सत्यापन**

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीख नामः
हैसियतः

**प्ररूप मूपक-40घ**
**(नियम 40(7) देखिए)**
**कर कटौती नहीं किये जाने का प्रमाणपत्र**

**प्रमाण पत्र सं.....** तारीख **.....**

यह प्रमाणपत्र मैसर्स.....(रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी का नाम), जो संकर्म संविदा का कारबार करता है, और जो रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है जिसका रजिस्ट्रीकरण से (टिन) ..... है तथा जिसके कारबार का मुख्य स्थान और कारबार का अतिरिक्त स्थान नीचे विनिर्दिष्ट पते पर है, को इसके द्वारा प्रदान किया जाता हैः

कारबार का मुख्य स्थान .....
कारबार का अतिरिक्त स्थान .....

यह प्रमाणपत्र मैसर्स ..... और इस प्रमाणपत्र के धारक के नीचे करार सं..... दिनांक ..... के अधीन निष्पादित संकर्म संविदा के लिए जारी किया गया है। यह निदिष्ट किया जाता है कि धारा 20 के अधीन संविदाकार को संदेय रकम के में से कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्ट संविदा के लिए कर के रूप में किसी रकम की कटौती नहीं करेगा।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीखः नाम
मुहर पदनाम.....

**प्ररूप मूपक-40 ङ**
**[नियम 40 (8) देखिए]**
**अवार्डर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली कर कटौती और संकर्म संविदा के ब्यौरे**

**प्रेषिती**

1. अवार्डर का नाम
2. अवार्डर पहचान संख्या
3. पता
   भवन सं/नाम/क्षेत्र
   नगर/शहर
   जिला (राज्य)
   पिन कोड ई-मेल आईडी
   मोबाइल संख्या(ऐं) फैक्स नम्बर
4. कालावधि के अधीन विवरणी

**भाग क**
**की गयी संकर्म संविदा की सूचना**

| क्र. सं. | संविदा की तारीख | संविदा की प्रकृति और ब्यौरा | संविदा का कुल मूल्य | संविदाकार का नाम और पता | संविदाकर का टिन | तारीख जिस तक संविदा को पूरा किये जाने का जिम्मा लिया गया है | संविदा के अधीन अवार्डर द्वारा प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा और उनका मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**भाग ख**
**अवार्डर द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरेः**

| क्र. सं. | संविदा की तारीख | संविदा की प्रकृति | संविदा का सकल मूल्य | बिल संख्या और तारीख | बिल की रकम | स्त्रोत पर कटौती की गई रकम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| संविदाकार को संदाय की जमा की वाउचर सं. और तारीख | चालान की सकल रकम और तारीख जिसको स्त्रोत पर कटौती की गयी और वाणिज्यिक कर विभाग के खाते में जमा करायी गयी | जी.आर. एन/सी.आई. एन. | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|
| | | | |

**भाग स**

**संविदाकार द्वारा निक्षिप्त, कर के ब्यौरे, यदि कोई हों:**

| क्र. सं. | संविदा की तारीख | संविदा की प्रकृति | संविदा का सकल मूल्य | बिल संख्या और तारीख | बिल की रकम | संविदाकार द्वारा निक्षिप्त रकम | संविदाकार द्वारा कर के निक्षेप तारीख | जी.आर. एन/सी. आई.एन. | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**भाग घ**

**संविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई कर कटौती नहीं प्रमाणपत्र की संख्या के ब्यौरेः**

| क्र. सं. | संविदा की तारीख | संविदा की प्रकृति | संविदा का सकल मूल्य | एन.टी.डी.एन. का प्रमाणपत्र सं. | एन.टी.डी.एन. के जारी किये जाने की तारीख | जारी करने वाला प्राधिकारी | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**सत्यापन**

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीख नामः
हैसियतः ''

**43. प्ररूप मूपक-41क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-41क हटाया जायेगा।

**44. प्ररूप मूपक-45क का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न मूपक 45क में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्राधिकारी का पदनाम'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''कार्यालय के नाम के साथ प्राधिकारी का पदनाम'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

**45. प्ररूप मूपक-58 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

**प्ररूप मूपक-58**

[नियम 72 देखिए]

**एक पक्षीय निर्धारण फिर से करने के लिए आवेदन**

प्रेषिती,
उप-आयुक्त (प्रशा.)
जोन .....

**रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कारबार का नाम | | | | | | | |
| 2. | पता | | | | | | | |
| | भवन सं./नाम/क्षेत्र | | | | | | | |
| | नगर/शहर | | | | | | | |
| | जिला (राज्य) | | | | | | | |
| | पिन कोड | | | | | | | |
| 3. | ई-मेल आईडी | | | | | | | |
| 4. | मोबाइल संख्या (ऐं) | | | | | | | |
| 5. | आदेश की तारीख, जिसे पुनः खोलना चाहा गया है। | | | | | | | |
| 6. | आदेश की तामील की तारीख | | | | | | | |
| 7. | निर्धारण प्राधिकारी का नाम | | | | | | | |
| 8. | निर्धारण प्राधिकारी का पदनाम | | | | | | | |
| 9. | एक-पक्षीय निर्धारण की कालावधि | | | | | | | |
| 10. | धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया | | | | | | | |
| 11. | क्या आपने आदेश के विरूद्ध अपील की है? | | | | | | | |
| 12. | आवेदन फाइल करने की तारीख | | | | | | | |
| 13. | कथित आदेश को पुनः खोलने के आधार | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

स्थानः
तारीख

हस्ताक्षर
नामः
हैसियतः

**सत्यापन**

मैं सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप की जानकारी और इसके संलग्नक (यदि कोई हों) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः
तारीख

हस्ताक्षर
नामः
हैसियतः ''

**46. प्ररूप मूपक-69, मूपक-70 और मूपक-71 का जोड़ा जाना.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप मूपक-68 के पश्चात् निम्नलिखित नये प्ररूप मूपक-69, मूपक-70 और मूपक-71 जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

**''प्ररूप मूपक 69**
**(नियम 17 क देखिए)**
**एक मुश्त राशि में कर का संदाय करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन**

प्रेषिति,
निर्धारण प्राधिकारी,

---

मैं दिनांक ..... से प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 17 के अधीन एक मुश्त राशि में कर का

संदाय करने के मंजूरी में लिए निम्नलिखित प्रकार से मेरा आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं:

मेरे कारबार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. टिनः
2. आवेदक का नामः
3. व्यवहारी का नामः
4. पताः
5. वस्तुएं जिनके लिए एक मुश्त राशि में कर का संदाय करने के विकल्प का प्रयोग किया गयाः
6. यदि नियम 17 के उप-नियम (3) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जा रहा हैः
   क. आवेदन की तारीख तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पण्यावर्तः
   ख. प्रभारिय या संग्रहीत कर (यदि कोई हो):
   ग. प्रशमन रकम जो कि शोध्य हैः
   घ. शोध्य प्रशमन रकम पर संदेय ब्याजः
   ङ. संदेय विलंब फीसः
   च. शोध्य रकम के निक्षेप की तारीखः
7. बंद स्टॉक जिस पर राज्य में कर लगाया जा चुका है (आवेदन की तारीख पर):
8. क्र.सं. 7 पर जैसा वर्णित है बंद स्टॉक प्रवर्तित किये जाने वाले आ.क.मु. की रकमः
9. बंद स्टॉक सि पर राज्य के भीतर कर नहीं लगाया गया हैः
10. क्र.सं. 9 प जैसा वर्णित है बंद स्टॉक पर कर के निक्षेप के तारीखः

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा मैं/हम सुसंगत नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे।

स्थानः हस्ताक्षरः
तारीखः पदनामः

**प्ररूप मूपक 70**
**(नियम 17के देखिए)**
**एक मुश्त राशि में कर के संदाय का प्रमाणपत्र**

1. टिनः
2. आवेदक का नामः
3. नाम और पताः
4. ई-मेल पताः
5. मोबाइल संख्याः
6. वस्तुएं जिनके लिए एक मुश्त राशि में कर का संदाय करने मंजूरी दी गयी हैः

यह प्रमाणपत्र व्यवहारी द्वारा एक मुश्त राशि में कर का संदाय करने के विकल्प का प्रयोग किये जाने तक या व्यवहारी द्वारा कारबार बंद किये जाने तक या प्रमाणपत्र रद्द किये जाने तक, जो भी पहले हो, तक प्रवृत्त रहेगा।

स्थानः हस्ताक्षरः
तारीखः पदनामः

**प्ररूप मूपक 71**
**(नियम 17के देखिए)**
**एक मुश्त राशि में कर के संदाय से बाहर आने का विकल्प प्रयोग करने के लिए आवेदन**

प्रेषिति,
निर्धारण प्राधिकारी,

_____

_____

मैं दिनांक ..... से, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 17क के अधीन एक मुश्त राशि में कर के संदाय से बाहर आने के विकल्प का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः

मेरे कारबार के ब्यौरे निम्नानुसार हैंः

1. टिनः
2. आवेदक का नामः
3. व्यवहारी का नामः
4. पता
5. वस्तुएं जिनके लिए कर का संदाय एक मुश्त राशि में करने के विकल्प का प्रयोग किया गया हैः
6. कारबार के ब्यौरे (विकल्प का प्रयोग किये जाने की तारीख पर):
   क. वर्तमान वित्तीय वर्ष का पण्यावर्तः
   ख. प्रशमन रकम जो शोध्य हो गयी हैः
   ग. शोध्य प्रशमन रकम पर संदेय ब्याज (यदि कोई हो):
   घ. संदेय विलम्ब फीस (यदि कोई हो):
   ङ. शोध्य रकम के निक्षेप की तारीखः
7. वस्तुओं का बंद स्टॉक जिस पर एक मुश्त राशि में कर के संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया हैः

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा मैं/हम सुसंगत नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे।

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षरः
पदनामः ''

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-9]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.32.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची-1 में,

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

" 

| | | |
|---|---|---|
| 5. | किसी स्कूल शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा विहित या शैक्षिक प्रयोजन के लिये प्रयुक्त पुस्तकें, कार्यपुस्तकें, मानचित्र, चार्टस एवं ग्लोब को सम्मिलित करते हुए पिरियोडिकल्स और जरनल्स | अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए |

"

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 39 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

| | | |
|---|---|---|
| 39. | टेक्सटाइल और फेब्रिक जिन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उदग्रहणीय था किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गयी, जिसे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 की अनुसूची-1से वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा तत्पश्चात हटा दिया, इस अधिनियम की अनुसूची-4 की प्रविष्टि सं. 204 और 205 में उल्लिखित माल को छोडकर | |

"

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 55 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"

| | | |
|---|---|---|
| 55. | रूपये 1000/- प्रति मद तक ब्लू पॉटरी और कठपुतली को सम्मिलित करते हुए हैण्डीक्राफ्ट्स | |

"

(iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 98 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"

| | | |
|---|---|---|
| 98. | तेल रहित चावल की भूसी | अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए |

"

(v) विद्यमान क्रम संख्यांक 137 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(vi) इस प्रकार हटायी गयी विद्यमान क्रम संख्यांक 137 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

| | | |
|---|---|---|
| 138. | बायोगैस | |
| 139. | रीठा और शिकाकाई | |

"

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-10]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.33.**–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 38 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 66 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 67 और उसकी प्रविष्टियाँ जोडी जायेंगी, अर्थात् :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| " | 67. | हब स्थापित करने वाली किसी एयरलाइन को या राज्य के शहरों को जोडने वाली किसी एयरलाइन को ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी | " |

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-11]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.34.**–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा ऐसी एयरलाईन को, जो राज्य में "हब" स्थापित करती है या राज्य में एक स्थान से राज्य में अन्य स्थान पर अनुसूचित या गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें चलाती है, ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर संदेय कर से, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों पर इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(i) राज्य में हब स्थापित करने वालों से भिन्न एयरलाईनों के मामले में, एक स्थान से राज्य में दूसरे स्थान पर अनुसूचित या गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों के लिए किसी वायुयान में भरे गये ए.टी.एफ. पर ही छूट उपलब्ध होगी।

(ii) किसी 'हब' को केवल तभी स्थापित किया गया समझा जायेगा यदि एयरलाईन का राज्य में प्रत्येक रात्रि को न्यूनतम 3 वायुयानों का विराम है।

(iii) विक्रेता व्यवहारी क्रय करने वाली एयरलाईन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी, इससे संलग्न प्ररूप में प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और उसे अपने निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

**प्रमाणपत्र**

मैं, ..... (नाम) ..... (एयरलाईन) का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैसर्स ..... ..... दिन ..... से ..... वर्ष ..... को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ..... रू. की रकम के एवियेशन टरबाईन फ्यूल का क्रय किया गया है और अधिसूचना सं. ..... दिनांक ..... के अनुसार उपयोग किया गया है।

स्थान .....
तारीख .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-12]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.35.-**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-4 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची-4 में,

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 93 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 105 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

" 

| | | | |
|---|---|---|---|
| 105. | काट्रिज को छोड़कर प्रिंटिंग इंक किन्तु टोनर, एल्यूमिनीयम प्लेट, ग्राफिक आर्ट फिल्म तथा प्लास्टर फिल्म को सम्मिलित करते हुए | 5 | अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए |

"

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 126 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| 126 | जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मैथी, अजवाइन, सूवा, अमचूर, असालिया, कथौडी, हींग और सौंठ को सम्मिलित करते हुए मसाले (जब अमिश्रित और पाउडर या कुटे हुए या पेस्ट के रूप में चाहे खुले या पैकेटों में विक्रीत किये जाये) | 5 | |

"

(iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 126क और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(v) विद्यमान क्रम संख्यांक 137 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझाा जायेगा, अर्थात्:-

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| 137. | पावर टूल्स और उनके पुर्जो को सम्मिलित करते हुए टूल्स | 5 | अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए |

"

(vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 144 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

(vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 193 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| 193. | डेजर्ट कूलर्स, रूम कूलर्स और उनकी बॉडीज़ | 5 | |

"

(viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 201 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201. | स्टेनलैस स्टील वायर और स्टेनलैस स्टील वायर रॉड | 5 | अधिनियम की धारा 97क के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए |

"

(ix) विद्यमान क्रम संख्यांक 201 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| 202. | पकाया गया भोजन सिवाय जब तीन सितारा और इससे ऊपर के वर्गीकृत रेस्टोरेन्टों और होटलों और भारत सरकार द्वारा 'क्लासिक एवं ग्रेंड' प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत हैरिटेज होटल या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी समिति द्वारा ऊपर वर्णित प्रवर्गों के समतुल्य वर्गीकृत किये गये, हैरिटेज होटल में विक्रीत किया जाये | 5 | |
| 203. | 1000/- रू. प्रति मद से अधिक विक्रय मूल्य वाले ब्लू पॉटरी और कठपुतली को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के हैण्डीक्राफ्ट्स | 5 | |
| 204. | हैण्डलूम फर्नीशिंग से अन्यथा 100/- रू. प्रति मीटर या प्रति नग या प्रति सैट से अधिक के विक्रय मूल्य वाले टैक्सटाइल फर्नीशिंग | 5 | |
| 205. | 500/- रू. प्रति मीटर से अधिक विक्रय मूल्य वाले टैक्सटाइल शर्टिंग और सूटिंग | 5 | |

"

(x) भाग-क (सू.प्रौ. उत्पादों के प्रवर्ग के अधीन माल) में, विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियाँ हटायी जायेंगी।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-13]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.36.-**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम-2003 (2003 का अधिनियम संख्या 4) की धारा- 4 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-5 के स्थान पर इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**''अनुसूची-5**
**(धारा 4 देखिए)**
**14 प्रतिशत की दर से कराधेय माल**

| क्र. सं. | माल का विवरण | कर की दर | शर्तें, यदि कोई हों |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सभी प्रकार के सिन्थेटिक आसंजक, पॉलिमाइड आसंजक, रैजिन आसंजक, आसंजक सोल्युशन उदाहरणार्थ ऐरेलडाईट, क्विक फिक्स, बॉनटाइट, एल्फी। | 14 | |
| 2 | वायुशोधक (एयर प्यूरिफायर्स) और कपबोर्ड फ्रेशनर्स, परफ्यूम और डियोडोरायजर्स चाहे गंधयुक्त या गंधरहित हो। | 14 | |
| 3 | एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (किसी अन्य पदार्थ से बने हुए कम्पोजिट पैनल को सम्मिलित करते हुए) तथा कम्प्रेस्ड गैस या द्रवित गैस के लिए बने एल्युमिनियम कण्टेनर्स। | 14 | |
| 4 | एण्टी फ्रीजिंग निर्मितियां तथा तैयारशुदा डि-आईसिंग द्रव। | 14 | |
| 5 | कृत्रिम पुष्प, पत्तियाँ, फल और उसके भाग तथा कृत्रिम पुष्पों, पत्तियों या फलों से निर्मित वस्तुएं। | 14 | |
| 6 | (i) आयुध, गोलाबारूद तथा उसके भाग और उपसाधन।<br>(ii) माचिस (सैफ्टी मैचेज) को अपवर्जित करते हुए विस्फोटक, पायरोटैकनिक उत्पाद, पायरोफेरिक अलॉय और कतिपय ज्वलनशील निर्मितियां। | 14 | |
| 7 | किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा एल्युमिनियम, पीतल, कांसा, ताम्बा, केडमियम, सीसा, श्वेत धातु, जर्मन सिल्वर या जस्ते से निर्मित वस्तुएं। | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा हाथी दांत, सींग, नारियल खोल, पुआल (स्ट्रॉ), बांस, बैंत, रोजवुड, चंदन लकड़ी और अन्य लकड़ी से निर्मित वस्तुएं। | 14 | |
| 9 | ट्रेक्टर, एक्सकेवेटर, अर्थमूविंग मशीन्स और अन्य मशीनों में प्रयुक्त बैट्रियों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की बैट्रियां। | 14 | |
| 10 | सभी प्रकार का बिटुमिन। | 14 | |
| 11 | वायर ब्रश को छोड़कर शेविंग ब्रश, हेयर ब्रश, नेल ब्रश, आईलेश ब्रश, टूथब्रश, पेण्ट ब्रश, शू ब्रश, टॉयलेट ब्रश और डस्टिंग ब्रश को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के ब्रश । | 14 | |
| 12 | बॉयलर, भाप या अन्य वाष्पजनित बॉयलर, सेण्ट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स, सुपर हीटेड वाटर बॉयलर्स, औघोगिक या प्रयोगशाला भट्टियां तथा ओवन जिसमें इन्सिनिरेटर, नॉन इलेक्ट्रिक बॉयलर और उनके भाग सम्मिलित है। | 14 | |
| 13 | (i) स्टिल इमेज कैमरा, विडियो कैमरा, विडियो कैमरा रिकॉर्डर, डिजीटल कैमरा और उनके भाग और उपसाधन को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कैमरा।<br>(ii) लाईटिंग नियन्त्रण परावर्तक, ट्राई-रिफलेक्टर्स, मोडिफायर्स, बैकग्राउण्ड्स, फोटोग्राफी में प्रयुक्त पर्दे, स्टूडियो लाईट और उनके भाग और उपसाधन को सम्मिलित करते हुए फोटोग्राफिक एनलार्जर्स, फ्लेश लाईट साधित्र, फोटोग्राफिक लैंस, फोटोब्लॉक्स, फोटो एलबम्स, स्टाम्प एलबम्स, फोटोमाउन्ट्स एवं स्टूडियो बैकग्राउण्ड्स।<br>(iii) फोटो फिल्म, रोल व प्लेट्स ।<br>(iv) फोटोग्राफिक रसायन और फोटोग्राफिक कागज को सम्मिलित करते हुए फोटोग्राफिक सामान ।<br>(v) विडियो कैमरा, प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर, एन्लार्जर, उनकी प्लेट्स को सम्मिलित करते हुए सिनेमेटोग्राफिक उपस्कर, साउण्ड रिकॉर्डिंग और रि- प्रोड्यूसिंग उपकरण और उनके भाग और उपसाधन, सिनेमेटोग्राफिक लेन्स, एक्सपोज्ड फिल्म, फिल्म स्ट्रीप, आर्क या सिनेमा कार्बन और सिनेमा स्लाईड । | 14 | |
| 14 | (i) सफेद सीमेण्ट और उसके स्थानापन्नों को सम्मिलित करते हुए सीमेण्ट ।<br>(ii) रेडी-मिक्स कंक्रीट, सीमेण्ट कंक्रीट मिक्सर, प्री-स्ट्रेस कंक्रीट पोल और स्ट्रक्चर, सीमेण्ट के लिए एडिटिव्ज, मोर्टार्स या कंक्रीट्स, सीमेण्ट और कंक्रीट की वस्तुएं, बिल्डिंग और अन्य संरचनाओं के प्री-फेब्रिकेटिड संरचनाएं।<br>(iii) वाटर प्रुफिंग रसायन, कम्पाउण्ड्स और शीट्स।<br>(iv) वेदर प्रुफिंग कम्पाउण्ड्स तथा इसी प्रकार की वस्तुएं। | 14 | |
| 15 | सिगारदानी और सिगरेटदानी, पाईप होल्डर, तम्बाकू पाईप, सिगरेट फिल्टर्स, सिगरेट लाइटर्स और हुक्का। | 14 | |
| 16 | (i) अनुसूची 4 की प्रविष्टी संख्या 202 में यथाउल्लेखित को छोड़कर पका हुआ भोजन। | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (ii) आईस-केण्डी, आईस-केक, आईसक्रीम, आईस जैली, फ्रोजन डिजर्ट, कुल्फी, आईसक्रीम कॉन।<br>(iii) चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य निर्मितियां।<br>(iv) ट्रेडमार्क्स एक्ट, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदित ब्राण्ड नेम के अधीन विक्रीत सभी प्रकार की कूकीज, पैस्ट्रीज, पैटीज, बिस्किट्स, केक को सम्मिलित करते हुए ब्राण्डेड बेकरी उत्पाद<br>(v) पिज्जा, बर्गर, हेमबर्गर, सेण्डविच, होटडॉग, नगेट्स।<br>(vi) गर्म और शीतल कॉफी पेय, इन्सटेण्ट कॉफी, एस्प्रेसो कॉफी, फ्लेवर्ड/नॉन फ्लेवर्ड चाय, आईस टी, मिल्क शेक, थिक शेक, आईसक्रीम शेक, फ्लेवर्ड मिल्क, फ्रूटपल्प ड्रिंक्स, स्कवेश को सम्मिलित करते हुए बेवरेजेज। (किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट बेवरेजेज को छोड़कर)<br>(vii) कॉर्न फलेक्स, व्हीट फलेक्स, कुरकुरे, पॉपकॉर्न और इसी तरह की वस्तुएं।<br>(viii) ट्रेडमार्क्स एक्ट, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदित ब्रांड नेम के अधीन जब चिप्स का विक्रय किया जाये।<br>(ix) ट्रेडमार्क्स एक्ट, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदित ब्राण्ड नेम के अधीन विक्रीत ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी जिसमें टॉफी, चॉकलेट, चुईंगम, बबलगम और हिमशीतित कन्फेक्शनरी, शूगर केण्डी जिसमें 90 प्रतिशत से कम चीनी की मात्रा हो और इसी तरह के उत्पाद सम्मिलित हैं।<br>(x) ओट मील, कस्टर्ड पाउडर, पेय और खाद्य पदार्थ के कन्सन्ट्रेट, बेकिंग पाउडर, बच्चों के लिए मिल्क फूड, आईसक्रीम पाउडर, इन्सटेन्ट सूप, नूडल्स, पास्ता, वडामिक्स, डोसामिक्स, ईडलीमिक्स, गुलाबजामुन मिक्स, आईसक्रीम मिक्स और सोफ्टी मिक्स, मंचुरियन मिक्स, जलजीरा मिक्स, चॉकलेट सॉस और अन्य चाईनीज खाद्य मिक्स और डिब्बा बन्द या तुरन्त खाने हेतु तैयार पैक्ड खाद्य पदार्थ।<br>(xi) कोको पेस्ट और कोको पाउडर।<br>(xii) सभी प्रकार का सिरका।<br>(xiii) मार्जरिन, टेबल मार्जरिन, वेजिटेबल बेकरी मार्जरिन, मायोनिस, सलाद ड्रेसिंग, ब्रेड इम्प्रूवर, केक जेल, खाद्य जिलेटिंग, फ्रूट ऑयल जैसे ग्रेप ऑयल, ऑरेन्ज ऑयल, लैमन ऑयल, लाईम ऑयल, कैरट ऑयल, लिव्ज ऑयल जैसे मिण्ट ऑयल, करीलीफ ऑयल।<br>(xiv) टमाटर प्यूरी, कैचअप, सभी किस्म और प्रकार के सॉस।<br>(xv) वातित और मिनरल जल को छोड़कर सभी प्रकार के हेल्थ ड्रिंक और अन्य नॉन एल्कोहॉलिक पेय जो किसी अन्य अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते हो।<br>(xvi) द्रव, गोली, पाउडर रूप में खाद्य सप्लीमेण्ट, एपीटाइजर चाहे वे फार्माकॉपिया मानकों के अनुसार बनी हो या अन्य प्रकार से बनी हों। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (xvii)आलू फ्लेक, हराभरा कवाब, शामी कवाब, चीज रोल, बर्गर, आलू टिक्की, सोया रोल को सम्मिलित करते हुए शाकाहारी या मांसाहारी स्नेक्स।<br>(xviii) सभी प्रकार के बेबी फूड सप्लीमेण्ट।<br>(xix) सोया मिल्क। | | |
| 17 | चाईना वेयर, ब्लेज अर्थन वेयर तथा पोर्सलिन से निर्मित वस्तुएं तथा ग्लासवेयर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की क्रॉकरी। | 14 | |
| 18 | (i) केक, तरल या पाउडर अवस्था में डिटर्जेंट, टॉयलेट साबुन, पेपर सोप, सभी तरह के सफाई मे प्रयुक्त पाउडर तथा तरल पदार्थ चाहे औषधि युक्त हो या नहीं, लॉण्ड्री ब्राइटनर्स, स्टेन बस्टर्स, स्टेन रिमूवर तथा ब्लीचिंग एजेण्ट, एल्कोहल युक्त टॉयलेटरी निर्मिति (किसी भी रूप या पैकिंग में ऑयल बेस्ड कपड़े धोने के साबुन को छोडकर जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य 60 रूपये प्रति किलोग्राम से कम हो)<br>(ii) प्रसाधन पेपर तथा टिश्यू पेपर।<br>(iii) एण्टीसेप्टिक/किटाणुनाशक/विसंक्रामक फर्श क्लीनर तथा टॉयलेट क्लीनर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के फर्श क्लीनर। | 14 | |
| 19 | (i) दरवाजे, खिड़कियां, सेक्शन विण्डो, रोशनदान, पार्टिशन, स्टेण्ड, रैलिंग, ग्रिल, ग्रिल सेक्शन, सीढियां (लेडर्स), गेट, चैनल गेट, तथा अन्य किसी पदार्थ से निर्मित संरचनाएं।<br>(ii) सभी प्रकार और किस्म के ताले, फर्नीचर लॉक, गेट लॉक, शटर लॉक, पेड लॉक, सेफ्टी लॉक और चाबियां।<br>(iii) हाइड्रोलिक डोर क्लोजर।<br>(iv) फाईबर ग्लास शीट, फाईबर ग्लास की वस्तुएं और फाईबर ग्लास टेप।<br>(v) कांच, कांच की शीट, दर्पण, कांच से निर्मित वस्तुएं, ग्लास पेविंग ब्लॉक, ग्लास स्लेब, ग्लास ब्रिक्स, ग्लास क्यूब्स, ग्लास टाईल्स, सेफ्टी ग्लास परावर्तन युक्त या रहित, टफण्ड ग्लास, लेमिनेटेड ग्लास, मल्टीपल वाल्ड इन्सूलेटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लास (किसी अन्य अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित वस्तुओं को छोड़कर)<br>(vi) सिरेमिक टाइल्स।<br>(vii) एसबेसटोस- सीमेण्ट तथा सेलुलोज फाईबर सीमेण्ट की वस्तुएं (किसी अन्य अनुसूची में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर)।<br>(viii) जिप्सम बोर्ड तथा अन्य फाल्स सिलिंग पदार्थ।<br>(ix) पत्थर की चौखट और कृत्रिम पत्थर की वस्तुओ को सम्मिलित करते हुये पत्थर से बनी वस्तुएं।<br>(x) स्केफ फोल्डिंग, शटरिंग या पिट-प्रोपिंग के लिए उपकरण। | 14 | |
| 20 | (i) डूप्लिकेटिंग मशीन, सभी प्रकार की फोटोकॉपी मशीनें जिसमें डूप्लिकेटर्स, डूप्लिकेट कॉपी प्राप्त करने हेतु अन्य साधित्र सम्मिलित है, कार्टरेज और उनके भाग और उपसाधन। | 14 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (ii) लेमिनेशन मशीन तथा स्पाइरल बाइडिंग मशीन<br>(iii) बार कोडिंग मशीन<br>(iv) बायो मैट्रिक मशीन, ई.पी.बी.एक्स सिस्टम, टाइम पंचिंग मशीन और इलेक्ट्रिकल पेपर कंटिंग मशीन<br>(v) फ्रेंकिंग, एड्रेस प्रिंटिंग, टेबुलेटिंग, सेल्स रजिस्टर मशीन, कैश रजिस्टर मशीन, चेक या ड्राफट लिखाई मशीन, अकाउटिंग मशीन, स्टेटिसटिकल मशीन, इन्डेक्सिंग मशीन, कार्ड पंचिंग मशीन, पेपर श्रेडिंग मशीन और फैक्स मशीन और उनके उपस्कर और साधित्र। | | |
| 21 | (i) विद्युत बल्ब, ट्यूबलाईट, डिस्चार्ज लैम्प या ट्यूब हेतु बेलास्ट और उनके भाग, अन्य तरह की लाईट्स जैसे झाडफानूस, हैंगिंग लाईट, टैबल लैम्प, फाल्स सिलिंग लाईट, कन्सीलड लाईट, गेट लाईट, गार्डन लाईट, डेकोरेटिव लाईट, हाई मास्ट लाईट, सर्च लाईट, स्पॉट लाईट और उनके भाग(सी.एफ.एल और एल.ई.डी बल्ब को छोडकर)<br>(ii) विद्युत पंखे, फ्रेश एयरफैन, एग्जास्ट पंखे, केबिन पंखे, टेबल पंखे, पेडेस्टल पंखे, रेलवे केरिज पंखे और एयर सर्कुलेटर्स<br>(iii) बिजली के घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर, ग्राईंडर, ज्यूसर, ब्लैंडर, फूड प्रोसेसर, मथनी, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर, माईक्रोवेव ओवन, सैंडविच मैकर, कूकिंग प्लैट, इंडक्शन कूकर, कर्ड मेकर, राइस कूकर, रोटी मेकर, हॉट प्लेट, हॉट फूड केबिनेट, वाशिंग मशीन, डिश वाशिंग मशीन, विद्युत केटली, विद्युत चिमनी और विद्युत इस्त्री।<br>(iv) गीजर, हीटर, इमरसन हीटर, इलेक्ट्रिक इन्सटेनटिनियस या स्टोरेज वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक स्पेस हिटिंग साधित्र, हैन्ड ड्रायर, हैयर ड्रायर, हैयर कर्लर, इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन, शेवर्स, हैयर रिमूविंग डिवाइस, हैयर ट्रिमर, हैयर कटिंग मशीन, नेल कटर, मसाज साधित्र।<br>(v) सभी प्रकार के इनवर्टर, अनइन्ट्रपटेड पावर सप्लाई(यू. पी.एस), होल्डर्स, प्लगस, सॉकेट, स्विच, केसिंग, केपिंग, जैक्स, कनेक्टर्स, रिपर्स, बैण्डस, कपलिंग बॉक्स, मीटर बॉक्स, स्वीच बॉक्स, फयूज स्वीच बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फैन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, मीटर बोर्ड, स्वीच बोर्ड, पेनल बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सिंगल फैजिंग प्रिवेन्टर, वूडन प्लग, लाईटनिंग अरेस्टर्स, इलेक्ट्रिकल्स अरथनवेयर और पोर्सलिन वेयर, सभी प्रकार के सर्किट ब्रेकर, स्टार्टर्स, चोक, पावर सप्लाई सूचक,ज्वाईंटिंग मेटेरियल, हीटींग ऐलीमेन्ट, जनरल लाईटिंग सिस्टम(जी.एल.एस), लैम्प, प्रोटेक्टर, स्टैण्ड, फिक्सचर, फिटिंग, बैटन को सम्मिलित करते हुये सभी प्रकार का विद्युत सामान जो बिजली के उत्पादन, प्रसारण वितरण या बिजली के उपभोग से संबंधित हो। | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (vi) विद्युत मोटर, डेल्टा स्टार्टर को छोडकर स्टार्टर, कंट्रोल पैनल।<br>(vii) आडियो और विडियो केसेट टैप रिकार्डर, कॉम्पेक्ट डिस्क राईटर, विडियो केसेट प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, एम्पलिफायर, होम थियेटर, ग्राफिक इक्वलाइजर, सिंथेसाइजर, ट्यूनर, डेक, रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड चैंजर, रिकॉर्डेड कॉम्पेक्ट डिस्क (सी.डी), डी.वी.डी. और ब्लू रे डिस्क, सी.डी. प्लेयर, डी.वी.डी. प्लेयर, ब्लू रे डिस्क प्लेयर, ब्लूटूथ, ट्रांजिस्टर, रेडियो, एफ.एम प्लेयर, एम. पी.3 प्लेयर, एम.पी.4 प्लेयर और इनके घटकों, स्पेयर पाटर्स और उपसाधनों को सम्मिलित करते हुये इलेक्ट्रोनिक सिस्टम, उपकरण, साधित्र और एपलाइंसेस(राजस्थानी आडियो / विडियो म्यूजिक केसेट जिसमें सी.डी. डी.वी.डी सम्मिलित है, को छोडकर)।<br>(viii) विडियो गेम, कम्पयूटर गेम तथा इलेक्ट्रोनिक गेम और उनके साधित्र जिसमें उनके कलपुर्जे और उपसााधन सम्मिलित है।<br>(ix) एल.सी.डी, एल.ई.डी, प्लाजमा और स्मार्ट टेलिविजन सेट को सम्मिलित करते हुये सभी प्रकार के टेलिविजन सेट उनके भाग उनके भाग और उपसाधन, सेट टॉप बॉक्स।<br>(x) घंटी, साईरन, इंडिकेटर पैनल, बर्गलर अलार्म को सम्मिलित करते हुये ध्वनि या दृश्य सिगनलिंग साधित्र।<br>(xi) लाउड स्पीकर, डिक्टाफोन, एम्पलीफायर और इसी के समान आवाज रिर्काडिंग व रिप्रोड्यूसिंग उपकरण, माईक, स्टैण्ड, स्पीकर, कनेकटिंग कोर्ड उनके भागों और उपसाधनों को सम्मिलित करते हुये ध्वनि प्रसारण उपकरण।<br>(xii) मुद्रा गणक मशीन और मुद्रा परीक्षण मशीन।<br>(xiii) इलेक्ट्रोनिक खिलौने।<br>(xiv) प्रेशर के अधीन कॉफी बनाने के साधित्र जिन्हे सामान्यतः एस्प्रेसो के रुप में जाना जाता है, टी-मेकर, कॉफी-मेकर, शेक-मेकर मशीन और सोडा मेकर ।<br>(xv) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक इंण्डस्ट्रियल एप्लायंसेज या उपस्कर, वैडिंग मशीन, इलेक्ट्रिक हीटिंग रेजिस्टर, इलेक्ट्रो- थर्मल फ्लूड हीटर और उनके कलपुर्जे और उपसाधन।<br>(xvi) इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण उपकरण। | | |
| 22 | सभी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे और रंगीन माचिस। | 14 | |
| 23 | प्लास्टिक, रबर या अन्य कृत्रिम पदार्थ से निर्मित फ्लोर कवरिंग। | 14 | |
| 24 | सभी प्रकार के फ्लोर वाइपर व फ्लोर मोप्स | 14 | |
| 25 | (i) चमडे से निर्मित फुटवियर<br>(ii) चमडे से भिन्न सामान से निर्मित फुटवियर (हवाई चप्पल और स्ट्रेप्स, पूर्णतः मोल्डेड प्लास्टिक से निर्मित | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | फुटवियर, रु. 500 से कम अधिकतम खुदरा मूल्य के फुटवियर और देशी जूतियों को छोडकर) | | |
| 26 | फर, फर युक्त स्किन और फर और स्किन से निर्मित वस्तुऐं। | 14 | |
| 27 | किसी भी सामग्री से निर्मित फर्नीचर चाहे असेंम्बल रूप में या अनअसेम्बल रूप में हो लेकिन असेम्बल किये जाने हेतु तैयार, चाहें पूर्ण रुप से निर्मित या अनिर्मित या अर्द्धनिर्मित रूप में विक्रय किया जाता हो (आफिस फर्नीचर व प्लास्टिक मोल्डिड फर्नीचर को सम्मिलित करते हुये परन्तु सरकण्डो से निर्मित मुढो को छोडकर)<br>स्पष्टीकरणः- स्लाटेड एंगल, गसेट्स, प्लेट्स, पैनल व स्ट्रीप जब उन्हें फर्नीचर या उपकरण के रुप में असेंम्बल किया जाता है तो वह परिस्थति अनुसार फर्नीचर या आफिस उपकरण की क्षेणी में माना जायेगा। | 14 | |
| 28 | गैस गीजर्स, गैस स्टोव, कूकिंग रेंज, गैस भ्टटी और अन्य स्टोव, बर्नर, गैस कैप, रेगुलेटर्स, गैस कम्प्रेसर्स, गैस ट्यूब, गैस वाल्व और इनके भाग और उपसाधन। | 14 | |
| 29 | गैसे, द्रवित या अद्रवित, किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से वस्तुओं के अलावा | 14 | |
| 30 | उपहार वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं, शील्ड और प्रतीकचिन्ह। | 14 | |
| 31 | सभी प्रकार के डीजल जनरेटर सेट, आल्टरनेटर और उनके भाग | 14 | |
| 32 | ग्लो साइन बोर्ड और नियोन साइन बोर्ड | 14 | |
| 33 | (i) हैल्थ फिटनेस और जिम्नास्टिक उपकरण।<br>(ii) फैट लूजिंग बेल्ट, बॉडी वाइब्रेटिंग आइटम, एक्यूप्रेशर मशीन,मॉर्निंग वाकर और इसी प्रकार के उपकरण | 14 | |
| 34 | इन्सूलेटेड वेयर और विक्रय के समय ग्राहक की सुविधा के लिये काम में आने वाली इसी तरह की वस्तुएं जिसमें थैली (कैरी बैग्स) भी सम्मिलित है | 14 | |
| 35 | ग्लासवेयर, तापरोधी कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर, किसी भी सामग्री से निर्मित केसरोल को सम्मिलित करते हुये किचनवेयर और मोड्यूलर किचन और उसकी बास्केट। | 14 | |
| 36 | लाईफ जेकेट और लाईफ बेल्ट | 14 | |
| 37 | लिफ्ट, एलीवेटर, होइसट और एसकेलेटर्स चाहे विद्युत, हाईड्रोलिक और यांत्रिक और भाप शक्ति से चालित हो | 14 | |
| 38 | द्रविकृत पेट्रोलियम गैस(घरेलू उपयोग के अलावा) | 14 | |
| 39 | (i) लुब्रिकेन्ट ऑयल, ग्रीस, ब्रेक ऑयल और कूलेन्ट<br>(ii) कटिंग ऑयल, नटबोल्ट रिलीज प्रिपरेशन, एन्टीरस्ट अथवा जंगरोधी निर्मितियां एवम् लुब्रिकेण्ट पर आधारित मोल्ड रिलीज निर्मितियां और इसी तरह का निर्मिति जो ऑयल और ग्रीस ट्रीटमेन्ट में काम आता हो, को शमिल करते हुए लुब्रिकेन्ट निर्मितियां । | 14 | |
| 40 | (i) कॉयर या बोन्डेड रबड या फोम या स्प्रिंग से निर्मित मेट्रेस, हवा और फोम के तकियें, फेदरफील्ड तकियें, पफेज, कुशन्स एवम् स्लीपिंग बेग्स।<br>(ii) फोम या रबड या प्लास्टिक फोम या किसी अन्य सिंथेटिक फोम से निर्मित सभी प्रकार की शीट्स | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | एवम् अन्य वस्तुएं।<br>(iii) ड्रेप्स और इन्टीरियर ब्लाईण्डस, शॉवर करटेन या बेड बेल्सेन्सेज, फुट मेट्स, होम फर्नीशिंग सामग्री (कॉयर से विनिर्मित के अतिरिक्त)। | | |
| 41 | (i) इलेक्ट्रोनिक या नॉन इलेक्ट्रोनिक मैजरिंग डिवाईसेज जिसमें सम्मिलित हैं-<br>(क) वर्नियर केलीपर्स, स्क्रू गेज, डेफ्थगेज, कॉटिंग थिकनेस गेज, डॉयल इन्डीकेटर, मिटुटोवा सिलेण्डर गेज, प्रीसीजन थ्रेड रिंग गेज, प्रिसीजन प्लग गेज, कलर कम्पेरेटर, औद्योगिक थर्मामीटर तथा इनके भाग और उपसाधन।<br>(ख) डिपिंग मेजर्स, पोरिंग मेजर्स, कोनीकल मेजर्स, सिलेण्ड्रिकल्स मेजर्स।<br>(ग) मीटर स्केल्स, मेजरिंग टेप्स, सर्वे चेन्स किन्तु अनुसूची-4 में वर्णित वस्तुओं को छोडकर।<br>(ii) फोटोग्रामेट्रिकल सर्वेईंग, हाईड्रोग्राफिक, ओशनोग्राफिक, हाईड्रोलोजिकल, मिटियोरोलोजिकल या जीओफीजिकल उपकरणों एवम् एप्लायन्सेसों को सम्मिलित करते हुए रेन्ज फाईण्डर्स, थियोडोलाईट्स और टेक्नोमीटर्स को सम्मिलित करते हुए सर्वेयिंग उपकरण एवं साधित्र।<br>(iii) वैज्ञानिक उपकरणों एवम् लैब उपस्कर जैसेकि ऑप्टीकल्स उपकरणों, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, साईन्टिफिक बैलेन्स, अकाउस्टिक उपकरणों और मेकेनिकल उपकरणों जैसे माईक्रोस्कोप, डायरेक्शन फाईण्डिग कम्पास, अन्य नेवीगेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस् और साधित्र, एरोनोटिकल अथवा स्पेश नेवीगेशन्स के लिये इन्स्ट्रूमेन्टस् ओर साधन, ईको साउण्डिंग इन्स्ट्रूमेन्टस्, फिटिंग टू आर्म्स के लिए टेलीस्कोपिक साइटस्, पेरिस्कोप, लेजर्स, लेजर डॉयोड्स को छोड़कर तथा किसी अन्य अनूसूचि में सम्मिलित वस्तुओं को छोड़कर ।<br>(iv) बॉयनोकूलर, मोनोकूलर, ओपेरा ग्लासेज, आप्टिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनोमिकल इन्स्ट्रूमेन्टस्, माईक्रोस्कोप्स, आप्टिकल लेंसेज (स्पेक्टेकल्स लेन्सेज को छोडकर) । | 14 | |
| 42 | मेटल डिटेक्टर्स, माईन डिटेक्टर्स एवम् सेफ्टी उपस्कर। | 14 | |
| 43 | विद्युत पावर मीटर, पानी के मीटर, भाडा मीटर, गैस मीटर, आउटसाईड माईक्रोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, पेडोमीटर इत्यादि को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मीटर । | 14 | |
| 44 | मच्छरदानी, बर्ड नेट एवम् फिश नेट । | 14 | |
| 45 | (i) मच्छरों के सभी प्रकार के रिपेलेण्ट्स, इस प्रयोजन हेतु इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोनिक उपकरण और उनके रिफिल सम्मिलित हैं।<br>(ii) कॉकरोच नाशक, मच्छर नाशक, चूहा नाशक और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं।<br>(iii) मच्छर और मक्खी नाशक उपकरण।<br>(iv) लाइट ट्रेप्स तथा फिरोमोन ट्रेप्स। | 14 | |
| 46 | संगीत यंत्र जो किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट न हो। | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47 | नेमप्लेट्स, इल्युमिनिटेड नेमप्लेट्स, एड्रेस प्लेट्स, साईन प्लेट्स, इल्युमिनिटेड साईन तथा अन्य समरुप प्लेट्स, नम्बर्स, अक्षर व अन्य प्रतीक जो किसी भी वस्तु से निर्मित हो । | 14 | |
| 48 | प्राकृतिक एवम् संश्लेषित ऐशेंशियल ऑयल जो किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हो । | 14 | |
| 49 | (i) पेन्ट्स, इनैमल, सीमेन्ट आधारित वॉटर कलर, ड्राई डिस्टेम्पर, ऑयल आधारित डिस्टेम्पर्स, ऐकेलिक और प्लास्टिक इमलशन पेन्ट्स को सम्मिलित करते हुए इमलशन पेन्ट्स, सेलूलोज लेक्यूइयर्स को शामिल करते हुए लेक्यूइयर्स, वार्निशज सभी प्रकार के संश्लेषित आसंजक, सभी प्रकार की पॉलिश, बेल तेल, व्हाईट तेल, डबल बोईल्ड लिंसिड तेल, सभी प्रकार के पेन्ट रिमूवर और सभी प्रकार के वॉल पेपर्स।<br>(ii) फ्रेन्च पॉलिश, बिटूमिनस और कोलतार ब्लैक्स।<br>(iii) सेलूलोस लेक्यूइयर्स, नाईट्रो-सेलूलोज लेक्यूइयर्स और किसी भी रूप में ऑटो लेक्यूइयर्स<br>(iv) प्राकृतिक एवम् संश्लेषित, ड्रांईग और सेमी-ड्राईंग तेल जैसे डबल बोईल्ड लिन्सिड ऑयल, ब्लोन लिन्सिड तेल, स्टेण्ड तेल, सल्फ्यूराईज्ड लिन्सिड तेल, परिल्ला तेल, व्हैल तेल एवम् टुंग तेल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार से थिनर और डाईल्युऐन्टस ।<br>(v) ग्लेजियर्स पुट्टी, ग्राफ्टिंग पुट्टी, रेजिन सीमेन्ट्स, काल्किंग कम्पाउण्ड्स और अन्य मेस्टिक्स, पेन्टर की फीलिंग्स तथा फेकेड इन्डोर वॉल्स और फाल्स सीलिंग के लिये नॉन रिफ्रेक्ट्री सर्फेशिंग निर्मिमियां।<br>(vi) सभी प्रकार के प्राईमर ।<br>(vii) वॉल पुट्टी ।<br>(viii) पेन्ट रोलर और पेन्ट गन ।<br>(ix) ऐब्रेसिव पेपर (रेगमाल) | 14 | |
| 50 | पान चटनी, माउथ फ्रेशनर्स, मेन्थोल, पीपरमेन्ट और इस प्रकार की वस्तुएं । | 14 | |
| 51 | पॉलिश, पॉलिश क्रीम, वेक्स पॉलिश और अन्य समान निर्मितियां (मोम को छोड़कर )।<br>(i) चमड़ा, फुटवीयर, पत्थर, लकड़ी, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, ग्लास, मेटल, स्काउरिंग पेस्ट्स पाउडर और अन्य समान प्रिपरेशन्स के लिए पॉलिश और क्रीम, ।<br>(ii) शू-व्हाईटनर और कलरेन्ट।<br>(iii) कार पॉलिश, कार शेम्पू और स्क्रेच रिमूवर। | 14 | |
| 52 | (i) प्लास्टिक माल जो ट्रेड मार्क एक्ट,1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या आवेदित ब्रांड के नाम से विक्रीत किया जाता है।<br>(ii) रुपये 200/- से अधिक मूल्य की अन-ब्राण्ड्रेड प्लास्टिक घरेलू वस्तुएं ।<br>(iii) सभी प्रकार की प्लास्टिक ग्रिल । | 14 | |
| 53 | (i) प्लाई और प्लाईवुड, फ्लश् डोर्स, हार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड, ग्रास बोर्ड, एम.डी.एफ. बोर्ड, पार्टीकल बोर्ड, ब्लॉक | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बोर्ड, इन्शूलेशन बोर्ड, लेमीनेटेड बोर्ड, बेटन बोर्ड, हार्ड या सॉफ्ट फाल्स सिलिंग, फ्लोर बोर्ड और अन्य सभी प्रकार की लकड़ी के समान बोर्ड चाहे उनमें लकड़ी से भिन्न कोई सामग्री समाविष्ट हो या ना हो।<br>(ii) सभी प्रकार के विनियर ।<br>(iii) एक्सपेन्डेड पोलिस्ट्रिन को सम्मिलित करते हुए लेमिनेटेड बोर्ड और सभी प्रकार और किस्म की शीट्स, सभी प्रकार की माईका, सनमाईका, फोरमाईका, डेकोलेम, वर्क्ड माईका और माईका की वस्तुएं जिसमें एग्लोमेरेटेड या पुर्नगठित माईका सम्मिलित है चाहे वो पेपर, पेपर बोर्ड या अन्य सामग्री के सपोर्ट पर हो या नहीं। | | |
| 54 | बच्चों की पुश चेयर और उसके कलपुर्जे, उपसाधन और घटक को सम्मिलित करते हुए प्रीएम्बूलेटर । | 14 | |
| 55 | (i) प्लान्ट और मशीनरी जो विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, हाईड्रोडायनिमिक और भाप शक्ति, डीजल या पेट्रोल, फर्नेश तेल, केरोसीन, कोक और चारकोल को सम्मिलित करते हुए कोयला और अन्य किसी प्रकार की ईंधन या शक्ति से चलित हों उसके भाग और उपसाधन (किसी अन्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित माल को छोड़कर) ।<br>(ii) हॉटमिक्स प्लान्ट, पेवर फिनिशिंग मशीन और रोड रोलर । | 14 | |
| 56 | रोलिंग शटर्स और कालेप्सिबल गेट्स चाहे वह मेनुअली, यांत्रिक या विद्युत संचलित हों और उनके भाग। | 14 | |
| 57 | ट्वाइन, कोर्डेज, रोप्स और केबल को सम्मिलित करते हुए रस्सा और रस्सी, आयरन रोप्स चाहे वह प्लेटेड या ब्रेडेड हो या न हो और चाहे वह इम्प्रिगनेटेड, कॉटेड, कवर्ड या रबड या प्लास्टिक के साथ शीथड हो या न हो (प्राकृतिक रेशे से निर्मित रस्से को छोडकर)। | 14 | |
| 58 | रबड उत्पाद, सिन्थेटिक रबड उत्पाद और प्राकृतिक और सिन्थेटिक रबड के सम्मिश्रण से निर्मित उत्पाद, जो अन्य किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हों । | 14 | |
| 59 | मार्बल, पत्थर, धातु या अन्य किसी वस्तु से निर्मित मूर्ति (पत्थर या मार्बल या क्ले या प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियों और क्लें लेम्पस् को छोड़कर)। | 14 | |
| 60 | (i) सभी प्रकार के सेनेटरी वेयर्स, वॉश बेसिन, पेडेस्टल, बिडेट्स्, वाटर क्लोसेट पेन, फ्लशिंग सिस्टन, यूरीनल, कमोड्स, सिन्क और सभी प्रकार की सामग्रीयों से निर्मित बाथ टब ।<br>(ii) सभी प्रकार की बाथ फिटिंग्स और फिक्चर्स, टोंटी, वॉल्व, कोक्स, शॉवर, मिक्चर और अन्य बाथरुम उपसाधन और उसके भाग। | 14 | |
| 61 | सेनेटरी नेपकीन्स, बेबी नेपकीन्स, फ्रेशनर टिश्यु नेपकिन्स और सभी प्रकार के डायपर्स । | 14 | |
| 62 | सेकीन । | 14 | |
| 63 | प्रिन्टेड डिजायन पी.वी.सी. शीट को सम्मिलित करते हुए | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पी.वी.सी. शीट । | | |
| 64 | सुरक्षा प्रणाली, सी.सी.टी.वी. कैमरा, इन्फ्रारेड कैमरा और उपकरण, जी.पी.एस. और ट्रेकिंग सिस्टम्स्, फॉयर अलार्म एवम् थेफ्ट अलार्म । | 14 | |
| 65 | स्ट्रांग रुम या वॉल्ट डोर्स और वेन्टीलेटर्स, आर्मोड या री-इन्फोर्स्ड तिजोरी, स्ट्रांग बॉक्स और दरवाजे, केश चेस्ट, केश या डीड बॉक्सेज, वॉल कॉफर्स, सेफ डिपोजिट लाकर्स, लाकर केबीनेट्स और स्टील अलमारी । | 14 | |
| 66 | सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रेवलिंग बेग्स (प्लास्टिक मोल्डेड या नही), डिस्पेच केसेज, पर्स, हैण्ड बैग्स, वेनिटी बैग्स, वेनिटी केसेज और वेनिटी बॉक्सेज, स्ट्रोली और सॉफ्ट लगेज वस्तुएं । | 14 | |
| 67 | (i) औषधियुक्त और एन्टीसेप्टिक निर्मिति चाहे वह ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक या यूनानी हो, को सम्मिलित करते हुए टेलकम पाउडर, प्रिकली हीट पाउडर, सेन्डलवुड पाउडर ।<br>(ii) औषधियुक्त और एन्टीसेप्टिक निर्मिति चाहे वह ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक या यूनानी हो, को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के शेम्पू, हेयर और बॉडी क्लीनिंग पाउडर, क्रीम, लोशन या लिक्विड और हेयर ग्रूमिंग उत्पाद ।<br>(iii) औषधियुक्त और एन्टीसेप्टिक प्रिपरेशन चाहे वह ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक या यूनानी हो, को सम्मिलित करते हुए हेयर ऑयल जिसमें बादाम ऑयल, आंवला आयल, सेण्डलवुड ऑयल, नारियल तेल और अन्य ऑयल जैसे कियो कार्पिन, हेयर एण्ड केयर, डाबर वाटिका सम्मिलित है ।<br>(iv) औषधियुक्त और एन्टीसेप्टिक प्रिपरेशन चाहे वह ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक या यूनानी हो, को सम्मिलित करते हुए फेस क्रीम और बॉडी क्रीम, फेस लोशन और बॉडी लोशन, फेसपेक्स, क्लीनसिंग लिक्विड और मोईश्चर्स ।<br>(v) मेक-अप सामग्री, लिपिस्टिक, नेल-पॉलिश, नेल-वार्निश, नेल-पेन्ट्स्, नेल पॉलिश रिमूवर, आई-लाईनर, आई-लेशेज, आंख और होंठो की मेक-अप निर्मितियां, मेनी-क्योर एवम् पेडी-क्योर सामग्री और उपस्कर।<br>(vi) पर्सनल डियोड्रेन्ट्स और एन्टी-पर्सपायरेन्ट्स्, परफ्युम और अन्य बाथ निर्मिति, सेन्ट, स्नो एण्ड क्रीम, इयू-डी-कोलोन, सॉलिड कोलोन्स, काम्पलेक्सन रुज, हेयर डॉईज और कलर, हेयर फिक्चर्स, हैयर स्प्रेयर, हैयर रिमूवर, हैयर क्रीम और अन्य समान उत्पाद चाहे वह औषधियुक्त हो या नही।<br>(vii) टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर, डेन्टीफ्राईसेस, माउथ वॉश चाहे वह औषधियुक्त हो या नही और टंग क्लीनर ।<br>(viii) पेशेवर सौन्दर्य प्रसाधन उपकरण।<br>(ix) शेविंग सेट, सेफ्टी रेजर, रेजर ब्लेड, रेजर काट्रिज, शेविंग क्रीम, फोम, जैल, साबुन, आफ्टर शेव लोशन, प्री-शेव, शेविंग या आफ्टर शेव निर्मितियां। | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68 | टिम्बर और लकड़ी (सफेदा, आडूशा एवम् जलाऊ लकड़ी को छोड़कर) ।<br>स्पष्टीकरण- किसी भी आकार या प्रकार के लकड़ी, लट्ठे, प्लेंक, राफ्टर को सम्मिलित करते हुए टिम्बर। | 14 | |
| 69 | सोलर टार्च को छोड़कर टॉर्च लाईट व उसके बल्ब । | 14 | |
| 70 | (i) ट्रेसिज, लीड्स, नी-पेड्स, मज्लस, सेडल क्लाथ्स्, सेडल बैग्स, डॉग कॉट्स और इसी प्रकार की वस्तुऐं जिनकी बाहरी सतह चमड़ा/कम्पोजीशन चमड़ा/ पेटेन्ट चमड़ा से युक्त हो ।<br>(ii) थैले और केसेज, बैल्ट, वॉलेट्स, सेचल्स, ज्वैलरी बॉक्स, और लेदर/कम्पोजीशन लेदर के अपैरेल और क्लोथिंग ऐसेसरीज जैसे- जैकेट्स, ग्लब्ज,मिटेन्स एवम् खेलों में प्रयुक्त होने वाले मिट्स ।<br>(iii) मशीनरी के लिये चमडे की बेल्टिंग को छोड़कर चमड़ा/कम्पोजीशन लेदर से बनी वस्तुऐं जो मशीनरी और मेकेनिकल एप्लायन्सेज और अन्य तकनीकी प्रयोग में आती है, । | 14 | |
| 71 | हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, हैवी लोडर, व्हील लोडिंग शॉवेल और इसी प्रकार के उपकरणों को सम्मिलित करते हुए वाहनों के टायर, ट्यूब और फ्लेप्स (साईकिल, ट्राई-साईकिल, साईकिल रिक्शा, ट्रेक्टर, पावर टिलर्स, थ्रेशर्स और हार्वेस्टर्स और व्हील-चेयर्स में प्रयुक्त टायर, टायर-ट्यूब और फ्लेप्स को छोड़कर) | 14 | |
| 72 | सभी प्रकार और विवरण के वैक्यूम फ्लास्क, उनकी रिफील्स को सम्मिलित करते हुए प्लास्क और थर्मली इन्सुलेटेड फ्लास्क, कन्टेनर्स और वैसल्स जिसमें थर्मोसेस, थर्मल जग, आईस बकेट्स, आईस बाक्स, आईस बैग्स, टिन एवम् रिसेप्टेकल्स सम्मिलित है, जो भोजन व ब्रेवरीज तथा इस प्रकार की सामग्री को गर्म अथवा ठंण्डा रखती हो तथा उसके संघटक और भाग। | 14 | |
| 73 | (i) घड़ियां, क्लॉक्स, टाईम-पीसेज (चाहे वह किसी अन्य युक्तियों के साथ संयोजन में हो या न हो), स्टॉप वॉच, टाईम-स्वीच, मेकेनिकल-टाईमर, टाईम-रिकार्ड, ऑटो प्रिन्ट टाईम पंचिंग क्लॉक, टाईम रजिस्टर, सभी प्रकार के इन्स्ट्रूमेन्ट पैनल क्लॉक और इसी प्रकार के सभी इलेक्ट्रोनिक डिवाईसेज और उनके भाग और उपसाधन।<br>(ii) वॉच बैण्ड, वॉच ब्रेसलेट, वॉच चैन और वॉच स्ट्रेप । | 14 | |
| 74 | आर.ओ. सिस्टम को सम्मिलित करते हुये सभी प्रकार और विवरण के वॉटर प्यूरीफायर, वाटर फिल्टर । | 14 | |
| 75 | वाटर कूलर, हॉट-कोल्ड वाटर डिस्पेन्सर और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों को सम्मिलित करते हुए उनके भाग और उपसाधन। | 14 | |
| 76 | वेईंग ब्रिज और उसके भाग व उपसाधन। | 14 | |
| 77 | एक्स-रे फिल्म और सी टी स्केन, एम आर आई, सोनोग्राफी व अन्य चिकित्सीय उपकरणों में प्रयुक्त होने वाली फिल्म और कागज। | 14 | |
| 78 | ऐसा माल जो अधिनियम की किसी भी अन्य अनूसूची या | 14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आता है । | | |

''

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-14]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.37.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-6 में,

(i) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''अनुसूची 1 में या अनुसूची 3 में सम्मिलित माल के सिवाय'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट माल या अनुसूची 1 में या अनुसूची 3 में सम्मिलित के सिवाय'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 13 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

'' 

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | सभी प्रकार के उपयोग में लिए हुए मोटर यान | 2.5 | |
| 15. | तिलहन | 3.0 | |

''

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-15]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.38.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.एफ.12(63)एफडी/टैक्स/

2005-37 दिनांक 06.05.2006 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना के खण्ड 5.4 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि जहां व्यवहारी जिसने स्कीम के लिए विकल्प दिया है और स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में विफल रहा है, ऐसे व्यवहारी को इस स्कीम का फायदा लेने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा-

(i) यदि 31.3.2011 के पश्चात् की कालावधि के लिए इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशमन रकम और विलम्ब फीस उसके द्वारा 31.5.2014 के पूर्व निक्षिप्त करा दी गयी है और यदि वह प्रशमन रकम, जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 75 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.8.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करता है; और

(ii) यदि 31.3.2011 के पश्चात् की कालावधि के लिये इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशमन रकम का उसके द्वारा निक्षेप करा दिया गया है किन्तु विलम्ब फीस का 31.5.2014 के पूर्व निक्षेप नहीं कराया गया है, यदि वह प्रशमन रकम, जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 100 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.8.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करता है;

(iii) अन्य समस्त व्यवहारियों के लिये, यदि वे प्रशमन रकम और शोध्य प्रशमन रकम; जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 200 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.8.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करते है।''

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-16]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, 14 जुलाई, 2014**

**एस.ओ.39.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 06.05.2006 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना के खण्ड 5.4 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि जहां व्यवहारी स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में विफल रहा है, ऐसे व्यवहारी को इस स्कीम का फायदा लेने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा-

(i) यदि 31.3.2011 के पश्चात् की कालावधि के लिए इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशमन रकम और विलम्ब फीस उसके द्वारा 31.5.2014 के पूर्व निक्षिप्त करा दी गयी है और यदि वह प्रशमन रकम, जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 75 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.8.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करता है; और

(ii) यदि 31.3.2011 के पश्चात् की कालावधि के लिये इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशमन रकम का उसके द्वारा निक्षेप करा दिया गया है किन्तु विलम्ब फीस का 31.5.2014 के पूर्व निक्षेप नहीं कराया गया है, यदि वह प्रशमन रकम, जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 100 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.8.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करता है;

(iii) अन्य समस्त व्यवहारियों के लिये, यदि वे प्रशमन रकम और शोध्य प्रशमन रकम; जिसका विलम्ब से निक्षेप किया गया है, के 200 प्रतिशत के समतुल्य रकम का 31.8.2014 तक विलम्ब फीस के रूप में निक्षेप करते है।''

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-17]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, 14 जुलाई, 2014**

**एस.ओ.40.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 17क के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से उपबंधित करती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट व्यवहारियों का वर्ग कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दे सकेगा। कर के बदले में संदेय एकमुश्त राशि उक्त सारणी में उनके प्रत्येक के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथा-विनिर्दिष्ट है।

**सारणी**

| क्र.सं. | व्यवहारियों का वर्ग | कर के बदले में एकमुश्त राशि |
|---|---|---|
| 1. | राज्य के भीतर सभी प्रकार के सिन्थेटिक जेम्स और स्टोन्स, सभी प्रकार के मूल्यवान और | सुसंगत कालावधि में स्तंभ संख्यांक-2 में वर्णित माल के पण्यावर्त का प्रत्येक दो लाख रुपये |

| | | |
|---|---|---|
| | अर्द्ध मूल्यवान जेम्स और स्टोन्स (खरड़ सहित) मोती (चाहे वास्तविक हो या कलचर्ड) हीरे, बुलियन को छोड़कर हीरों सहित मूल्यवान या अर्द्ध मूल्यवान स्टोन्स के साथ या के बिना सोने, चांदी और अन्य मूल्यवान धातु और उनकी मिश्रित धातु से बने जवाहरात, आभूषण और वस्तुओं के विनिर्माण और/या व्यापार में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी। | या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये। |
| 2. | राज्य में पेट्रोलियम कम्पनियों के आउटलेट वाले और लुब्रिकेन्ट, येलो क्लोथ और फेन बेल्ट के विक्रय में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी। | सुसंगत कालावधि में स्तंभ संख्यांक-2 में वर्णित माल के पण्यावर्त का प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक सौ रुपये। |
| 3. | राज्य के भीतर मिनी सीमेण्ट संयत्रों जिनकी स्थापन क्षमता 200 टन प्रतिदिन है में व्यवहारियों द्वारा विनिर्मित की जाने वाली सीमेण्ट के विनिर्माण और व्यापार में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी। | 50 टन प्रतिदिन तक स्थापन क्षमता के लिए प्रतिमास एक लाख छप्पन हजार रुपये और 50 टन प्रतिदिन से अधिक स्थापन क्षमता के लिए आनुपातिक रूप से बढायी जायेगी। तथापि, वे व्यवहारी जो समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ. 12(63)एफ.डी./टैक्स/2005-70 दिनांक 11.07.2006 के अधीन एकमुश्त कर का संदाय कर रहे हैं, वर्ष 2013-14 के लिए उस अधिसूचना के अनुसार रकम का संदाय करेगें। |
| 4. | ढ़ाबे या भोजनालयों के नाम या अभिनाम में सभी प्रकार का पका हुआ भोजन अर्थात् भोजन और गैर-एल्कोहलिक पेयों के विक्रय में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जिनका ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक पण्यावर्त तीस लाख रुपये से कम हैं, जो निम्नलिखित शर्तों का समाधान करते हैं:<br>(i) उनके पास ढाबा/भोजनालय के परिसर के लिए बार अनुज्ञप्ति नहीं है; और<br>(ii) ग्राहकों के लिए उनके परिसर पूर्णतः वातानुकूलित नहीं है। | सुसंगत कालावधि में स्कीम के अधीन आने वाले माल के पण्यावर्त का प्रत्येक एक लाख रुपये या उसके भाग के लिए तीन हजार रुपये तथापि, वे व्यवहारी जो समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ. 12(87)एफ.डी./टैक्स/2006-111 दिनांक 14.11.2006 के अधीन एकमुश्त कर का संदाय कर रहे हैं, वर्ष 2013-14 के लिए उस अधिसूचना के लिए कर का संदाय करेंगे। |
| 5. | विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर में | सुसंगत कालावधि में विक्रीत माल मुद्रित खुदरा मूल्य की सकल रकम |

| | | |
|---|---|---|
| | लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो राज्य के आबकारी विभाग द्वारा जारी रिटेल ऑफ के लिए अनुज्ञप्ति या रिटेल ऑन के लिए अनुज्ञप्ति धारित नहीं करते हैं। | का 1/6 भाग। व्यवहारी राज्य के विनिर्माण करने वाले व्यवहारी से राज्य के भीतर उसके द्वारा निर्मित और राज्य के भीतर विक्रीत विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर के क्रय पर संदत्त कर की रकम के एकमुश्त राशि का मुजरा करने के दावा करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा। |
| 6. | रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो सामान्यतः विकासकर्ता/ निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो संकर्म संविदाकार के रूप में फ्लैट्स, वासगृह या भवनों या परिसरों का संनिर्माण करते हैं और करार के अनुसरण में उन्हें माल (चाहे माल या किसी अन्य रूप में) और भूमि या भूमि में अन्तर्निहित हित के साथ अंतरित करते हैं। | निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सुसंगत कालावधि में प्राप्त प्रतिफल के प्रत्येक दो लाख या उसके भाग के लिए एक हजार तीन सौ रुपयेः<br>(i) व्यवहारी संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग में आने वाला माल राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय करेगा।<br>(ii) संकर्म संविदा के निष्पादन में किसी माल, जो राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यवहारी से उपाप्त या क्रय किया जाता है, में व्यवहारी एकमुश्त रकम के अतिरिक्त कर की रकम के बराबर रकम, जो संदेय होती, यदि माल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किया जाता, का संदाय करने का दायी होगा। |

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, 14 जुलाई, 2014**

**एस.ओ.41.-**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित निम्नलिखित अधिसूचनाओं को इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

1. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 06.5.2006
2. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 06.5.2006
3. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-70 दिनांक 11.7.2006

4. एफ.12(87)एफडी/टैक्स/2006-111 दिनांक 14.11.2006
5. एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-145 दिनांक 09.3.2007
6. एफ.12(94)एफडी/टैक्स/2007-54 दिनांक 31.8.2009

परन्तु वे व्यवहारी, जिन्होनें उपर्यक्त अधिसूचना (अधिसूचनाओं) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त रकम का विकल्प दिया है इस प्रकार विखण्डित अधिसूचनाओं के उपबंध 14.07.2014 के पूर्व की कालावधि के लिए प्रवृत रहेंगे।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-19]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.42.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-46 दिनांक 30.07.2009 को, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-20]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.43.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक-2 में वर्णित माल के प्रत्येक वर्ग के लिए स्तंभ संख्यांक 3 में यथा दर्शित संदेय कर की रकम नियत करती है:-

**सारणी**

(रकम रुपयों में)

| मद सं. | माल का विवरण | | संदेय कर (रुपयों मे) |
|---|---|---|---|
| | पत्थरों की किस्म | स्लैब/टाईल का आकार | |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | मकराना मार्बल | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट | 3.50 प्रति वर्ग फुट |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सफेद -। | तक | |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 5.25 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 10.80 प्रति वर्ग फुट |
| 2. | मकराना मार्बल सफेद-।। | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट तक | 1.10 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 2.60 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 3.80 प्रति वर्ग फुट |
| 3. | मकराना अलबेटा | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट तक | 2.50 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 2.90 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 5.40 प्रति वर्ग फुट |
| 4. | मकराना सेमी अलबेटा | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट तक | 1.90 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 2.35 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 3.00 प्रति वर्ग फुट |
| 5. | मकराना अंड़गा/ डूंगरी /पिंक | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट तक | 1.00 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 1.40 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 1.75 प्रति वर्ग फुट |
| 6. | मकराना सफेद बेस अंड़गा | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट तक | 1.25 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 2.10 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 2.80 प्रति वर्ग फुट |
| 7. | मकराना कुमारी एवरेज | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट तक | 0.50 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 0.75 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 0.90 प्रति वर्ग फुट |
| 8. | मकराना कुमारी सफेद बेस | लम्बाई 1 फुट से 2 फुट तक | 0.65 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक और 7 फुट तक | 1.10 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 7 फुट से अधिक | 1.15 प्रति वर्ग फुट |
| 9. | राजसमन्द/मोरवाड़/ अगारिया मार्बल ग्रेड ए | लम्बाई 2 फुट तक | 1.10 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 1.75 प्रति वर्ग फुट |
| 10. | राजसमन्द/मोरवाड़/ अगारिया मार्बल ग्रेड बी | लम्बाई 2 फुट तक | 0.70 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 1.20 प्रति वर्ग फुट |
| 11. | राजसमन्द/मोरवाड़/ | लम्बाई 2 फुट तक | 0.55 प्रति वर्ग फुट |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अगारिया मार्बल ग्रेड सी | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 0.95 प्रति वर्ग फुट |
| 12. | धरमेटा/बानी/सपोल/ केकरी/सेवर मार्बल | लम्बाई 2 फुट तक | 0.50 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 0.85 प्रति वर्ग फुट |
| 13. | आंधी पिस्ता, आबू अडंगा, आबू ग्रीन और व्हाईट, बीडासर, उदयपुर ग्रीन और पिंक मार्बल | लम्बाई 2 फुट तक | 0.85 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 1.20 प्रति वर्ग फुट |
| 14. | ब्लैक, आसपुर, यैलो पिंक, भैंसलाना, रामपुरा, कयामपुरा, छापोली, खंडेला, सलवरा, फलौदा और बांसवाड़ा | लम्बाई 2 फुट तक | 0.75 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 1.10 प्रति वर्ग फुट |
| 15. | कटनी, मजोली, वन्डर और ओमान रेड मार्बल | लम्बाई 2 फुट तक | 1.70 प्रति वर्ग फुट |
| | | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 2.60 प्रति वर्ग फुट |
| 16. | आयातित मार्बल | ईटालियन सतवारिया | 60.00 प्रति वर्ग फुट |
| | | ईटालियन सतवारिया से भिन्न | 11.50 प्रति वर्ग फुट |
| 17. | सभी प्रकार की मार्बल टाईल्स | लम्बाई 1 वर्ग फुट से कम | 0.30 प्रति वर्ग फुट |
| 18. | सभी प्रकार के अन्य मार्बल जो इसमें विनिर्दिष्ट नहीं है। | लम्बाई 1 वर्ग फुट से अधिक | 1.10 प्रति वर्ग फुट |
| 19. | सभी प्रकार के ग्रनाइट | लम्बाई 2 फुट तक | 1.80 प्रति वर्ग फुट |
| 20. | ग्रेनाइट जैसलमेर (लाखा रेड) | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 6.00 प्रति वर्ग फुट |
| 21. | ग्रेनाइट साउथ इंडियन | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 3.75 प्रति वर्ग फुट |
| 22. | ग्रेनाइट जालौर/ देवगढ और अन्य | लम्बाई 2 फुट से अधिक | 2.25 प्रति वर्ग फुट |

टिप्पण :- 1. मार्बल के आकार के माप में कठिनाई की दशा में, कर वजन का माप करने के पश्चात् और टाइल के लिए 4 कि.ग्रा. प्रति वर्ग फुट और स्लैब के लिए पांच कि.ग्रा. प्रति वर्ग फुट फैक्टर का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल में संपरिवर्तित कर संगणित किया जा सकेगा।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 2 फुट तक लम्बाई के मार्बल टाइलों के रूप में निर्दिष्ट किये गये है और 2 फुट से अधिक लम्बाई वाले को स्लैब के रूप मे परिभाषित किया गया है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-21]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.44.**–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(22)एफडी/टैक्स/10-87 दिनांक 09.03.2010 को, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-22]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, 14 जुलाई, 2014**

**एस.ओ.45.**–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा-संशोधित इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(101)एफडी/टैक्स/2011-59, दिनांक 13.08.2013 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, संकर्म संविदाओं के निष्पादन में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को, संकर्म संविदा (संविदाओं) के निष्पादन में अंतर्वलित माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में की संपत्ति के अन्तरण पर उद्ग्रहणीय कर के संदाय से, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

**1. छूट फीसः**

ऐसा व्यवहारी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में की संपत्ति के अन्तरण पर संदेय कर के बदले में छूट फीस का संदाय करेगा। नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित संकर्म संविदा के प्रवर्ग के लिए छूट फीस की दर स्तम्भ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने वर्णित होगी :-

| मद सं. | संकर्म संविदा का प्रवर्ग | छूट फीस की दर (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत) |
|---|---|---|
| 1. | संकर्म संविदा, जहां संकर्म संविदा के निष्पादन में माल की लागत कुल संविदा रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है। | 0.10 |
| 2. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा अवार्ड किये गये इपीसी टर्न की ऊर्जा परियोजनाओं | 1.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | से संबंधित संकर्म संविदा। | |
| 3. | सीवरेज प्रणाली, सुरंगों, नहरों, चैनलों, बैराजों, रेल्वे ट्रेकों, कॉजवे, सबवे, डाइवर्जन, स्पिलवे, सीमा दिवालों, भवनों और वाटर हारवेस्टिंग प्रणाली को छोड़कर सड़कों, रनवे, पुलों, बांधों, नालियों के संनिर्माण और मरम्मत के संबंध में संकर्म संविदा। | 0.75 |
| 4. | रु. 2500 करोड़ के न्यूनतम विनिधान के साथ राज्य के भीतर नये उद्यम स्थापित करने या उर्वरक विनिर्माण करने वाले विद्यमान उद्यम के विस्तार से संबंधित संकर्म संविदा। | 1.00 |
| 5. | उपर्युक्त मद सं. 1 से 4 के अन्तर्गत नहीं आने वाली किसी अन्य प्रकार की संकर्म संविदा। | 2.00 |

**2. छूट अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :**

2.1(i) संकर्म संविदा के निष्पादन में लगा हुआ कर के बदले में छूट फीस का संदाय के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, संकर्म संविदा के अवार्ड की तारीख से साठ दिवस के भीतर, कार्य आदेश और जी-अनुसूची की स्वप्रमाणित और सुपाठ्य स्कैन की हुई प्रति के साथ इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-1 में स्वयं द्वारा या मूपक-02 में घोषित उसके कारबार प्रबन्धव्यवहारी द्वारा सम्यक् रूप से डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित आवेदन विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत करेगा। यदि संकर्म संविदा ऐसी प्रकृति की है कि सामग्री की लागत कुल संविदा रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है तो अवार्डर से इस आशय के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित और सुपाठ्य स्कैन की हुई प्रति भी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी। व्यवहारी, जिसने नियमों में विहित रीति में विभाग की शासकीय वेबसाइट के उपयोग के लिए सहमति दी है, डिजीटल हस्ताक्षर के बिना प्ररूप सं.क. -1 प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) जहां व्यवहारी आवेदन के साथ कार्य आदेश और/या जी-अनुसूची और/या, यथास्थिति, अवार्डर के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां वह, कार्य आदेश और/या जी-अनुसूची और/या, यथास्थिति, अवार्डर के प्रमाणपत्र की हार्ड प्रतियों के साथ अपने निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्ररूप सं.क.-1 में आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दस दिवस के भीतर, विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित अभिस्वीकृति स्वयं या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कर उस पर अपने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेगा, और ऐसा करने में विफल रहने पर आवेदन के प्रस्तुत न किये जाने का मामला समझा जायेगा।

(iii) जहां व्यवहारी प्ररूप सं.क.-1 प्रस्तुत करने के दस दिन के भीतर उपर्युक्त उप-खण्ड (ii) में यथा-उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है वहां वह उपर्युक्त खण्ड 2.1(i) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नये रूप से उसके लिए आवेदन कर सकेगा।

2.2(i) निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी छूट प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर करेगा जहां,-

(क) आवेदक व्यवहारी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 15 और/या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उप-धारा (2क) और/या धारा 7 की उप-धारा (3 क) के अधीन

प्रारंभिक या अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग करने वाले किसी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहा है; या

(ख) आवेदक व्यवहारी, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार ठीक कोई विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

(ii) आवेदन के नामंजूर होने पर, व्यवहारी उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात्, उपर्युक्त खण्ड 2.1(i) में यथा-विनिर्दिष्ट समय के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

2.3 ऊपर खण्ड 2.2 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, प्ररूप सं.क.-1 में आवेदन के प्रस्तुत किये जाने के इक्कीस दिवस के भीतर विभाग की शासकीय वेबसाइट में यथा-उपबंधित रीति में इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-2 में छूट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

2.4 जहां कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी, एक से अधिक संकर्म संविदा निष्पादित करता है वह प्रत्येक कार्य आदेश के लिए पृथक् रूप से प्ररूप सं.क.-1 में पृथक् आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2.5 जहां किसी अतिरिक्त कार्य के लिए अवार्डर द्वारा ऐसे व्यवहारी को कोई अतिरिक्त संदाय किया जाता है या ऐसी संकर्म संविदा, जिसके लिए छूट प्रमाणपत्र पहले से ही जारी किया जा चुका है, के संबंध में संविदा के मूल्य में वृद्धि की जाती है वहां अवार्डर द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्ररूप सं.क.-4 में आवेदन प्रस्तुत करने पर अवार्डर से ऐसी संसूचना के साठ दिवस के भीतर छूट प्रमाणपत्र को तदनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा और पुनरीक्षित छूट प्रमाणपत्र व्यवहारी को विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जायेगा।

**3. विलम्ब का माफ किया जाना :**

3.1 जहां व्यवहारी खण्ड 2.1(i) में या खण्ड 2.5 में उपबंधित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां उसे, विलम्ब की माफी के लिए इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं. क.-3 में आवेदन के साथ उसमें विलम्ब फीस के संदाय के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए, नीचे उल्लिखित विलम्ब फीस के संदाय पर, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगाः

| विलम्ब की कालावधि | विलम्ब फीस की रकम |
|---|---|
| संकर्म संविदा के प्रदान किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक | एक हजार रुपये |
| संकर्म संविदा के प्रदान किये जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक | पांच हजार रुपये। |

3.2 अवार्ड की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस अधिसूचना के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

**4. छूट फीस के निक्षेप की रीतिः**

व्यवहारी ऐसी दरों पर, जो इस अधिसूचना के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित रीति से छूट फीस का संदाय करेगाः-

(i) जहां अवार्डर सरकार का कोई विभाग, कोई निगम, कोई लोक उपक्रम, कोई सहकारी सोसाइटी, कोई स्थानीय निकाय, कोई कानूनी निकाय, कोई स्वायत्त निकाय, कोई ब्यास या कोई प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो वहां ऐसे अवार्डर द्वारा ऐसे व्यवहारी को किसी भी रीति से किये जाने वाले संदाय के प्रत्येक बिल में से इस अधिसूचना के खण्ड 1 में उल्लिखित सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा-विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम की कटौती की जायेगी और अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधित कर के संदाय के समस्त उपबंध ऐसे व्यवहारी के लिए, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(ii) जहां अवार्डर ऊपर उप-खण्ड (i) के अधीन नहीं आता है वहां ऐसे व्यवहारी से, छूट प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से संविदा की कालावधि से अनधिक की कालावधि में समतुल्य मासिक किस्तों में छूट फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जायेगी। यदि ऐसे व्यवहारी ने अवार्डर से संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए कतिपय संदाय पूर्व में ही प्राप्त कर लिये हैं तो वह इस अधिसूचना के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख तक के ब्याज सहित ऐसे संदायों पर छूट फीस के संदाय का सबूत संलग्न करेगा।

(iii) जहां किसी व्यवहारी ने कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प दिया है, छूट प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के पूर्व अवार्डर से संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए कुछ संदाय प्राप्त किया है वह ऐसे संदायों पर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ अधिसूचित छूट फीस का निक्षेप करेगा यदि कर के बदले रकम की कटौती अवार्डर द्वारा नहीं की गयी है।

(iv) छूट प्रमाणपत्र के जारी होने के पूर्व अवार्डर द्वारा व्यवहारी के संदायों के बिल में से कर के बदले में पहले से ही कटौती की गयी रकम को व्यवहारी द्वारा संदत्त की जाने वाली छूट फीस के प्रति समायोजित किया जायेगा।

**5. शर्तें :**

5.1 व्यवहारी, जिसने कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प दिया है, राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग में लिए गये माल का क्रय करेगा और संकर्म संविदा के निष्पादन में किसी माल के उपयोग की दशा में, जो राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी अन्य व्यवहारी से उपाप्त या क्रय किया गया है, छूट फीस के अतिरिक्त, कर की रकम के समतुल्य रकम, जो संदेय होती यदि राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से माल का क्रय किया जाता, संदाय करने का दायी होगा।

5.2 व्यवहारी जिसने कर के बदले छूट फीस का संदाय करने का विकल्प दिया है संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग में लिये गये माल के संबंध में आगत कर मुजरे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

5.3 यह कि छूट का प्रमाणपत्र निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किये जाने का दायी होगा.-

(i) यदि यह पाया जाता है कि वह अधिनियम, नियमों या अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में जारी किया गया है; या

(ii) व्यवहारी ने उसे प्रदत्त संकर्म संविदा के संबंध में किसी तथ्य को छिपाया है।

5.4 यह कि व्यवहारी द्वारा संगृहीत या प्रभारित कर, यदि कोई हो, राज्य सरकार को जमा कराया जायेगा और इस प्रकार जमा कराये गये कर का प्रतिदाय या छूट फीस के प्रति समायोजन नहीं किया जायेगा।

5.5 यदि छूट फीस की दर में परिवर्तन किया जाता है तो छूट फीस की दर वह दर होगी जो नीचे दी गई सूची के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा-उल्लिखित है और जो.-

(i) छूट प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए; या
(ii) इस अधिसूचना के खण्ड 2.5 के अधीन,

आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को लागू हैं।

**6. अन्तःकालीन उपबंध :**

6.1 जहां अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 और अधिसूचना सं. एफ.12(101)एफडी/टैक्स/2001-59 दिनांक 13.8.2006 के अधीन छूट प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए, किसी भी व्यवहारी का आवेदन निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, वहां इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर वह इस अधिसूचना के जारी होने के 15 दिन के भीतर-भीतर इस अधिसूचना के अधीन नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करके छूट फीस के संदाय के लिए बदलाव कर सकेगा।

6.2 जहां कोई व्यवहारी इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/ 2005-80 दिनांक 11.8.2006 और अधिसूचना सं. एफ.12(101)एफडी/टैक्स/2001-59 दिनांक 13.8.2006 के अधीन जारी छूट प्रमाणपत्र(त्रों) को धारित करता है और उक्त छूट प्रमाणपत्र(त्रों) के अधीन आने वाली संकर्म संविदा का निष्पादन पूर्णतः या भागतः लंबित है वहां पूर्व में जारी छूट प्रमाणपत्र संकर्म संविदा के पूर्ण होने तक उसी छूट फीस के साथ प्रवृत्त रहेगा जब तक कि पूर्व में रद्द या प्रतिसंहृत नहीं कर लिया जाता है।

**प्ररूप सं.क.-1**
**छूट प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन**
**(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुये व्यवहारियों के लिए)**

प्रेषिती,
सहायक आयुक्त/
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सर्किल .....

1. आवेदक का नाम
2. नाम और पता जिसके अधीन आवेदक कारबार करता है
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन) .....
4. ई-मेल पताः .....
5. मोबाइल नं.ः .....
6. आवेदक की प्रास्थिति यथा स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/हि.अ.कु. का कर्ता/प्रबंधक/सचिव
7. कालावधि जिसके दौरान संकर्म संविदा निष्पादित की जायेः ..... से ..... तक
8. संकर्म संविदा(संविदाओं) की विशिष्टियांः

| क्र. सं. | अवार्डर का ई-मेल के साथ नाम और पता | व्यवहारी का विवरण | संविदा अवार्ड करने की तारीख | संकर्म संविदा का विवरण | संविदा के पूर्ण करने की नियत कालावधि | संविदा का कुल मूल्य | संकर्म के निष्पादन का स्थान | छूट फीस की दर (अधिसूचना सं. V 820 दिनांक 13.08. 2013 में दी गयी सूची के अनुसार) | छूट फीस (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

मैं/हम, इसके द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम राज्य सरकार द्वारा अधिकथित निबन्धनों और शर्तों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों का पालन करूंगा/करेंगे और यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल हो जाता हूँ/जाते हैं, मैं/हम इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार कर संदाय का दायी रहूँगा/रहेंगे। मैं/हम छूट प्रमाणपत्र के पुनरीक्षित किये जाने की दशा में पुनरीक्षित छूट फीस के संदाय का भी वचन देता हूँ/देते हैं।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कोई भी सारवान तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर
और प्रास्थिति

संलग्नकः

1. कार्य आदेश की स्कैन की हुई प्रति।
2. जी-अनुसूची की स्कैन की हुई प्रति।
3. अवार्डर के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति, यदि लागू हो।
4. विलम्ब फीस के संदाय का सबूत, यदि लागू हो।

**मूल/पुनरीक्षित**

**प्ररूप सं.क.-2**
**छूट प्रमाणपत्र**
**(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुये व्यवहारियों के लिए)**

1. पहचान सं. ..... दिनांक .....
2. आवेदक का नाम प्रास्थिति के साथ
3. कारबार का नाम और पता
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन)
5. संकर्म संविदा और छूट का ब्यौरा

| क्र. सं. | संकर्म संविदा का विवरण और निष्पादन का स्थान | अवार्डर का नाम और पता | संविदा का कुल मूल्य | छूट फीस की दर | छूट फीस (रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

6. यह प्रमाणपत्र संकर्म संविदा के पूर्ण होने तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इससे पूर्व रद्द या प्रतिसंहृत न कर लिया जाये।

स्थान : ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक : ..... पदनाम .....

दिनांक ..... को व्यवहारी के आवेदन पर पहचान सं. ..... दिनांक ..... द्वारा जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र पुनरीक्षित कर दिया गया है।

स्थान : ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक : ..... पदनाम .....

**प्ररूप सं. क.-3**
**विलम्ब को माफ करने का आवेदन**
**(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों के लिए)**

प्रेषिती,
सहायक आयुक्त/
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सर्किल .....

1. व्यवहारी का नाम .....
2. टिन .....
3. कारबार का मुख्य स्थान .....
4. संकर्म संविदा के अवार्ड करने की तारीख .....
5. आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख .....
6. विलम्ब की कालावधि .....
7. विलम्ब के कारण .....
8. विलम्ब फीस के निक्षेप का ब्यौरा .....

| चालान सं. | निक्षेप की तारीख | रकम |
|---|---|---|
| | | |

स्थान : ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक : ..... नाम .....
प्रास्थिति .....

**प्ररूप सं. क.-4**
**अवार्डर द्वारा अधिक संदाय किये जाने की दशा में आवेदन**
**(संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों के लिए)**

प्रेषिती

सहायक आयुक्त/
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सर्किल .....

1. आवेदक का नाम .....
2. नाम और पता जिसके अधीन आवेदक कारबार करता है.....
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन) .....
4. ई-मेल पता .....

5. मोबाइल नं. .....

6. आवेदक की प्रास्थिति यथा स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/हि.अ.कु. का कर्त्ता/प्रबन्धक /सचिव .....

7. पूर्व में प्राप्त सं.क.-2 का ब्यौरा.-

| क्र. सं. | सं.क.-2 की पहचान सं. | जारी करने की तारीख | संकर्म संविदा का विवरण और सं.क.-1 के अनुसार संकर्मों के निष्पादन का स्थान | अवार्डर का नाम | सं.क.-1 में दर्शित की गयी संविदा का कुल मूल्य | छूट फीस (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

8. विद्यमान संकर्म संविदा (संविदाओं) में किये गये अधिक संदाय की विशिष्टियां.-

| क्र. सं. | अवार्डर का ई-मेल के साथ नाम और पता | संविदा अवार्ड करने की तारीख | सं.क.-1 के अनुसार संकर्म संविदा की राशि | स्तम्भ सं. 4 में वर्णित संकर्म संविदा के चालू रहने के दौरान अवार्डर द्वारा किये गये अधिक संदाय की रकम | संविदा का कुल मूल्य (4+5) | छूट फीस की दर (अधिसूचना में दी गयी सूची के अनुसार) | छूट फीस (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

मैं/हम, घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कोई भी सारवान तथ्य छिपाया नहीं गया है और पुनरीक्षित छूट फीस का संदाय करने का वचन देता हूं / देते हैं, यदि कोई हों।

आवेदक के हस्ताक्षर
और प्रास्थिति

संलग्नकः
1. कार्य आदेश की स्कैन की हुई प्रति।
2. जी-अनुसूची की स्कैन की हुई प्रति।
3. अवार्डर के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति, यदि लागू हो।
4. विलम्ब फीस के संदाय का सबूत, यदि लागू हो।

[सं.एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-23]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, 14 जुलाई, 2014**

**एस.ओ.46.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 40 के उप-नियम (2) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के अधीन छूट प्रमाणपत्र रखने वाले संविदाकारों की दशा में, अवार्डर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर के बदले उक्त छूट प्रमाणपत्र में यथावर्णित छूट फीस की दर के समतुल्य किसी रकम की कटौती करेगा।''

[सं.एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-24]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, 14 जुलाई, 2014**

**एस.ओ.47.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का राजस्थान अधिनियम सं. 4) की धारा 51-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी भी व्यवहारी द्वारा

(i) 2009-10 तक के वर्षों से संबंधित घोषणा प्ररूपों के न दिये जाने के कारण सृजित मांग के संदाय में विलम्ब, या

(ii) मार्बल पर क्रय कर के संदाय में विलम्ब के कारण,

उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय संदेय ब्याज की रकम का इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अधित्यजन करती है :-

1. यह कि ऐसा व्यवहारी घोषणा प्ररूपों के न दिये जाने या, यथास्थिति, मार्बल पर क्रय कर के असंदाय के कारण ब्याज के अलावा बकाया मांग की पूर्ण रकम को 31.102014 तक जमा करायेगा।
2. यह कि ऐसा व्यवहारी, उपर्युक्त शर्त 1 में यथावर्णित रकम जमा करवाने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को जमा के ब्यौरे के साथ इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप AS-1 में प्रत्येक वर्ष के लिए पृथकतः एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3. यह कि निर्धारण प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर इस तथ्य को सत्यापित करेगा कि घोषणा प्ररूपों के न दिये के कारण उद्‌गृहीत ब्याज या, यथास्थिति, मार्बल पर क्रय कर के असंदाय के सिवाय बकाया मांग को व्यवहारी द्वारा जमा करवा दिया गया है, और उसे इस बात का समाधान होने पर आयुक्त और व्यवहारी को ब्याज की ऐसी मांग के अधित्यजन के संबंध में लिखित में सूचना देगा और मांग और संग्रहण रजिस्टर में से मांग को कम करने के लिए अग्रसर होगा।
4. यह कि ब्याज की रकम, यदि जमा करवा दी गयी हो तो प्रतिसंदत्त नहीं की जायेगी।

**प्ररूप मूपक-**AS**-1**

भाग क

**(व्यवहारी/व्यक्ति द्वारा भरवाये जाने के लिए)**

क. रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)
ख. व्यवहारी/व्यक्ति का नाम और पता
ग. सर्किल वार्ड का नाम
घ. निर्धारण वर्ष
ङ निर्धारण आदेश की दिनांक
च. बकाया मांग का ब्यौरा :

| क्र. सं. | | घोषणा प्ररूपों के असंदाय के कारण | | | | असंदाय/मार्बल पर क्रय कर के विलंबित भुगतान के कारण | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कर | ब्याज | अन्य | योग | कर | ब्याज | अन्य | योग | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | =4+8 |
| 1 | 14.7.2014 को बकाया मांग | | | | | | | | | |
| 2 | 14.7.2014 के पश्चात् निक्षिप्त रकम | | | | | | | | | |
| 3 | बकाया अतिशेष मांग (=1-2) | | | | | | | | | |

छ. 14.7.2014 के पश्चात् निक्षिप्त रकम का ब्यौरा :

| निक्षिप्त रकम | निक्षेप की दिनांक |
|---|---|
| | |
| | |

ऊपर दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख नाम
हैसियत

भाग ख
**(निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भरवाये जाने के लिए)**

क. रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)
ख. व्यवहारी/व्यक्ति का नाम और पता
ग. सर्किल वार्ड का नाम
घ. निर्धारण वर्ष
ङ निर्धारण आदेश की दिनांक
च. ब्याज की बकाया मांग राशि
छ जमा करवाये जाने के लिए दायी रकम का ब्यौराः

| निक्षिप्त रकम | निक्षेप की दिनांक | रा.सं.पं. सं. |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

ज. सत्यापनः
मैंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी रकम के दावे और जमा का सत्यापन कर लिया है जैसे कि व्यवहारी ने अधिसूचना सं. एफडी/टैक्स/.../... दिनांक ..... की शर्तों का अनुपालन कर लिया है। ब्याज की बकाया अतिशेष मांग जो (i) 2009-10 तक के वर्षों से संबंधित घोषणा प्ररूपों के न दिये जाने के कारण सृजित मांग के संदाय में विलम्ब, / (ii) मार्बल पर क्रय कर के संदाय में विलम्ब के कारण है, को मांग एवं संग्रहण रजिस्टर से कम किया जाता है।

स्थानः हस्ताक्षर
तारीख पदाभिधान''

[सं.एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014-25]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.48.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 55 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(52)एफडी/टैक्स/99-33 दिनांक 05.05.2006 के अधिक्रमण में राज्य सरकार, नीचे दी गयी सूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यवहारियों से, उक्त सूची के स्तम्भ 3 में उनके सामने यथादर्शित, इस

अधिनियम के अधीन, दिनांक 01.08.2014 से उद्ग्रहणीय ब्याज इसके द्वारा अधिसूचित करती हैः-

**सूची**

| क्र. सं. | व्यक्ति/व्यक्तियों का वर्ग | ब्याज की दर (प्रति वर्ष) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | निम्नलिखित के उपबंधों के अधीन रूग्ण घोषित व्यवहारी-<br>(i) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1), या<br>(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 | 8 प्रतिशत वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि |
| 2. | उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 में अंतर्विष्ट नहीं किये व्यवहारी | 12 प्रतिशत वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि |

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-26]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.49.**-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-78 दिनांक 31.12.2013 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-27]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.50.**-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होंगे।

**2. नियम 2 ख का प्रतिस्थापन.-** केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 2 ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**2 ख. रजिस्ट्रीकरण.-** रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से, उसमें उपबंधित रीति में, इलेक्ट्रौनिक रूप से प्ररूप क में किसी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। व्यवहारी वेबसाईट से कम्पयूटर नेटवर्क के माध्यम से जनित सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित प्ररूप क केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और पण्यावर्त) नियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार फीस के संदाय के पश्चात् अधिसूचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अधिसूचित प्राधिकारी समाधान होने पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के अधीन यथा-उपबंधित रीति मे, प्ररूप-ख में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

**3. नियम 4 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4. विवरणियां.-** (1) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी पण्यावर्त की विवरणी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जैसा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के अधीन उपबंधित है।

(2) जहां किसी व्यवहारी के कारबार के एक से अधिक स्थान हैं वहां वह राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 के अधीन उपबंधित कारबार के मुख्य स्थान के पण्यावर्त के साथ-साथ कारबार के समस्त अन्य स्थानों के पण्यावर्त विवरणी में सम्मिलित करेगा।

(3) जहां कोई व्यवहारी उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणी में कोई लोप या गलती पाता है वहां वह ऐसे समय के भीतर जैसा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में उपबंधित किया जाये, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में क्रय करने वाला प्रत्येक व्यवहारी उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के साथ, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 से संलग्न प्ररूप मूपक-07 क में ऐसे क्रयों का ब्योरा प्रस्तुत करेगा।

**4. नियम 6 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**6. कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की रीति.-** (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाये, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय व्यवहारी द्वारा इलैक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ई-ग्रास' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित रीति में, किया जायेगा।

(2) व्यवहारियों का वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, ई-ग्रास के माध्यम से उसमें यथा-उपबंधित रीति में इलैक्ट्रोनिक रूप से कर, मांग या अन्य राशि का संदाय करेगा।

(3) कर, मांग या अन्य राशि के संदाय की तारीख, ई-ग्रास में यथा दर्शित निक्षेप की तारीख समझी जायेगी।''

**5. नियम 6 क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 6 क हटाया जायेगा।

**6. नियम 6 ख का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 6 ख हटाया जायेगा।

**7. नियम 13 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 13 के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''तीस दिनों के भीतर'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति ''निर्धारण प्राधिकारी को सूचित करेगा'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से उसमें उपबंधित रीति में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 से संलग्न प्ररूप मूपक-05 में इलेक्ट्रोनिक रूप से'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

**8. नियम 17 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 17 में.-

(i) उप-नियम (8) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जा सकेगा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जायेगा'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (14) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐसी घोषणा/प्रमाण पत्र के जनन के साठ दिन के भीतर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ऐसी घोषणा/ प्रमाण पत्र के जनन की तारीख से छह माह के भीतर या 30 सितम्बर, 2014 तक, जो भी बाद में हो,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान उप-नियम 16 के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (17) के पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (16-क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(16-क) निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे घोषणा प्ररूप(पों) या प्रमाणपत्र(त्रों) की विशिष्टियां राजपत्र में प्रकाशित करेगा जिनके संबंध में उप नियम (16) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त हुई है।''

(iv) उप-नियम 19 में अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''उस कालावधि में प्रवृत था।'' के पश्चात् अभिव्यक्ति ''वे उपबन्ध जो 6.3.2013 के पूर्व प्रवृत थे, ऐसे घोषणा प्ररूप(पों) या प्रमाणपत्र(त्रों) पर लागू होंगे, जो विभाग की शासकीय वेबसाईट के माध्यम से जनित नहीं किये गये हैं'' जोड़ी जायेगी।

(v) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (19) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (20) जोड़ा जायेगा.-

''(20) जहां किसी व्यवहारी ने तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या कपट द्वारा या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में घोषणा प्ररूप(पों) या प्रमाणपत्र(त्रों) जनित किये हैं वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे घोषणा प्ररूप(पों) या प्रमाणपत्र(त्रों) को रद्द कर सकेगा और रद्द किये गये घोषणा प्ररूप या प्रमाणपत्र की सूची विभाग

की शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। इस प्रकार रद्द किये गये घोषणा प्ररूप या प्रमाणपत्र विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से जनित किये हुए नहीं समझें जायेंगे।''

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-28]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.51.-**केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. एफ.12(99) एफडी/टैक्स/07-66 दिनांक 14.02.2008 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति ''0.25 प्रतिशत की दर पर'', के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए 1 प्रतिशत की दर पर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-29]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.52.-**केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 6ख के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-79 दिनांक 31.12.2013 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-30]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.53.**–राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2014 से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 3 का प्रतिस्थापन.–** राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**3. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन.–** (1) धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई आवेदन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 से संलग्न प्ररूप मू.प.क.-01में; उसमें उपबंधित रीति में रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 के अधीन यथा उपबंधित रीति में प्ररूप प्र.क. स्था. क्षे.-2 में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 के अधीन यथाविहित रजिस्ट्रीकरण, संशोधन, रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण की दूसरी जारी करने के आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन से संबंधित उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

**3. नियम 5 का हटाया जाना.–** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 5 हटाया जायेगा।

**4. नियम 6 का हटाया जाना.–** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 6 हटाया जायेगा।

**5. प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-1 का हटाया जाना.–** उक्त नियमों के संलग्न प्ररूप प्र.क.स्था.क्षे.-1 हटाया जायेगा।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-31]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.54.**–राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(25)एफ.डी./टैक्स/11-150, दिनांक 09.03.2011, समय-समय पर यथा संशोधित, को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गयी सूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट और किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, उनके उपभोग या उपयोग या विक्रय के लिए लाये गये माल के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर ऐसी दर से तुरन्त प्रभाव से संदेय होगा जो उक्त सूची के स्तम्भ 3 में उनके सामने निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्:-

**सूची**

| क्र.सं. | माल का विवरण | कर की दर (%) |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | चीनी, बताशा, मिश्री, मखाना एवं चीनी के खिलौने | 0.25 |
| 2 | स्टेनलैस स्टील इन्गोट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स, फ्लेट्स और फ्लेट बार | 5.00 |
| 3 | टिन प्लेट | 5.00 |
| 4 | विनिर्माण या परिष्करण के लिए तिलहन (तिल को अपवर्जित करते हुए) और अशोधित/डीगम तेल परिशोधन हेतु | 3.00 |
| 5 | एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर | 15.00 |
| 6 | मिनरल वाटर और सील बंद पात्रों में विक्रीत जल | 15.00 |
| 7 | एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक उपस्कर | 5.00 |
| 8 | दुपहिया और तिपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यानों (ट्रेक्टरों से भिन्न) के पुर्जे और उप-साधन | 15.00 |
| 9 | अफीम (चिरे हुए डोडा पोस्त से भिन्न) | 50.00 |
| 10 | ऑप्टीकल फाइबर केबल और पालीएथीलिन इन्सुलेटेड जेली फिल्ड दूरसंचार (पी.आई.जे.एफ.) केबल | 5.00 |
| 11 | पेट्रोल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का ईंधन, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, लाइट स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल.पी.जी. (जिसमें टोल्यूईन, प्रोपेन, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, आक्सीलीन, मिक्स-जाइलीन, बेनजीन सम्मिलित है), ए.टी.एफ. (एवीएशन टर्बाइन फ्यूल), फरनेस ऑयल, हेक्सीन (सोलवेंट ऑयल), नेफ्था, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है), पेराफिन वेक्स (क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स को सम्मिलित करते हुए), एल.एस.एच.एस. (लो सल्फर हाई स्टॉक), सी.बी.एफ.एस. (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट, मिथाइल एसीटेट, रीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9 | 5.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (एल.एन.जी.) | 5.00 |
| 13 | सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और ब्रिवरेज | 5.00 |
| 14 | वातित जल | 15.00 |
| 15 | आईसक्रीम | 14.00 |
| 16 | दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों या जीप ट्रेलर के मामले में चार पहियों से अधिक के मोटर यानों के टायर, ट्यूब और फ्लैप | 14.00 |
| 17 | कॉफी, कोको | 5.00 |
| 18 | वायरलैस रिसेप्शन उपकरण और साधित्र; उनके पुर्जे एवं उप-साधन | 5.00 |
| 19 | इलैक्ट्रोनिक मीटर, फैक्स मशीन और सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, रेडियो सेट और रेडियो ग्रामोफोन, वी.सी.आर., वी.सी.पी., टेप रिकॉर्डर्स, ट्रांजिस्टर सेट सहित सभी प्रकार का इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रोनिक माल, और उनके पुर्जे एवं उप-साधन | 14.00 |
| 20 | ऑटोमेटेड टैलर मशीन (ए.टी.एम.) | 5.00 |
| 21 | जी.एस. स्टे सैट्स, स्विच फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित एल्यूमिनियम ढांचे, स्टील फेब्रिकेशन मद | 14.00 |
| 22 | इन्सुलेटर | 5.00 |
| 23 | सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे | 5.00 |
| 24 | टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन | 14.00 |
| 25 | ल्यूब ऑयल एवं ग्रीस को सम्मिलित करते हुए लुब्रिकेन्ट्स | 14.00 |
| 26 | हस्त निर्मित कागज को अपवर्जित करते हुए एवं अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद | 5.00 |
| 27 | एच.डी.पी.ई. बैग, प्लास्टिक बैग और सेक, प्लास्टिक फिल्म और/अथवा शीट रोल्स, प्लास्टिक लेमिनेटेड पाउचेज | 5.00 |
| 28 | ए.सी.एस.आर. कंडक्टर्स | 5.00 |
| 29 | ट्रांसफार्मर्स एवं ट्रांसफार्मर ऑयल | 5.00 |
| 30 | हैंड पंप, उनके पुर्जे और उप-साधन | 5.00 |
| 31 | कम्प्यूटर और उनके उप-साधन | 5.00 |
| 32 | रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाईल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक, और स्टार्च | 5.00 |
| 33 | फोटोकॉपियर | 14.00 |
| 34 | हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनरी), मोबाइल क्रेन्स और हाइड्रोलिक डम्पर्स | 5.00 |
| 35 | सीमेन्ट | 14.00 |
| 36 | बिटुमिन | 14.00 |
| 37 | जैनरेटिंग सैट | 14.00 |
| 38 | टिन कन्टेनर्स | 5.00 |
| 39 | ए.सी. प्रेशर पाईप | 5.00 |
| 40 | थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील ढांचे और स्टील बार | 5.00 |
| 41 | शोरा, बारूद, पोटाश और विस्फोटक | 14.00 |
| 42 | सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स | 14.00 |
| 43 | पाइप और पाइप फिटिंग | 5.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 44 | सेरेमिक और चमकीली टाइल्स | 14.00 |
| 45 | ग्लास और ग्लास की शीट | 14.00 |
| 46 | पान मसाला (जर्दा मिक्स नहीं) | 65.00 |
| 47 | वे ब्रिज | 14.00 |
| 48 | लिफ्ट और ऐलीवेटर | 14.00 |
| 49 | मार्बल काटने के औजार, गैंगसा | 14.00 |
| 50 | डायमण्ड बिट्स | 5.00 |
| 51 | फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर | 5.00 |
| 52 | पुर्जे और उप-साधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र | 14.00 |
| 53 | पीपी/एच.डी.पी.ई. वोवन फैब्रिक्स | 5.00 |
| 54 | तम्बाकू, सिगरेट, चिरूट, सिगार और सिगारीलोस, गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दायुक्त पान मसाला | 65.00 |
| 55 | स्टे वॉयर | 5.00 |

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.55.**-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं.13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(25)एफ.डी./टैक्स/11-151, दिनांक 09.03.2011, समय-समय पर यथा संशोधित, को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गई सूची में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) के अधीन उद्ग्रहणीय कर राज्य में संदत्त कर दिया गया है,

**सूची**

| क्र.सं. | माल का विवरण |
|---|---|
| **1** | **2** |
| 1 | स्टेनलैस स्टील इन्गोट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स, फ्लेट्स और फ्लेट बार |
| 2 | टिन प्लेट |
| 3 | विनिर्माण या परिष्करण के लिए तिलहन (तिल को अपवर्जित करते हुए) और अशोधित/डीगम तेल परिशोधन हेतु |
| 4 | एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर |
| 5 | मिनरल वाटर और सील बंद पात्रों में विक्रीत जल |
| 6 | एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक उपस्कर |
| 7 | दुपहिया और तिपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यानों (ट्रेक्टरों से भिन्न) के पुर्जे और उप-साधन |
| 8 | अफीम (चिरे हुए डोडा पोस्त से भिन्न) |

| | |
|---|---|
| 9 | ऑप्टीकल फाइबर केबल और पालीएथीलिन इन्सुलेटेड जेली फिल्ड दूरसंचार (पी.आई.जे.एफ.) केबल |
| 10 | पेट्रोल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का ईंधन, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, लाइट स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल.पी.जी. (जिसमें टोल्यूईन, प्रोपेन, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, आक्सीलीन, मिक्स-जाइलीन, बेनजीन सम्मिलित है), ए.टी.एफ. (एवीएशन टर्बाइन फ्यूल), फरनेस ऑयल, हेक्सीन (सोलवेंट ऑयल), नेफ्था, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है) पेराफिन वेक्स (क्लोरिनेटेड पेराफिन वेक्स को सम्मिलित करते हुए), एल.एस.एच. एस. (लो सल्फर हाई स्टॉक), सी.बी.एफ.एस. (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट, मिथाइल एसीटेट, रीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9 |
| 11 | सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और ब्रिवरेज |
| 12 | वातित जल |
| 13 | आईसक्रीम |
| 14 | दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों या जीप ट्रेलर के मामले में चार पहियों से अधिक के मोटर यानों के टायर, ट्यूब और फ्लैप |
| 15 | कॉफी, कोको |
| 16 | वायरलैस रिसेप्शन उपकरण और साधित्र; उनके पुर्जे एवं उप-साधन |
| 17 | इलैक्ट्रोनिक मीटर, फैक्स मशीन और सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, रेडियो सेट और रेडियो ग्रामोफोन, वी.सी.आर., वी.सी.पी., टेप रिकॉर्डर्स, ट्रांजिस्टर सेट सहित सभी प्रकार का इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रोनिक माल, और उनके पुर्जे एवं उप-साधन |
| 18 | ऑटोमेटेड टैलर मशीन (ए.टी.एम.) |
| 19 | जी.एस. स्टे सैट्स, स्विच फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित एल्यूमिनियम ढांचे, स्टील फेब्रिकेशन मद |
| 20 | इन्सुलेटर |
| 21 | सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे |
| 22 | टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन |
| 23 | ल्यूब ऑयल एवं ग्रीस को सम्मिलित करते हुए लुब्रिकेन्ट्स |
| 24 | हस्त निर्मित कागज को अपवर्जित करते हुए एवं अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद |
| 25 | एच.डी.पी.ई. बैग, प्लास्टिक बैग और सेक, प्लास्टिक फिल्म और/अथवा शीट रोल्स, प्लास्टिक लेमिनेटेड पाउचेज |
| 26 | ए.सी.एस.आर. कंडक्टर्स |
| 27 | ट्रांसफार्मर्स एवं ट्रांसफार्मर ऑयल |
| 28 | हैंड पंप, उनके पुर्जे और उप-साधन |
| 29 | कम्प्यूटर और उनके उप-साधन |
| 30 | रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाईल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक, और स्टार्च |
| 31 | फोटोकॉपियर |
| 32 | हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनरी), मोबाइल क्रेन्स और हाइड्रोलिक डम्पर्स |
| 33 | सीमेन्ट |
| 34 | बिटुमिन |
| 35 | जैनरेटिंग सैट |

| | |
|---|---|
| 36 | टिन कन्टेनर्स |
| 37 | ए.सी. प्रेशर पाईप |
| 38 | थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील ढांचे और स्टील बार |
| 39 | शोरा, बारूद, पोटाश और विस्फोटक |
| 40 | सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स |
| 41 | पाइप और पाइप फिटिंग |
| 42 | सेरेमिक और चमकीली टाइल्स |
| 43 | ग्लास और ग्लास की शीट |
| 44 | पान मसाला (जर्दा मिक्स नहीं) |
| 45 | वे ब्रिज |
| 46 | लिफ्ट और ऐलीवेटर |
| 47 | मार्बल काटने के औजार, गैंगसा |
| 48 | डायमण्ड बिट्स |
| 49 | फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर |
| 50 | पुर्जे और उप-साधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र |
| 51 | पीपी/एच.डी.पी.ई. वोवन फैब्रिक्स |
| 52 | तम्बाकू, सिगरेट, चिरूट, सिगार और सिगारीलोस, गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दायुक्त पान मसाला |
| 53 | स्टे वॉयर |

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.56.-**राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006-136 दिनांक 08.03.2006 में 08.03.2006 से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति

''(ii) राज्य में मोटर यानों, दुपहिया और तिपहिया को सम्मिलित करते हुए, के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के मोटर यान (ट्रैक्टर से भिन्न) के पुर्जे और उप-साधन।'',

के स्थान पर अभिव्यक्ति

''राज्य में मोटर यानों (ट्रैक्टर से भिन्न) के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त दुपहिया या तिपहिया को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यानों (ट्रैक्टर से भिन्न) के पुर्जे और उपसाधन, टायर, ट्यूब और फ्लैप इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि निक्षिप्त कर, यदि कोई हो, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।"

प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-34]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.57.**-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, स्थानीय क्षेत्र में लाये गये और पवन चक्कियों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किये गये माल पर उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से पवन चक्कियों के विनिर्माताओं को इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-35]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.58.**-राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(27) एफडी/टैक्स/2013-81 दिनांक 31.12.2013 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-36]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.59.**–राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये 1 दिसम्बर, 2014 से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 3 का संशोधन.–** राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**3. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन.–** (1) धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई आवेदन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 से संलग्न प्ररूप मू.प.क.–01 में उसमें उपबंधित रीति में रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वयं का समाधान होने पर कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है, प्ररूप एलटीएच–2 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 में उपबंधित की गई रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 के अधीन यथाविहित रजिस्ट्रीकरण, संशोधन, रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण की दूसरी प्रति जारी करने के, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिभूति देने के लिए आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन से संबंधित उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

**3. नियम 4 का हटाया जाना.–** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 4 हटाया जायेगा।

**4. प्ररूप एलटीएच.–1 का हटाया जाना.–** उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप एलटीएच.–1 हटाया जायेगा।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014–37]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.60.**–राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009–29 दिनांक 08.

07.2009 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि होटलों या बासों में उपलब्ध कराये गये विलासों के लिये इस अधिनियम के अधीन होटलों या बासों के स्वामी द्वारा संदेय कर की दर निम्न प्रकार से होगीः-

| **क्र. सं.** | **होटलों के प्रवर्ग** | **कर की दर** |
|---|---|---|
| 1. | हैरिटेज होटलों को छोड़कर किन्तु भारत सरकार द्वारा ''ग्रांड'' प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत हैरिटेज होटलों या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी समिति द्वारा ''ग्रांड'' प्रवर्ग के समतुल्य वर्गीकृत किये गये होटलों को सम्मिलित करते हुए समस्त होटल, यदि विलासों के लिए प्रभारों की दर प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 3001/- रू. या अधिक है। | 10 प्रतिशत |
| 2. | समस्त अन्य होटल, यदि विलासों के लिए प्रभारों की दर प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 3001/- रू. या अधिक है। | 8 प्रतिशत |

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-38]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.61.**-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निम्नलिखित में उपलब्ध कराये जाने वाले विलासों पर संदेय कर के संदाय से इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती हैः-

(i) पाँच कमरों तक की बास क्षमता वाले हैरीटेज होटल ; और
(ii) पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत पेईंग गेस्ट हाऊस।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-39]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.62.**-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.10(14)एफडी/टैक्स/97 पार्ट-135 दिनांक 04.12.2004 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, और नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के मासों में माउन्ट आबू के अधिसूचित क्षेत्र में ऑफ-सीजन होने के कारण, उक्त कालावधि के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय विलास कर के पचास प्रतिशत के संदाय से होटलवाले को इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-40]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.63.**-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.10(14)एफडी/टैक्स/97 पार्ट-134 दिनांक 04.12.2004 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्र में, माउन्ट आबू के अधिसूचित क्षेत्र को छोडकर, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के मासों में ऑफ-सीजन होने के कारण उक्त कालावधि के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र के लिये उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय विलास कर के पचास प्रतिशत के संदाय से होटलवाले को इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-41]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.64.**-राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 के नियम 7 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(27) एफडी/टैक्स/2013-80 दिनांक 31.12.2013 को इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विखंडित करती है।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-42]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.65.**–राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 34 का अंतःस्थापन.-** राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम 1957 के विद्यमान नियम 33 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 34 जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"**34. प्रतिदाय.-** जहां विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी स्वत्वधारी या किसी व्यक्ति ने कर, शास्ति, ब्याज या शोध्य अन्य राशि से अधिक का संदाय कर दिया है, और अधिक संदाय स्वत्वधारी या व्यक्ति को प्रतिदेय है, तो विहित प्राधिकारी या तो स्वःप्रेरणा से या इस निमित्त किये गये आवेदन पर, अधिक रकम के प्रतिदाय के लिए आदेश पारित करेगा। प्रतिदाय मंजूर करने की प्रक्रिया, प्ररूप और रीति जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के अधीन विहित है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-43]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.66.**–राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि ऐसा किये जाने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान है इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-149 दिनांक 09.03.2011 को इसके द्वारा विखण्डित करती है।

यह 01.08.2014 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-44]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.67.**–राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि ऐसा करने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-121 दिनांक 26.03.2012 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मनोरंजन के सभी प्रवर्गों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य मनोरंजन कर का, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से परिहार करती है।" के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में किसी भी माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन, डायरेक्ट टू होम ब्राडकास्टिंग सर्विस, केबल टेलीविजन नेटवर्क और वीडियो गेम पार्लर को छोड़कर मनोरंजन के सभी प्रवर्गों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य मनोरंजन कर का इसके द्वारा परिहार करती है।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

यह दिनांक 01.08.2014 से प्रवृत होगी।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-45]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.68.**–राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2008-88 दिनांक 25.02.2008 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में कर की दर अधिसूचित करती है-

(i) किसी सिनेमाहाल या मल्टीप्लेक्स में किसी भी माध्यम द्वारा फिल्म के प्रदर्शन के मामले में किसी मनोरंजन में प्रवेश के संदाय का तीस प्रतिशत, और

(ii) विडियो गेम पार्लर के मामले में किसी मनोरंजन में प्रवेश के संदाय का दस प्रतिशत।

यह दिनांक 01.08.2014 से प्रवृत होगा।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-46]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.69.**-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 4कक की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006-139 दिनांक 08.03.2006 और एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2008-91 दिनांक 25.02.2008 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी डायरेक्ट टू होम-प्रसारण सेवा के माध्यम से या एड्रैसिबल सिस्टम के साथ या अन्यथा केबल सेवा के माध्यम से किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिये मनोरंजन कर की दर ऐसे मनोरंजन में प्रवेश के लिये संदाय का दस प्रतिशत होगी।

यह दिनांक 01.08.2014 से प्रवृत होगी।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-47]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.70.**-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों के संबंध में मनोरंजन कर के संदाय से परिहार संबंधी जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं और आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निम्नलिखित में मनोरंजन हेतु प्रवेश के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर का इसके द्वारा परिहार करती है,-

(i) सिनेमाघरों (मल्टीप्लेक्सों को छोड़कर) जहां प्रवेश के लिए संदाय प्रति टिकिट पचहत्तर रूपये से कम है; और

(ii) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख तक की जनसंख्या वाले नगरपालिक नगरों/शहरों में स्थित सिनेमाघर (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर)।

यह दिनांक 01.08.2014 से प्रवृत होगी।

[एफ.12(59)वित्त/कर/2014-48]
राज्यपाल के आदेश से,

**आदित्य पारीक,**
संयुक्त शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.71.-**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2013-115 दिनांक 6.3.2013 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) के अधीन करार या किसी करार के ज्ञापन और अनुच्छेद 44 के खण्ड (ङङ) के अधीन मुख्त्यारनामे पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया जायेगा और निम्नलिखित रूप में प्रभारित किया जायेगाः-

1. भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत जहां विकासकर्ता या संप्रवर्तक को विकसित सम्पति के किसी भाग का विक्रय करने के लिये करार या किसी करार के ज्ञापन या मुख्त्यारनामे के अधीन शक्तियां नहीं दी गयी हैं।

2. जहां विकासकर्ता या संप्रर्वतक को करार या करार के ज्ञापन या मुख्यारनामे के अधीन विकसित सम्पति के किसी भाग का विक्रय करने की शक्तियां दी गयी हैं वहां :-

(क) प्रतिफल के रूप में संप्रर्वतक या विकासकर्ता को दिये जाने के लिए सहमत हुई विकसित सम्पति के अधीन भूमि के आनुपातिक भाग के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत; और

(ख) भूमि के शेष आनुपातिक भाग के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-49]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.72.-**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(15)एफ.डी./टैक्स/2008-97 दिनांक 25.2.2008 और आदेश सं. एफ.5(52) एफ.डी./टैक्स/2010 दिनांक 19.10.2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 या अन्य किसी सुसंगत नियमों के अधीन जारी भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, घटाया जायेगा और प्रत्येक मामले में 500 रुपये की न्यूनतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रभारों या फीस की रकम पर 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा। भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश पर संदत्त स्टाम्प शुल्क, ऐसे आदेश के अनुसरण में पट्टा विलेख के निष्पादन के समय पट्टा विलेख पर प्रभार्य शुल्क की कुल रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा।

**स्पष्टीकरणः**

(i) यह अधिसूचना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व जारी आदेशों और कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष समुचित स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित भू-उपयोग परिवर्तन आदेशों पर भी लागू होगी।

(ii) पहले से ही संदत्त किये गये स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-50]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.73.-**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(15)एफ.डी./टैक्स/2012-100 दिनांक 26.3.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा कम्पनियों के या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश द्वारा बैंककारी कम्पनियों के समामेलन या पुनर्गठन से संबंधित हस्तांतरण विलेख पर पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

**स्पष्टीकरणः**

(i) यह अधिसूचना कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित मामलों पर भी लागू होगी।

(ii) पहले से ही संदत्त किये गये स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-51]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.74.**-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(18)एफ.डी./टैक्स/96-42 दिनांक 24.8.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क,-

(i) नये खनन पट्टे की दशा में घटाया जायेगा और हस्तान्तरण पत्र की दर पर पट्टेदार द्वारा संदत्त वार्षिक अनिवार्य भाटक की तीन गुना रकम, प्रतिभूति की रकम और अन्य विविध खर्चों पर प्रभारित किया जायेगा।

(ii) नीलाम के माध्यम से मंजूर की गयी और अनिवार्य भाटक तथा रायल्टी के साथ बोली की रकम का संदाय करने का उपबंध करने वाले खनन पट्टे की दशा में घटाया जायेगा और हस्तान्तरण पत्र की दर पर पट्टेदार द्वारा संदत्त बोली की रकम, वार्षिक अनिवार्य भाटक की तीन गुना रकम, प्रतिभूति की रकम और अन्य विविध खर्चों पर प्रभारित किया जायेगा।

(iii) खनन पट्टे के नवीकरण की दशा में घटाया जायेगा और हस्तान्तरण पत्र की दर पर पट्टेदार द्वारा संदत्त वार्षिक अनिवार्य भाटक की तीन गुना रकम या पूर्ववर्ती तीन वर्षों की रायल्टी की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रतिभूति की रकम और अन्य विविध खर्चों पर प्रभारित किया जायेगा।

(iv) खनन पट्टे के अन्तरण की दशा में घटाया जायेगा और हस्तान्तरण पत्र की दर पर पट्टेदार द्वारा संदत्त अनिवार्य भाटक की दोगुना रकम या पूर्ववर्ती दो वर्षों की रायल्टी की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, स्थल पर कराये गये विकास कार्यों की लागत और अन्य विविध खर्चों पर प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-52]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.75.**–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के प्रत्येक अरजिस्ट्रीकृत और अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नलिखित रूप से प्रभारित किया जायेगाः-

| क्र.सं. | लिखत के ब्यौरे | हस्तांतरण पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मंडी और मंडी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी या उपक्रम द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में आवंटन आदेश के आधार पर पूर्वोक्त प्राधिकारियों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत | सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आवंटन की रकम का 1.5 गुना पर इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि पट्टाधारक अपने पट्टा विलेख के साथ ऊपर उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें मूल आवंटन रकम, उस स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की संख्या का कथन हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। |
| 2. | नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के अन्य प्रवर्गों के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत। | सम्पत्ति के बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत रकम पर |

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-53]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.76.**–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मंडी और मंडी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी या उपक्रमों द्वारा उनके द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के बारे में, निष्पादित पट्टा विलेख या विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगाः–

| क्र. सं. | ब्यौरे | हस्तांतरण पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | यदि लिखत उसके निष्पादन की तारीख से दो माह के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। | ऐसी लिखत पर प्रतिफल में संदेय ब्याज या शास्ति को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो, प्रिमियम की रकम और अन्य प्रभारों और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर। |
| 2. | यदि लिखत उसके निष्पादन की तारीख से दो मास पश्चात् किन्तु चार मास से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। | उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के लिए संगणित की गयी रकम के 125 प्रतिशत पर |
| 3. | यदि लिखत उसके निष्पादन की तारीख से चार मास पश्चात् किन्तु आठ मास से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। | उपर्युक्त क्रम संख्या 1 के लिए संगणित की गयी रकम के 150 प्रतिशत पर |

**टिप्पणः** निष्पादन की दिनांक से आठ मास पश्चात् और स्थानीय निकायों से पुनः विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत पट्टा विलेख या विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर या उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के लिए संगणित की गयी रकम के 150 प्रतिशत पर, इनमें से जो भी अधिक हो, संगणित किया जायेगा।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-54]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.77.**–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अधीन जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिक बोर्ड और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन उपर्युक्त स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान पर रखी गयी भूमि के आवंटन या नियमितीकरण के पश्चात्, जारी/निष्पादित पट्टा विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, निम्नलिखित रूप से घटाया जायेगा और प्रभारित किया जायेगाः-

| क्र.सं. | ब्यौरे | हस्तान्तरण पत्र की दर पर संदेय स्टाम्प शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | यदि पट्टा विलेख खातेदार के स्वयं के पक्ष में जारी किया जाता है। | ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त, प्रीमियम, विकास प्रभार और अन्य प्रभारों की रकम और दो वर्ष के भाटक की औसत रकम पर। |
| 2. | यदि पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत या सम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत के आधार पर खातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है। | ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त, प्रीमियम, विकास प्रभार और अन्य प्रभारों की रकम और दो वर्ष के भाटक की औसत रकम पर। |
| 3. | यदि पट्टा विलेख अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है। | संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की विहित वर्तमान दरों के आधार पर संगणित मूल्य पर और यदि क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की दरें विहित नहीं हैं, तो निकटवर्ती क्षेत्र के आरक्षित मूल्य के आधार पर। |

**टिप्पणः** निष्पादन की दिनांक से आठ मास पश्चात् और स्थानीय निकायों से पुनः विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की विहित वर्तमान दरों के आधार पर संगणित मूल्य के 150 प्रतिशत पर, इनमें से जो भी अधिक हो, संगणित किया जायेगा। जहां क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की दरें विहित नहीं हैं वहां निकटवर्ती क्षेत्र का आरक्षित मूल्य उस क्षेत्र का आरक्षित मूल्य समझा जायेगा।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.78.**–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स/2003-223 दिनांक 5.3.2003 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पट्टा विलेख के प्रवर्गों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया जायेगाः-

| क्र.सं. | पट्टा का विवरण | स्टाम्प शुल्क की दर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | जहां ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया है और प्रीमियम संदत्त या परिदत्त नहीं किया गया है- | |
| | (i) जहां पट्टा एक वर्ष से कम की किसी अवधि के लिये किया गया तात्पर्यित है। | न्यूनतम 500/- रु0 के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टे के अधीन संदेय भाटक की संपूर्ण रकम का 0.5 प्रतिशत |
| | (ii) जहां पट्टा एक वर्ष या अधिक, और दस वर्ष तक की अवधि के लिये किया गया तात्पर्यित है। | दो वर्ष के औसत भाटक की रकम का एक प्रतिशत |
| 2. | जहां पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों के लिए मंजूर किया गया है किन्तु ऐसा अग्रिम दिया गया धन या अग्रिम दिया गया विकास प्रभार या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभार प्रतिदेय है और पट्टा दस वर्ष तक की अवधि के लिए किया गया तात्पर्यित है। | (i) न्यूनतम 1000/- रु0 के अध्यधीन रहते हुए आवासीय संपत्तियों के पट्टों की दशा में संपूर्ण कालावधि के लिए भाटक का 0.5 प्रतिशत |
| | | (ii) न्यूनतम 5000/- रु0 के अध्यधीन रहते हुए आवासीय संपत्तियों से भिन्न पट्टों की दशा में संपूर्ण कालावधि के लिए भाटक का 1 प्रतिशत |
| 3. | जहां पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों के लिए मंजूर किया गया है किन्तु ऐसा अग्रिम दिया गया धन या अग्रिम दिया गया विकास प्रभार या अग्रिम दिये | (i) न्यूनतम 2000/- रु0 के अध्यधीन रहते हुए आवासीय संपत्तियों के पट्टों की दशा में संपूर्ण कालावधि के लिए भाटक और जुर्माने की रकम या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों का |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | गये प्रतिभूति प्रभार अप्रतिदेय है और पट्टा दस वर्ष तक की अवधि के लिए किया गया तात्पर्यित है। | | 0.5 प्रतिशत |
| | | (ii) | न्यूनतम 7000/- रु0 के अध्यधीन रहते हुए आवासीय से अन्यथा संपत्तियों के पट्टों की दशा में संपूर्ण कालावधि के लिए भाटक और जुर्माने की रकम या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों का 1 प्रतिशत |

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-56]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.79.**-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक बहुमंजिला भवनों की इकाई के पश्चात्वर्ती हस्तान्तरण विलेख, जो ऐसी इकाई के प्रथम हस्तान्तरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् निष्पादित किया गया है, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगाः-

| **क्र. सं.** | **पश्चात्वर्ती अन्तरण की कालावधि** | **बाजार मूल्य पर संदेय स्टाम्प शुल्क की दर** |
|---|---|---|
| 1. | ऐसी इकाई के हस्तांतरण विलेख के प्रथम रजिस्ट्रीकरण से एक वर्ष के भीतर ऐसी इकाई के अंतरण पर | 2 प्रतिशत |
| 2. | ऐसी इकाई के हस्तांतरण विलेख के प्रथम रजिस्ट्रीकरण से एक वर्ष पश्चात् किन्तु दो वर्ष के भीतर ऐसी इकाई के अन्तरण पर | 3 प्रतिशत |
| 3. | ऐसी इकाई के हस्तांतरण विलेख के प्रथम रजिस्ट्रीकरण से दो वर्ष पश्चात् किन्तु तीन वर्ष के भीतर ऐसी इकाई के अन्तरण पर | 4 प्रतिशत |

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-57]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.80.**–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ.2(11)एफडी/टैक्स/2003/110 दिनांक 14.01.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि महिलाओं के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क –

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बी.पी.एल. प्रवर्गों की महिलाओं की दशा में तीन प्रतिशत;
(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बी.पी.एल. प्रवर्गों से भिन्न महिलाओं की दशा में चार प्रतिशत;

की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-58]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.81.**–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(11)एफ.डी./टैक्स/2003-110 दिनांक 14.01.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निःशक्त व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

**स्पष्टीकरणः** ''निःशक्त व्यक्ति'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रसित है।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-59]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.82.–**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. एफ 2(11)एफ.डी./टैक्स/2003-110 दिनांक 14.01.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन से संबंधित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और अधिकृत अंश पूंजी में बढ़ोतरी के 0.2 प्रतिशत की दर से या पच्चीस लाख रुपये, इसमें से जो भी कम हो, प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-60]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.83.–**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 2 का संशोधन.–** राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ञ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ट) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड '(ञ-क)' अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(ञ-क) ''वर्ष'' से 1 अप्रेल को आरम्भ होने वाली और 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि अभिप्रेत है।''

**3. नियम 3-क का अंतःस्थापन.–** विद्यमान नियम 3 के पश्चात् और विद्यमान नियम 4 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 3क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**3क. स्टाम्प शुल्क का संदाय करने के अन्य तरीके.–** (1) नियम 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी लिखत पर संदेय स्टाम्प

शुल्क या कमी स्टाम्प शुल्क किसी अनुसूचित बैंक की किसी शाखा पर आहरित मांगदेय ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर द्वारा या महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, अभिकरण या कम्पनी द्वारा इलेक्ट्रोनिक तरीके द्वारा जारी स्टाम्प के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी बैंक में ई-चालान के माध्यम से सरकारी खाता शीर्ष 0030 में भी निक्षिप्त किया जायेगा।

(2) ऐसे मामलों में जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो, वहां महानिरीक्षक स्टाम्प, कमी स्टाम्प शुल्क का नकद में संदाय भी अनुज्ञात कर सकेगा।

**4. नियम 23 का संशोधन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 23 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति ''तीन लाख'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एक लाख'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

**5. नियम 58 का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**58. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए प्रक्रिया.-** (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, स्थावर सम्पत्ति से संबंधित लिखत के मामले में,-

(क) नियम 2(ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों के आधार पर कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि;

(ख) राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा अवधारित या राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा अवधारित दरों के आधार पर भूमि के अन्य प्रवर्ग की भूमि;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों के आधार पर सन्निर्मित भाग;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियत मानदण्ड के आधार पर बहुमंजिला भवनों के अधीन आनुपातिक भूमि;

के बाजार मूल्य का निर्धारण करेगाः

परन्तु राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2014 के प्रारम्भ से पूर्व भूमि के अन्य प्रवर्गों के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि राज्य सरकार या, यथास्थिति, महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा पुनः अवधारित न की जायें।

(2) जिला स्तरीय समिति कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों के पुनरीक्षण के लिए वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रतिवर्ष एक बैठक आयोजित करेगी। जिला स्तरीय समिति ऐसी भूमि के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर विचार करेगी।

परन्तु यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें विद्यमान दरों से 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दी जाती हैं तो इस प्रकार सिफारिश की गयी वर्धित दरें राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही विचार में ली जायेंगी।

(3) यदि जिला स्तरीय समिति किसी वर्ष 31 मार्च तक कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों को पुनरीक्षित नहीं करती है तो उस जिले में भूमि के ऐसे प्रवर्गों का बाजार मूल्य अगले 1 अप्रेल में विद्यमान दरों से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) यदि परिस्थितियों द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उपर्युक्त उप-नियम (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी या महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा अवधारित की गयी दरों को पुनः अवधारित कर सकेगी। इस प्रकार अवधारित दरें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण का आधार होंगी और तब तक मान्य होंगी जब तक कि जिला स्तरीय समिति इस प्रकार अवधारित दरों को पुनरीक्षित नहीं करें।''

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-61]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.84.-**राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात् कि जिला स्तरीय समिति ने दीर्घ कालावधि से बाजार दरों का पुनरीक्षण नहीं किया है और इस दौरान राज्य में भूमि के बाजार मूल्य में सारभूत रूप से वृद्धि हुई है, इसके द्वारा आदेश देती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि की बाजार दरें, उस जिले या उन जिलों के लिए, जहां भूमि की दरें 30.9.14 तक जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षित नहीं की गयी है और इसकी सिफारिश नहीं की गयी है, 01.10.14 से पुनः अवधारित की जायेंगी और बढ़ायी जायेंगी :-

(i) उस जिले या उन जिलों में जहां वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षित और सिफारिश नहीं की गयी हैं वहां 15 प्रतिशत।

(ii) उस जिले या उन जिलों में जहां वर्ष 2013-14 के लिए भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षित और सिफारिश नहीं की गयी हैं वहां 10 प्रतिशत।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-62]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.85.**–राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी गयी समस्त अधिसूचनाओं, महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों और परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिए भूमि के निम्नलिखित प्रवर्गों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए इसके द्वारा दरें निम्नानुसार पुनः अवधारित करती है :-

**1. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र की दरों के समतुल्य होगी, यदि भूमि ऐसे क्षेत्र के पाँच किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित है।
(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों का दोगुना होगी।

**2. संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

(i) उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर का डेढ़ गुना के समतुल्य होगी, जहाँ भूमि सहकारी सोसाइटियों/पूर्त संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी है।
(ii) उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर का दोगुना के समतुल्य होगी, जहाँ भूमि कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों, या फर्मों, या उपर्युक्त खण्ड (i) में वर्णित से भिन्न किसी संस्था द्वारा क्रय की गयी है।

**3. खनन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

क्रय की गयी कृषि भूमि या ऐसी कृषि भूमि, जिसके संबंध में खनन प्रयोजन के लिए भू-स्वामी और पट्टाकर्त्ता के मध्य सहमति विलेख निष्पादित किया गया है, की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों का दोगुना के समतुल्य होगी।

**4. रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

(i) उस भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है या अधिकतम अनुज्ञेय संनिर्मित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, पर उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।
(ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों का डेढ़ गुना के समतुल्य होगी।

**5. मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

(i) उस भाग, जिस पर संनिर्माण किया गया है या अधिकतम अनुज्ञेय संनिर्मित क्षेत्र, इनमें से जो भी अधिक हो, पर उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

(ii) भूमि के शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों का डेढ़ गुना के समतुल्य होगी।

**6. कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें**

यदि कृषि भूमि कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की जाती है और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन स्टाम्प शुल्क की रियायत प्राप्त की जाती है तो ऐसी भूमि का बाजार मूल्य उस भूमि के प्रवर्ग के लिए निर्धारित दरों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिए कृषि भूमि क्रय की गयी है। अन्य मामलों में ऐसी भूमि का बाजार मूल्य कृषि भूमि की डेढ़ गुना दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

**7. फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें**

फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें,-

(i) उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी जहां उस भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तक है।

(ii) 500 वर्गमीटर या वह भाग जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य और शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों का दोगुना के समतुल्य होगी, जहाँ फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2500 वर्गमीटर से कम है।

(iii) 500 वर्गमीटर या कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत या वह भाग जिस पर संनिर्माण किया गया है, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य और शेष भाग के लिए उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों का डेढ़ गुना के समतुल्य होगी, जहाँ फार्म हाउस का कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर या अधिक है और भूमि नगरीय क्षेत्रों (नगरीय बस्तियों की सीमाओं को सम्मिलित करते हुए) में या नगरीय क्षेत्रों की परिधीय सीमाओं में या राष्ट्रीय/राज्य/मेगा हाइवे के एक किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित है।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-63]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.86.**-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(38)एफडी/टैक्स/09-67 दिनांक 08.12.2009 और इस संबंध में महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा जारी किये गये समस्त आदेशों और परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार संनिर्मित भाग के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित रूप में इसके द्वारा दरें विहित करती है :-

| क्र.सं. | संनिर्माण के प्रवर्ग | दरें |
|---|---|---|
| 1. | भू-तल+2 तलों तक वाले आवासीय या वाणिज्यिक भवनों में आर.सी.सी. संनिर्माण | रु. 800/- प्रति वर्ग फुट |
| 2. | भू-तल+3 या अधिक तलों तक वाले आवासीय भवनों में आर.सी.सी. संनिर्माण | रु. 1000/- प्रति वर्ग फुट |
| 3. | भू-तल+3 या अधिक तलों तक वाले वाणिज्यिक भवनों में आर.सी.सी. संनिर्माण | रु. 1200/- प्रति वर्ग फुट |
| 4. | आर.सी.सी. संनिर्माण से भिन्न संनिर्माण | रु. 600/- प्रति वर्ग फुट |
| 5. | टिन शेड | रु. 2000/- प्रति वर्ग मीटर |
| 6. | बाउण्ड्रीवाल | रु. 400/- प्रति रनिंग मीटर |

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-64]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.87.-**राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों और परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा वे मानदंड विहित करती है जिसके आधार पर बहुमंजिला भवनों के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा :-

| क्र.सं. | ईकाई का विवरण | भूमि के मूल्यांकन की रीति |
|---|---|---|
| 1. | छत के अधिकार के बिना भू-तल पर ईकाई के अन्तरण पर | भूमि की विहित दर का 80 प्रतिशत |
| 2. | छत के अधिकार के बिना प्रथम या द्वितीय तल पर ईकाई के अन्तरण पर | भूमि की विहित दर का 70 प्रतिशत |
| 3. | छत के अधिकार के बिना तहखाना (बेसमेण्ट) या तृतीय या ऊपर के तल पर ईकाई के अन्तरण पर | भूमि की विहित दर का 60 प्रतिशत |
| 4. | निवासीय ईकाइयों में सामान्य क्षेत्र (सुपर बिल्ट-अप ऐरिया पर) | 200/- रु. प्रति वर्ग फुट |
| 5. | निवासीय ईकाइयों से अन्यथा में सामान्य क्षेत्र (सुपर बिल्ट-अप ऐरिया पर) | 400/- रु. प्रति वर्ग फुट |

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-65]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.88.**–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के लिए बिना प्रतिफल के दिये गये मुख्तारनामा पर रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से या दस हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, प्रभार्य होगी।

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-66]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**वित्त विभाग**
**(कर अनुभाग)**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.89.**–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के लिए बनाये गये राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम (जिल्द-1), 2014 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 74 का संशोधन.–** राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1), जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 74 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (3) के पूर्व निम्नलिखित नये उप-नियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"(2क) किसी लिखत पर संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस किसी अनुसूचित बैंक की किसी शाखा पर आहरित मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या पे ऑर्डर द्वारा संदत्त की जायेगी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी बैंक में यथाविहित ई-ग्रास चालान के माध्यम से सरकारी खाता शीर्ष 0030 में निक्षिप्त की जायेगी।

(2ख) महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, रजिस्ट्रीकरण फीस के संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति, अभिकरण या कम्पनी को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2ग) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसा मांगदेय ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर या ई-ग्रास चालान या रजिस्ट्रीकरण फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, अभिकरण या कंपनी द्वारा जारी संदाय की रसीद के प्रस्तुत किये जाने पर इस प्रकार संदत्त रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम को लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा ऐसी रीति में प्रमाणित करेगा जो विहित की जाये।

(2घ) उन मामलों में जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण उप रजिस्ट्रार के कतिपय कार्यालयों में, जो अधिसूचित किये जायें, नकद में रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2ङ) इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस की रकम के अवधारण में, 10/- रुपये की कोई भिन्न, 50 पैसे के समतुल्य या अधिक होने पर अगले 10/- रुपयों में पूर्णांकित की जायेगी और 50 पैसे से कम भिन्न को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।''

**3. नियम 96 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 96 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''10,000/- रुपये तक नकद में या मांगदेय ड्राफ्ट या चालान के माध्यम से स्टाम्प शुल्क'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर आहरित मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से या पे ऑर्डर द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी बैंक में सरकारी खाता शीर्ष-0030 में निक्षिप्त ई-ग्रास चालान के माध्यम से स्टाम्प शुल्क'', प्रतिस्थापित की जायेगी।

**4. नियम 96 क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 96 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**96क. दस्तावेजों/चैक लिस्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर समुचित स्टाम्प शुल्क का परीक्षण**.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण के पृष्ठांकन से पूर्व, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह दस्तावेज के साथ राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम, 57 के अधीन विहित चैकलिस्ट का यह देखने के लिए परीक्षण करे कि यह दस्तावेज उसके साथ-साथ चैक लिस्ट में वर्णित संपत्ति के विवरण के अनुसार समुचित रूप से स्टाम्पित हैं।''

[एफ.4(15)वित्त/कर/2014-67]
राज्यपाल के आदेश से,

**अपूर्व जोशी,**
उप शासन सचिव

**परिवहन विभाग**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.90.-**राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1पी, दिनांक 09.03.2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्याक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट

गैर-परिवहन यानों के मामले में एकबारीय कर की दर, उसके स्तम्भ संख्याक 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विहित करती हैः-

**सारणी**

| **क्र. सं.** | **मोटर यानों के वर्ग का विवरण** | **एकबारीय कर की दर** |
|---|---|---|
| 1. | केवल व्यक्तियों और हल्के वैयक्तिक सामान के प्रवहण के लिए ही संनिर्मित और उपयोग में लिये जा रहे, दुपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे मोटर यान जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर सहित 10 तक है; | |
| | **(क) ईंजन क्षमता वाले दुपहिया यान** | |
| | (i) 125 सीसी तक | यान की लागत का 4 प्रतिशत |
| | (ii) 125 सीसी से अधिक तथा 200 सीसी तक | यान की लागत का 6 प्रतिशत |
| | (iii) 200 सीसी से अधिक तथा 500 सीसी तक | यान की लागत का 8 प्रतिशत |
| | (iv) 500 सीसी से अधिक | यान की लागत का 10 प्रतिशत |
| | **(ख) तिपहिया यान** | |
| | (i) 1,50,000 रु. तक की लागत वाले यान | यान की लागत का 3 प्रतिशत |
| | (ii) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाले यान | यान की लागत का 4 प्रतिशत |
| | (iii) 1,50,000 रु. तक की लागत वाली चैसिस | चैसिस की लागत का 3.75 प्रतिशत |
| | (iv) 1,50,000 रु. से अधिक लागत वाली चैसिस | चैसिस की लागत का 5 प्रतिशत |
| | **(ग) चार पहिया यान** | |
| | **ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक की सीट क्षमता वाले** | |
| | (i) 3,00,000 रु. तक की लागत वाले यान | यान की लागत का 4 प्रतिशत |
| | (ii) 3,00,000 रु. से अधिक तथा 6,00,000 रु. तक की लागत वाले यान | यान की लागत का 6 प्रतिशत |
| | (iii) 6,00,000 रु. से अधिक की लागत वाले यान | यान की लागत का 8 प्रतिशत |
| | **(घ) ऊपर वर्णित यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या साइड कारें** | उस यान की लागत का 0.30 प्रतिशत जिससे ट्रेलर या साइड कार संलग्न है |
| 2. | अशक्तों के उपयोग के लिए अनुकूलित दुपहिया/तिपहिया मोटर यान | अधिकतम 50 रु0 के अध्यधीन रहते हुए यान की लागत का 0.30 प्रतिशत |
| 3. | निजी उपयोग के लिए कैम्पर वैन/ट्रेलर | |
| | (क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये | चैसिस की लागत का 10 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| | (ख) सम्पूर्ण बॉडी सहित क्रय किये गये | यान की लागत का 7.5 प्रतिशत |
| 4. | रिग, जेनरेटर या कम्प्रेसर जैसे उपस्कर लगे यान, क्रेन माउन्टेड यान, फोर्क लिफ्ट, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टावर वैगन, ट्री ट्रिमिंग यान या किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले अन्य गैर-परिवहन यान। | |
| | (क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये | चैसिस की लागत का 10 प्रतिशत |
| | (ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये गये | यान की लागत का 8 प्रतिशत |
| 5. | संनिर्माण उपस्कर यान | |
| | (क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये | चैसिस की लागत का 7.5 प्रतिशत |
| | (ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये गये | यान की लागत का 6.0 प्रतिशत |

परन्तु :

(1) ऊपर क्रम संख्यांक 1 से 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।

(2) ऊपर क्रम संख्यांक 3 से 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में वर्णित मोटर यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अन्तरण पर रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त एकबारीय कर की 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर संदेय होगा।

(3) कोई भी अतिरिक्त कर संदेय नहीं होगाः-

(i) ऐसे मामलों में जहाँ स्वामित्व का अंतरण मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के कारण मोटर यान का कब्जा उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम में किया जा रहा हो; या

(ii) ऐसे मामलों में जहां यान के स्वामी द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध फाइल किया गया दावा तय हो जाने के कारण यान बीमा कम्पनी के नाम में अन्तरित किया जा रहा हो।

(4) राज्य में पहले से या राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में या मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एकबारीय कर, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक प्रति वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से घटा कर, परिनिर्धारित किया जायेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण से छूटप्राप्त यानों या ऐसे यानों की दशा में जो विहित समय के दौरान रजिस्ट्रीकृत नहीं किये गये थे, जिन पर एकबारीय कर पूर्व में संदेय नहीं था, एकबारीय कर ऊपर यथा-संगणित कर की रकम में से उनके क्रय की तारीख से 10 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 5 प्रतिशत की दर से घटा करके इस शर्त के अध्यधीन परिनिर्धारित किया जायेगा कि ऐसे यान पर शोध्य कर संदत्त कर दिया गया है।

(6) यदि ऊपर क्रम संख्यांक 1 से 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित ऐसे यान भाड़े या पारितोषिक पर चल रहे पाये जायें तो ये यान उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारितोषिक पर चल रहा पाया गया था, समान प्रकार के परिवहन यानों के लिए यथा-अधिसूचित कर का संदाय करने के दायी होंगे किन्तु उन मामलों में जहां यान उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें वह भाड़े या पारितोषिक पर चलता हुआ पाया गया था, रजिस्ट्रीकृत है तो शेष वित्तीय वर्ष के लिए आनुपातिक आधार पर कर संदत्त किया जायेगा।

**टिप्पणः** इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय कोई कर या शास्ति संदत्त की जायेगी।

**स्पष्टीकरणः**

(1) ''संनिर्माण उपस्कर यान'' से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2 (ग क) में यथा-परिभाषित यान अभिप्रेत है। संनिर्माण उपस्कर यान द्वारा सार्वजनिक सड़क का उपयोग मुख्य ऑफ रूट कृत्य का आनुषंगिक है। यदि सार्वजनिक सड़क का नियमित रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये उपयोग हो रहा है तो संनिर्माण उपस्कर यान परिवहन यान समझा जायेगा।

(2) कर की संगणना के लिए यानों की लागतः

(i) नये यान/चैसिस के मामले में क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरुम बाह्य कीमत होगी।

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों के मामले में, और राजस्थान में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत ऐसे यान के लिए, जिन पर एक-बारीय कर पूर्व में संदेय नही था, उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है वह लागत होगी जो इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(iii) भारत के बाहर विनिर्मित यानों के मामले में समस्त करों और उद्ग्रहणों सहित वह रकम होगी जो संदत्त कर दी गयी है, चाहे राजस्थान में नये सिरे से आयातित हो या समनुदेशन के लिए अन्य राज्यों से लाये जायें।

(iv) मिलिट्री डिस्पोजल यानों के मामले में, वह रकम होगी जो रजिस्ट्रीकरण के दिन समान प्रकार के यान पर प्रचलित हो।

[एफ.6(179)परि/कर/मु°/95/1आर]
राज्यपाल के आदेश से,

**डॉ. मनीषा अरोड़ा,**
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.91.**-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं.11) की धारा 4ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ6(179)परि/टैक्स/एच. क्यू./95/22 दिनांक 16.02.2006 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्याक 2 में यथा-विनर्दिष्ट इस राज्य के परिवहन यानों के विभिन्न वर्गों के मामले में एकमुश्त कर की दर उसके स्तम्भ संख्याक 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात् :-

| क्र. सं. | मोटर यान के वर्ग का विवरण | एकमुश्त कर |
|---|---|---|
| 1. | **किराये के लिए प्रयुक्त मोटर साईकिल** | यान की लागत का 3 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | **चौपहिया मोटर यान** | |
| | (क) ड्राइवर को छोड़कर 6 तक की सीट क्षमता वाले मोटर यान (मोटर कैब) | यान की लागत का 11 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.00 लाख के अध्यधीन) |
| | (ख) ड्राइवर को छोड़कर 6 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की सीट क्षमता वाले मोटर यान (मैक्सी कैब) | चैसिस/यान की लागत का 11 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.00 लाख के अध्यधीन) |
| 3. | **माल यान**<br>(1) संलग्न यान | <br>होर्स की लागत का 20 प्रतिशत |
| | (2) संलग्न यान से भिन्न<br>(क) तिपहिया यान<br>(ख) 3000 किग्रा. तक सकल भार यान वाले चौपहिया यान<br>(ग) 3000 किग्रा. से अधिक तथा 7500 किग्रा. तक सकल भार यान वाले चौपहिया यान<br>(घ) 7500 किग्रा. से अधिक सकल भार यान वाले चौपहिया यान | <br>चैसिस/यान की लागत का 9 प्रतिशत<br>चैसिस/यान की लागत का 10 प्रतिशत<br>चैसिस/यान की लागत का 11 प्रतिशत<br>चैसिस/यान की लागत का 11 प्रतिशत |
| | (3) उपर्युक्त किसी भी प्रवर्ग के अधीन नहीं आने वाले अन्य माल यान यथा डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन/ट्रेलर, टिपर, कैश वैन, मोबाइल कैंटीन, हाल पैक डम्पर, मोबाइल वर्कशाप, एम्बूलेंस, पशु एम्बुलैन्स, फायर टैण्डर, स्नोर्क्ड लैडर, आक्जिलरी ट्रेलर और अग्निशमन यान, हीयर्स, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक/एक्स-रे वैन/लाइब्रेरी वैन आदि जैसे यान<br>(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये<br>(ख) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये | <br>चैसिस की लागत का 10 प्रतिशत<br>यान की लागत का 7.50 प्रतिशत |
| 4. | **प्राइवेट सेवा यान**<br>(1) ड्राइवर को छोड़कर 9 तक की सीट क्षमता के साथ<br>(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये<br>(ख) बॉडी के साथ क्रय किये गये | <br>चैसिस की लागत का 15 प्रतिशत<br>यान की लागत का 12 प्रतिशत |
| | (2) ड्राइवर को छोड़कर 9 से अधिक और ड्राइवर को छोडकर 39 तक की सीट क्षमता के साथ<br>(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये<br>(ख) बॉडी के साथ क्रय किये गये | <br>चैसिस की लागत का 35 प्रतिशत<br>यान की लागत का 25 प्रतिशत |
| | (3) ड्राइवर को छोड़कर 39 से अधिक सीट क्षमता के साथ<br>(क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये<br>(ख) बॉडी के साथ क्रय किये गये | <br>चैसिस की लागत का 42 प्रतिशत<br>यान की लागत का 32 प्रतिशत |
| 5. | ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 7 से | |

| | | |
|---|---|---|
| | अधिक और ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक की सीट क्षमता वाली शैक्षणिक संस्था बस<br>(क) चैसिस के रूप में क्रय की गई<br>(ख) बॉडी के साथ क्रय की गई | <br><br>चैसिस की लागत का 15 प्रतिशत<br>यान की लागत का 12 प्रतिशत |
| 6. | माल यानों के रूप में प्रयुक्त गैर-कृषिक ट्रेक्टर-ट्रेलर | ट्रेक्टर, जिसके साथ ट्रेलर जुडा है, की लागत का 9 प्रतिशत |

परन्तुः

(1) संदेय एक मुश्त कर एक बार में या एक वर्ष की कालावधि के भीतर 6 समान किश्तों में संदत्त किया जा सकेगा

(2) राज्य के भीतर या बाहर पहले से रजिस्ट्रीकृत माल यानों की दशा में और राज्य में रजिस्ट्रीकृत माल यानों से भिन्न यानों की दशा में, एकमुश्त कर ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को घटाकर परिवहन यान के रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 5 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 10 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित किया जायेगा।

(3) उस दशा में जहां एकमुश्त कर उक्त अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन संदत्त कर दिया गया है और इसके पश्चात् यान का प्रवर्ग/विवरण परिवर्तित हो जाता है और स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति परिवर्तित प्रवर्ग/विवरण के एकमुश्त कर का संदाय करने का विकल्प देता है वहां एकमुश्त कर ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को घटाकर, उक्त अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन एकमुश्त कर के जमा कराने की तारीख को प्रारम्भ होने वाली कालावधि के लिए और उस तारीख तक जब स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है, 5 वर्ष की अधिकतम कालावधि के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 10 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित किया जायेगा।

(4) उस दशा में जहां एक बारीय कर उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ङ) के अधीन पहले ही संदत्त कर दिया गया है और स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देता है वहां संदेय कर, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर की रकम और उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ङ) के अधीन पहले से संदत्त कर की रकम का अंतर होगा।

**स्पष्टीकरण :-** कर की संगणना के लिए यान की लागत :

(i) नये यान/चैसिस की दशा में क्रय बिल में यथा-दर्शित समस्त करों को सम्मिलित करते हुए शोरूम बाह्य कीमत होगी।

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/क्रय किये गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों की दशा में लागत वह होगी जो उस दिन, जब इस राज्य में तत्समान प्रकार के यान पर कर देय होता है, राजस्थान में प्रचलित है।

(iii) राजस्थान में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों की दशा में, वह लागत होगी जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर कर का संदाय करने का विकल्प देता है, की पहली अप्रैल को राजस्थान में प्रचलित हो।

(iv) उपर्युक्त परन्तुक (2) के अधीन यान के प्रवर्ग/विवरण में परिवर्तन की दशा में वह लागत होगी जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन

कर का संदाय करने का विकल्प देता है, की पहली अप्रैल को राजस्थान में यथा प्रचलित समान प्रकार के यानों पर प्रचलित थी।

(v) उस दशा में जहां कर उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ङ) के अधीन संदत्त कर दिया गया है वहां लागत वह होगी जो उस वित्तीय वर्ष जिसमें वह इस अधिसूचना के अधीन इस राज्य में यान के समान प्रकार के यानों के लिए कर संदत्त करने का विकल्प देता है, की पहली अप्रैल को राजस्थान में प्रचलित है।

**टिप्पण :** इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी कर या शास्ति का संदाय किया जायेगा जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी।

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/22सी]
राज्यपाल के आदेश से,

**डॉ. मनीषा अरोड़ा,**
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.92.**–राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू/09/24 बी दिनांक 09.03.2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गों के लिए ग्रीन कर के नाम से उपकर की दर, स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा-विनिर्दिष्ट समय पर, स्तम्भ संख्यांक 4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती हैः-

**सारणी**

| **क्र. सं.** | **यान का वर्ग** | **समय** | **उपकर की दर (रुपये में)** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | **गैर-परिवहन यान** | | |
| | (क) दुपहिया | मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन | 250 |
| | (ख) डीजल चलित चार पहिया यान (कार, जीप) | | |
| | (i) 1500 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान | | 1000 |
| | (ii) 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान | | 1000 |
| | (iii) 5 तक की सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से | | 1000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान | रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय। | |
| | (iv) 5 से अधिक सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान | | 5000 |
| | (ग) ऊपर गैर परिवहन यानों से भिन्न | | 500 |
| 2. | परिवहन यान | मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय। | |
| | (क) तिपहिया यात्री और माल यान | | 200 |
| | (ख) तिपहिया यात्री और माल यानों से अन्यथा | | 500 |

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू/09/24सी]
राज्यपाल के आदेश से

**डॉ. मनीषा अरोड़ा,**
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.93.**–राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये 1.8.2014 से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 4 का संशोधन**.– राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 4 में, विद्यमान खण्ड (ककक) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(ककक) यदि कर एकमुश्त कर के रूप में संदत्त किया जाना है तो,–

(i) ऐसे यानों की दशा में जहां एकमुश्त कर का संदाय अनिवार्य है वहां यह एक वर्ष की कालावधि के भीतर पूर्ण रूप से या

छह समान किस्तों में संदत्त किया जायेगा। संपूर्ण रकम, या प्रथम किस्त,-

(क) नये यानों की दशा में, यान के क्रय के 30 दिन के भीतर या रजिस्ट्रीकरण की तारीख को, इनमें से जो भी पहले हो, संदेय होगी, या

(ख) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और राज्य में लाये गये यानों की दशा में, राज्य में यान के लाये जाने या राज्य में यान के समनुदेशन के 30 दिन के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, संदेय होगी।

(ii) ऐसे यानों की दशा में जहां एकमुश्त कर का संदाय वैकल्पिक है, वहां यह पूर्ण रूप से या छह समान किस्तों में संदत्त किया जायेगा। संपूर्ण रकम या प्रथम किस्त,-

(क) नये यानों की दशा में, यान के क्रय के 30 दिन के भीतर या रजिस्ट्रीकरण की तारीख को, इनमें से जो भी पहले हो, संदेय होगी;

(ख) राज्य में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों की दशा में, उस तारीख को जिसको स्वामी एकमुश्त कर का संदाय करने का विकल्प देता है, संदेय होगी;

(ग) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यानों की दशा में और जहां यान के स्वामित्व का अंतरण या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में पते का परिवर्तन राजस्थान राज्य में हुआ है, उस तारीख को, जिसको स्वामी एकमुश्त कर का सदांय करने का विकल्प देता है, संदेय होगी :

परन्तु जहां कर किस्तों में संदत्त किया जाना है वहां प्रथम किस्त के पश्चात् प्रत्येक पश्चातवर्ती किस्त, 1 वर्ष को 5 समान किस्तों में विभाजित करते हुए, समान अंतराल पर संदत की जायेगी। कर की अंतिम किस्त उस तारीख, जिसको पहली किस्त देय होती है, से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर या उससे पहले संदत्त की जायेगी।

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95-1]
राज्यपाल के आदेश से,

**डॉ. मनीषा अरोड़ा,**
संयुक्त शासन सचिव

**परिवहन विभाग**
**अधिसूचना**
**जयपुर, जुलाई 14, 2014**

**एस.ओ.94.-**राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना

समीचीन है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि 01.08.2014 को या इसके पश्चात् राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिष्ट मोटर यानों के निम्नलिखित प्रवर्गों को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ङ) और धारा 4ख के अधीन संदेय कर के स्थान पर धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर का अनिवार्य रूप से संदाय करना आवश्यक होगाः-

1. 3000 किग्रा सकल यान भार से अधिक और 7500 किग्रा सकल यान भार वाले सभी प्रवर्गों के चार पहिया माल यान।
2. ड्राईवर को छोडकर छह तक की सीट क्षमता वाले सभी प्रवर्गों की मोटर कैब।
3. ड्राईवर को छोडकर छह से अधिक किन्तु बारह से अनधिक सीट क्षमता वाले सभी प्रवर्गों के मैक्सी कैब ।

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95-2]
राज्यपाल के आदेश से,

**डॉ. मनीषा अरोड़ा,**
संयुक्त शासन सचिव